सत्यमेव जयते

बृहस्पतिवार,
१७ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

Preservation

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १७ दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विनिमय नियन्त्रण का अपवंचन

*१०४६. **श्री एस० एन० दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विनिमय नियन्त्रण के अपवंचन को, जो कि विशेषत: बीजकों में निर्यातों का मूल्य वास्तव से कम तथा आयातों का मूल्य वास्तव से अधिक दिखा कर किया जाता है, रोकने के लिये कोई प्रभावी प्रबन्ध किय गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या;

(ग) सन् १९५२ में तथा सन् १९५३ में अब तक ऐसे कितने मामलों का पता चला जिन में बीजकों में निर्यातों का मूल्य वास्तव से कम तथा आयातों का मूल्य वास्तव से अधिक दिखाया गया हो; तथा

(घ) क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी की गई है, जिस से यह सुनिश्चित हो सके कि निर्यातकों द्वारा रिज़र्व बैंक आफ़ इण्डिया को बताया गया घोषित मूल्य सही है?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (घ). सीमा शुल्क अधिकारी आयात बीजकों (बिल्स आफ़ एन्ट्री) तथा निर्यात बीजकों (शिपिंग बिल्स) में घोषित मूल्यों की जांच करते हैं जिस से कि यह पता लग सके कि मूल्य बढ़ा कर या घटा कर तो नहीं दिखाया गया है। रिज़र्व बैंक आफ़ इण्डिया भी निर्यातों के घोषित मूल्यों, निर्यात बीजकों और संविदाओं की नियमित रूप से आनुपातिक जांच करता है। आयातों के घोषित लागत–बीमा–भाड़ा मूल्य (सी० आई० एफ़० वैल्यू) की भी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है।

(ग) वर्ष १९५२–५३ में रिज़र्व बैंक आफ़ इण्डिया को ऐसे चार मामलों का पता चला जिन के बारे में यह शक था कि निर्यातों का मूल्य वास्तव से कम तथा आयातों का मूल्य वास्तव से अधिक दिखाया गया है।

आप की अनुमति से मैं यह भी बता दूं कि इसी अवधि में सीमा शुल्क अधिकारियों ने कुछ अन्य मामलों का भी पता लगाया है।

श्री एस० एन० दास : क्या सीमा शुल्क अधिकारियों को यह अधिकार है कि वे किसी माल को इस आधार पर रोक रखें

उस का मूल्य वास्तव से कम अथवा वास्तव से अधिक दिखाया गया है ?

श्री एम० सी० शाह : वे माल तो नहीं रोकते हैं, परन्तु समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

श्री एस० एन० दास : क्या कुछ व्यक्तियों को दंड किया गया है तथा यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्तियों को किस प्रकार का दंड दिया गया है ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। उन्हें जुर्माना किया जाता है। कुछ मामलों में अभियोग भी चलाये जाते हैं। यदि रिजर्व बैंक कार्यवाही करना चाहे, तो उस को विवरण मांगने तथा लेखे की जांच करने के लिये विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं। वह विदेशी विनिमय नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत उन पर अभियोग भी चला सकता है। सीमा शुल्क अधिकारी समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हैं।

श्री हेडा : कितने मामलों में भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू कर दी गई है ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास इस समय तो आंकड़े नहीं हैं, परन्तु यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें जानकारी बाद में दे सकता हूं।

श्री नानादास : क्या यह सच है कि बिहार में एक अभ्रक समवाय अमरीका को किये जाने वाले अभ्रक के निर्यात का मूल्य वास्तव से कम दिखा रहा है ? उस का प्रधान कार्यालय अमरीका में है।

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास तो इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है; हां, यदि माननीय सदस्य मुझे यह जानकारी दें तो मैं इस की जांच करूंगा।

श्री एस० एन० दास : क्या इस बात का भी कोई अनुमान लगाया गया है कि हमारे डालर अर्जन में से कितने प्रतिशत का अपवंचन किया जाता है ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास जानकारी नहीं है। यह बात मूल प्रश्न के अन्तर्गत नहीं उठती।

बिक्री कर

*१०४७. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वित्त** मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या ७३२ के अगस्त, १९५३ को दिये गये उत्तर का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या माल की बिक्री या खरीद पर करारोपण के सम्बंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा किये गये निर्वचन तथा उस से उत्पन्न स्थिति के बारे में राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो गये हैं और सरकार द्वारा उन पर विचार कर लिया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस मामले में और क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी हां।

(ख) 'पदाधिकारियों की समिति' की एक बैठक १६ व १७ नवम्बर, १९५३ को दिल्ली में इस बात पर विचार करने के लिये हुई थी कि राज्य सरकारों के राजस्व को कोई हानि पहुंचाये बिना, बाहर के विक्रेताओं से कर संग्रह के विषय में व्यापारियों की कठिनाइयां कैसे कम की जा सकती हैं। इस समिति ने कुछ सिपारिशें की हैं जो सब राज्यों को परिचारित कर दी गई हैं।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस विषय में किस प्रकार की सिपारिशें की गई हैं ?

श्री एम० सी० शाह : पदाधिकारियों की समिति ने यह निश्चय किया है कि जब तक हमें राज्य सरकारों से उत्तर न प्राप्त हो जायें तब तक ये तरीके गोपनीय रखे जायें। इस लिये मैं पदाधिकारियों की समिति द्वारा की गई सिपारिशें बता नहीं सकता।

श्री एस० एन० दास : क्या पदाधिकारियों की समिति का विनिश्चय विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त राय से, जिस की ओर प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में निर्देश किया गया, किसी प्रकार भिन्न था ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इस का अर्थ तो गुप्त बातों को प्रकट करना होगा।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि जिस से तमाम स्टेटों में सेल्स टैक्स एक सा हो जाय ?

श्री एम० सी० शाह : जब तक संविधान में ही संशोधन न हो जाये तब तक केन्द्र के लिये यह कहना सम्भव नहीं है कि बिक्री कर में एक रूपता होनी चाहिये।

अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में भारतीयों की नियुक्तियां

*१०४८. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में प्रमुख पदों पर भारतीय राष्ट्रजन नियुक्त करते समय भारत सरकार से परामर्श किया जाता है।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : कोई सरकारी पदाधिकारी किसी अन्तर्राष्ट्रीय निकाय में सरकार की सहमति के बिना नियुक्त नहीं किया जाता। जहां तक गैर सरकारी व्यक्तियों का सम्बन्ध है, कोई निश्चित प्रक्रिया विद्यमान नहीं है।

श्री वी० पी० नायर : तो क्या मैं यह समझूं कि जब अन्तर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा अपने प्रमुख पदों पर ऐसी नियुक्तियां की जाती हैं तो भारत सरकार से परामर्श नहीं किया जाता ?

श्री दातार : भारत सरकार से परामर्श तब किया जाता है जब कि भारत सरकार के या राज्यों के कोई पदाधिकारी नियुक्त किये जाते हैं।

श्री वी० पी० नायर : मैं गैर-सरकारी व्यक्तियों के बारे में पूछ रहा था।

श्री दातार : जी नहीं। हम से परामर्श नहीं किया जाता।

श्री वी० पी० नायर : क्या इण्डियन रेड क्रास के सेक्रेटरी-जनरल की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई परामर्श किया गया था ?

श्री दातार : मेरे पास यहां जानकारी नहीं है।

विशेष पुलिस स्थापना

*१०४९. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि विशेष पुलिस स्थापना के पदाधिकारियों के भ्रष्ट आचरण के बारे में आरोप तथा शिकायतें प्रत्येक वर्ष बढ़ रही हैं ?

(ख) सन् १९५०, १९५१, १९५२ तथा १९५३ में गृह-कार्य मंत्रालय को ऐसे कितने आरोप अथवा शिकायतें प्राप्त हुई थीं ?

(ग) विशेष पुलिस स्थापना में भ्रष्टाचार तथा अपराध को रोकने के लिये कोई व्यवस्था है, और यदि है तो क्या ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं; वे प्रत्येक वर्ष घट रही हैं।

(ख) १९५०	६
१९५१	५
१९५२	१
१९५३	१
	——
	१३

(ग) ऐसे आरोपों की जांच एक विशेष जांच यूनिट द्वारा की जाती है जो कि सीधे विशेष पुलिस स्थापना के महानिदेशक के अधीन कार्य करता है। विभागीय या न्यायक-कार्यवाही प्रत्येक मामले में उक्त जांच के परिणाम पर निर्भर है।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मूल नियमों के अनुसार विशेष पुलिस स्थापना के अधिकारी अपनी सम्पत्ति से सम्बन्धित आंकड़े सरकार को पेश करते हैं, तथा यदि करते हैं तो इन विवरणों की जांच किस अभिकरण द्वारा होती है ?

श्री दातार : जहां तक मुझे मालूम है, यह भेजे जाते हैं तथा भारत सरकार इन की जांच करती है।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को इस बात को जानकारी है कि तहकीकात के मामलों के सम्बन्ध में विशेष पुलिस स्थापना को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त होने के परिणामस्वरूप इस स्थापना के विरुद्ध कतिपय सही शिकायतें भी सरकार के पास नहीं पहुंचती हैं क्योंकि फरियाद करने वाले फरियाद करने से डरते हैं ?

श्री दातार : मुझे ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि एक मामले में ऐसे लोगों का साक्ष्य भी रिकार्ड किया गया था जो कि १२ वर्ष पहले मर चुके थे ?

श्री दातार : यदि माननीय सदस्य विशिष्ट रूप से........

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि प्रश्न एक अस्पष्ट तर्क के रूप में पूछा जा सकता है तथा वह फिर उस तर्क को लम्बा करेंगे। प्रश्न पूछने का अभिप्राय केवल सूचना प्राप्त करना होता है ताकि माननीय सदस्य उचित अवसर पर प्राप्त की गई इस सूचना का उपयोग कर सकें। मैं देखता हूं कि बहुत से प्रश्नों में तर्क दिये जाते हैं। इस कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं केवल सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह केवल सूचना प्राप्त करना ही नहीं है। मुझे मालूम है कि किस प्रकार की सूचना अपेक्षित है। श्री बी० एस० मूर्ति।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं दूसरा प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री बी० एस० मूर्ति।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या इन में से किसी एक मामले के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही की गई है ? यदि की गई है तो कितनों के सम्बन्ध में ?

श्री दातार : हम ने प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही की। हमें पता चला कि ६ मामलों में जो आरोप लगाए गए थे वह विस्तारपूर्वक नहीं दिये गए थे। कुछ एक के सम्बन्ध में यह आंशिक रूप से सिद्ध हुए। कार्यवाही की गई है।

श्री वी० पी० नायर : इस विशेष पुलिस स्थापना के व्यय के सम्बन्ध में क्या 'गुप्त सेवा निधि' के नाम से कोई निधि रखी गई है ? क्या मैं जान सकता हूं कि इस

निधि के लेखे की जांच भी महालेखा परीक्षक द्वारा होती है ?

श्री दातार : मैं समझता हूं कि एक तरह से होती है ।

श्री वी० पी० नायर : आप इस बारे में निश्चित हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

टेकनिकल शिक्षा

***१०५०. श्री एस० एन० दास** : (क) क्या शिक्षा मंत्री उन विश्वविद्यालयों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन के मामलों पर अखिल-भारत टेकनिकल शिक्षा परिषद् ने विचार कर के सिपारिश की है कि इन्हें वर्ष १९५३–५४ के लिए टेकनिकल शिक्षा के लिए अनुदान दिए जायें ?

(ख) प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में कितने अनुदान की सिपारिश की गई थी तथा कितना वास्तव में दिया गया ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) तक । अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रख दिया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १**]

श्री एस० एन० दास : उन विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन के मामलों पर परिषद् ने विचार किया किन्तु अनुदान देने की सिपारिश नहीं की ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास ऐसे मामलों की सूची नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस परिषद् के निर्णय के विरुद्ध किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्था ने अपना अभ्यावेदन भेजा है ।

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : नहीं, जितनी मदद इन १५ इन्स्टीट्यूशन्स को दी जाती है, कौंसिल की सिफारिश से दी जाती है ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केवल उन्हीं टेकनिकल इंस्टीट्यूशन्स या संस्थाओं की मदद दी जायगी जो किसी यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित हैं, या ऐसी संस्थाओं को भी जैसे कि ग्वालियर टेकनिकल इंस्टीट्यूट को जो कि किसी यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित नहीं है, मदद दी जाती है ?

मौलाना आज़ाद : हां, इन के केस पर भी गौर किया जा यगा ।

श्री वी० पी० नायर : विवरण से पता चलता है कि त्रावणकोर विश्वविद्यालय को कोई अनुदान नहीं दिया गया है । क्या इस का यह कारण है कि उन्होंने अनुदान की मांग नहीं की या कि उन की सिफारिशें अस्वीकृत हुईं ।

श्री के० डी० मालवीय : परिषद् समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करती है तथा इस के समक्ष मुख्य प्रश्न यह है कि सभी प्रकार के टेकनिकल विषयों के एक समन्वित ढांचे के आधार पर काम हो । शायद त्रावणकोर विश्वविद्यालय इस परिषद् के विचार-क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आया होगा ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जानना चाहता था कि इस का कारण.....

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

१९५१ की जनगणना

***१०५१. श्री डी० सी० शर्मा** : (क) क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पंजाब राज्य के सम्बन्ध में १९५१ की जनगणना के ग्राम-वार आंकड़े तैयार हैं ?

(ख) यदि नहीं हैं, तो यह कब तैयार होंगे ?

(ग) क्या वह विक्रय के लिए उपलब्ध होंगे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १९५१ की जनगणना के आंकड़े पंजाब के प्रत्येक गांव के लिए एकत्रित किये गए हैं परन्तु सारिणी, उन मकानों की संख्या जिन में कोई रह रहा हो, साक्षरों की संख्या तथा आजीविका की आठ श्रेणियों में प्रत्येक की अलग अलग जन संख्या तक ही सीमित है । यह आंकड़े 'जिला जनगणना पुस्तकों' में दिये गए हैं जिन को प्रकाशित किया जा चुका है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी हां ।

श्री डी० सी० शर्मा : एक प्रति की कीमत क्या है ?

श्री दातार : मुझे इस की जानकारी नहीं ।

श्री डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, कितने राज्यों ने इस समय तक ग्राम-वार जन गणना के आंकड़े प्रकाशित किये हैं ?

श्री दातार : ग्राम-वार आंकड़े संकलित किये जाते हैं परन्तु उन्हें प्रकाशित नहीं किया जाता है । पंजाब में भी वह केवल ज़िले-वार प्रकाशित किये गए हैं ।

भाग 'ग' राज्यों के अर्थ-सहायता

*१०५२. **श्री गिडवानी** : क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार प्रत्येक भाग 'ग' राज्य को प्रतिवर्ष कितनी अर्थ सहायता दे देती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रख दिया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २]**

श्री गिडवानी : विवरण में बताया गया है कि १९५२-५३ में हिमाचल प्रदेश को ६० लाख रुपये मिले और १९५३-५४ के लिए ६५ लाख रुपये रखे गये हैं । विंध्य प्रदेश को १९५२-५३ में ७२ लाख रुपये मिले और १९५३-५४ के लिए १७० लाख रुपये रखे गये हैं । भोपाल, जिस की जन संख्या केवल आठ लाख है को १९५२-५३ में १०५ लाख रुपये मिले तथा अब की बार इस के लिये ११२ लाख रुपये रखे गये हैं । दिल्ली को पिछले वर्ष १२३ लाख रुपये मिले तथा इस वर्ष के लिए २८.३६ लाख रुपये रखे गये हैं । अजमेर को गत वर्ष ८८.६८ लाख रुपये मिले तथा इस वर्ष के लिये ११० लाख रखे गये हैं । अन्य भाग 'ग' राज्यों अर्थात् बिलासपुर कच्छ, मनीपुर तथा त्रिपुरा की अपनी कोई संचित निधि नहीं तथा पूंजी तथा राजस्व लेखों पर उन की आय तथा व्यय भारत की संचित निधि में ही शामिल है ।

श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि इन में पहले पांच राज्यों की अपनी आय क्या है ।

डा० काटजू : मुझे इस की पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री गिडवानी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं........

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न को लेता हूं ।

प्रतिशीर्ष आय

*१०५३. **श्री के० पी० सिन्हा** : (क) क्या वित्त मंत्री २ मार्च, १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ३९५ के उत्तर की ओर निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९४९-५० के वर्ष के लिए प्रति-शीर्ष आय मालूम करने की कोशिश पूरी हुई है ?

(ख) यदि हुई है तो १९४९-५० की प्रतिशीर्ष आय क्या है तथा १९३९-४० तथा इस के बाद के वर्षों के मुकाबले में यह क्या है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) वर्ष १९४९–५० के लिए प्रतिशीर्ष आय का प्राक्कलन अगले वर्ष के आरम्भ में तैयार होने की आशा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या राज्य-वार प्रतिशीर्ष आय का पता लगाने की कोई कोशिश की जा रही है ?

श्री बी० आर० भगत : नहीं, श्रीमान् राज्य-वार अथवा प्रदेश-वार आंकड़ों का संकलन सम्भव नहीं। इस का संकलन करने में कुछ टेकनिकल कठिनाइयां हैं ।

श्री के० पी० सिन्हा : प्रथम पंच वर्षीय योजना को सफलता पूर्वक क्रियान्वित किये जाने के परिणामस्वरूप प्रतिशीर्ष आय में कितनी वृद्धि होगी ?

श्री बी० आर० भगत : यह समिति वर्ष १९४९–५० के लिए प्रति शीर्ष आय का पता लगायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि पंच वर्षीय योजना की पूर्ति के बाद प्रतिशीर्ष आय क्या होगी ।

श्री बी० आर० भगत : यह समिति इस का प्राक्कलन तैयार नहीं कर रही है । समिति को केवल १९४८–४९ तथा १९४९–५० के वर्षों के लिए प्रतिशीर्ष आय का प्राक्कलन तैयार करना है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या मंत्री जी को योजना आयोग जैसी किसी चीज़ का पता नहीं जिस ने कि १९४९–५० के लिए राष्ट्रीय आय दी है तथा भारत की जन संख्या भी दी है, तथा क्या वह साधारण विभाजन कर के प्रतिशीर्ष आय नहीं बता सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री बी० एस० मूर्ति : उपलब्ध तथ्यों तथा आंकड़ों के आधार पर क्या मंत्री जी यह बता सकते हैं कि क्या प्रति शीर्ष आय में कमी हुई है अथवा वृद्धि ।

श्री बी० आर० भगत : वृद्धि हुई है ।

श्री मेघनाद साहा : माननीय मंत्री किस आधार पर यह सूचना दे रहे हैं । मेरी सूचना यह है कि इस में निश्चित रूप से कमी हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब अगले प्रश्न को लेता हूं ।

प्रशासनिक पदों के लिये तदर्थ भर्ती

***१०५४. श्री दाभी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग की यह राय है कि विभिन्न प्रशासनिक पदों पर अस्थायी तथा तदर्थ भर्ती में, जो इस समय बहुत आम है, कमी करने के लिए सरकार द्वारा व्यवस्थित प्रयत्न किया जाना चाहिए; और

(ख) इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) इस सम्बन्ध में योजना आयोग के वास्तविक शब्द ये हैं :—

"..... लोक सेवा आयोग तथा प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य सहयोग से एक ओर तो अस्थायी तथा तदर्थ भर्ती में, जो अब भी बहुत आम है कमी होगी और दूसरी ओर इस से भर्ती की प्रक्रिया, जिस में कि आवश्यक से अधिक समय लगता है, अधिक गतिमय हो जाएगी ।"

(क) इस मामले में लोक सेवा आयोग से परामर्श हो रहा है और आयोग तथा मंत्रालयों के मध्य सहकारिता तथा सहयोग स्थापित करने के लिए शीघ्र ही औपचारिक प्रबन्ध किया जायगा ।

इस बारे में भी कार्यवाही की जा रही हैं कि विद्यमान छुट-पुट तदर्थ पदों को अधिक से अधिक सम्भव संख्या में नियमित सेवाओं में सम्मिलित कर लिया जाए ।

श्री दाभी : क्या मैं गत तीन वर्षों की अस्थायी तथा तदर्थ भर्ती के तुलनात्मक आंकड़े जान सकता हूं ?

श्री दातार : मेरे पास कोई आंकड़े तो नहीं हैं, किन्तु मैं सदन को बतला सकता हूं कि गत तीन वर्षों में अस्थायी भर्ती की संख्या में २,५०,००० की कमी हुई है ।

श्री दाभी : तदर्थ भर्ती क्यों की जाती है ?

श्री दातार : जहां तक तदर्थ भर्ती का सम्बन्ध है, कुछ लोगों की थोड़े समय के लिए आवश्यकता होती है और इस लिये इसी तरफ़ भर्ती की जाती है ।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि जब अस्थायी पदों को स्थायी किया जाता है तो क्या लोक सेवा आयोग से मशविरा लिया जाता है ?

श्री दातार : जी हां ।

पेप्सू के भूतपूर्व-सैनिकों का बसाया जाना

***१०५५. श्री अजित सिंह**: क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पेप्सू राज्य सेना तथा भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिये क्या कुछ ज़मीन अलग रखने की कोई योजना पेप्सू सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस ज़मीन पर कितने भूतपूर्व सैनिक बसाए जाने की आशा है; और

(ग) क्या इस योजना में भूमि-रहित भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जाएगी ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) पहले ३०० भूतपूर्व सैनिकों को बसाया जाएगा ।

(ग) जी हां ।

श्री अजित सिंह : यह ज़मीन कहां स्थित है और इस का क्षेत्र कितना है ?

डा० काटजू : स्थिति यह है कि भूमि-रहित भूतपूर्व सैनिकों को वितरित करने के लिए अब तक कोई भूमि उपलब्ध नहीं थी । किन्तु हाल के विधान के अन्तर्गत, जमींदारों के कब्ज़े में पड़ी हुई परती भूमि को राज्य सरकार ले सकती है और ऐसी भूमि को लेने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । सारी भूमि एक साथ तो है नहीं, यह थोड़ी-थोड़ी कर के कई स्थानों पर है । कार्यवाही पूरी हो जाने पर छोटे-छोटे खंड बना दिए जायेंगे । तथा भूमि का वितरण कर दिया जायेगा यह आशा की जाती है कि पहले ३०० व्यक्तियों को बसाया जायेगा । तीन बस्तियां स्थापित की जायेंगी जिन में से प्रत्येक का क्षत्र लगभग १,३०० एकड़ होगा । इस समय मैं यही सूचना दे सकता हूं । मैं ने यह सूचना इस लिये दी है कि कोई अनुपूरक प्रश्न न उठे ।

श्री अजित सिंह : इस के लिए सरकार को प्रार्थनापत्र भेजे जाने की अन्तिम तिथि क्या है ?

डा० काटजू : मुझे मालूम नहीं है ।

आई० ए० एफ० चुनाव बोर्ड, देहरादून

***१०५६. श्री टी० बी० विट्ठल राव** : (क) क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९५३ की आई० ए० एफ० प्रतियोगिता परीक्षा में कितने उम्मीद-वार बैठे थे और उन में कितने सफल हुए ?

(ख) आई० ए० एफ० चनाव बोर्ड, देहरादून द्वारा कितने लोगों को गत वर्ष इंटरव्यू तथा परीक्ष के लिए बुलाया गया और अन्त में उन में से बोर्ड द्वारा कितनों

को चुना गया तथा उन की राज्य-वार संख्या क्या है ?

(ग) आई० ए० एफ० चुनाव बोर्ड द्वारा चुनाव किए जाने का आधार क्या है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) अप्रैल, १९५३ में लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई आई० ए० एफ० परीक्षा में १२६१ लोग बैठे थे और लिखित परीक्षा में ३२६ सफल हुए ।

(ख). १९५३ में आई० ए० एफ० चुनाव बोर्ड द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या—१४२२ ।

चुने गए उम्मीदवारों की संख्या—३१३।

उनकी राज्यवार संख्या इस प्रकार है :—

दिल्ली	५०
पंजाब	७९
मद्रास	३०
बंगाल	१८
राजस्थान	९
मैसूर	५
बिहार	६
बम्बई	२४
मध्य प्रदेश	११
उड़ीसा	१
मध्य भारत	१
उत्तर प्रदेश	६२
हैदराबाद	४
कुर्ग	२
पेप्सू	३
सौराष्ट्र	१
त्रावनकोर-कोचीन	४
आसाम	१
बर्मा में रहने वाले भारतीय	१
जम्मू और कश्मीर	१
	३१३

(ग) उम्मीदवारों का चुनाव मुख्यतः इन आधारों पर किया जाता है :

(१) अफसरी के गुण

(२) विमान-चालन की ओर प्रवृत्ति

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कितने रिक्त स्थान विज्ञापित किए गए थे और कितने व्यक्ति चुने गए ?

श्री त्यागी : मुझे खेद है कि विज्ञापित किए गए रिक्त स्थानों की संख्या मेरे पास नहीं है; किन्तु चुनाव आवश्यकतानुसार किया गया था और कभी-कभी अपेक्षित संख्या से अधिक उम्मेदवारों का भी चुनाव कर लिये जाता है ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि जो उम्मेदवार परीक्षा में बैठे उन के अलावा भी बिना किसी लिखित परीक्षा के बाहर से कुछ उम्मीदवारों को लिया गया था ।

श्री त्यागी : मैं बतला चुका हूं कि चुनाव करने के दो तरीके हैं । एक लोक सेवा आयोग के जरीए जबकि उम्मीदवारों को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना पड़ता है । जब वे उस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो उन के नाम चुनाव बोर्ड को भेज दिए जाते हैं जो फिर उन का इंटरव्यू करता है और उन्हें नम्बर देता है । ये नम्बर फिर लोक सेवा आयोग को भेज दिए जाते हैं जिस से कि दोनों जगह के नम्बर जोड़ लिए जाएं और एक क्रमानुसार सूची तैयार कर ली जाए । फिर उस में से चनाव किया जाता है । यह दल प्रशिक्षण के लिए जौइंट सरविसेज़ विंग में जाता है । दूसरा दल सीधे अकादमी में भेजे जाने के लिए चुनाव बोर्ड द्वारा चुना जाता है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या अनुसूचित जातियों **अथवा** आदिम जातियों के भी कोई

उम्मीदवार चुने जाते हैं, यदि हां, तो उन की संख्या क्या है ?

श्री त्यागी : इस चुनाव में जाति या वर्ग का कोई भेद नहीं किया जाता ।

आई० ए० एफ० चुनाव बोर्ड, देहरादून

***१०५७. श्री टी० बी० विट्ठल राव** (क) क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ के दौरान में आई० ए० एफ० चुनाव बोर्ड, देहरादून में कौन-कौन सदस्य हैं ?

(ख) चुनाव बोर्ड के किसी सदस्य पर पक्षपात तथा प्रान्तीयता के लगाये गये आरोप क्या सरकार की दृष्टि में आए हैं ?

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन आरोपों पर क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) (क) आई० ए० एफ० चुनाव बोर्ड देहरादून में ये व्यक्ति हैं :

प्रेसीडेंट--विंग कमांडर ऐस० डब्ल्यू० बाब, डिप्टी प्रेसीडेंट--स्क्वाड्रन लीडर एस० एस० साहनी, सीनियर ग्रुप टेस्टिंग आफिसर --स्क्वाड्रन लीडर ऐस० पी० सेन, ग्रुपटेस्टिंग आफिसर्स--फ्लाइट लेफ्टिनेंट एम० वी० अथाले, फ्लाइट लेफ्टिनेंट वी० पी० भसीन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट पी० एन० भाटिया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट पी० एस० मूर्ति, फ्लाइट लेफ्टिनट ए० अलभेदा, साइकोलोजिस्ट आफिसर फ्लाइंग आफिसर के० एन० रदेरिया ।

(ख) और (ग). एक मामले में आरोप लगाया गया था जिस की जांच की गई और उसे निराधार पाया गया । इसलिए कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं थी ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या इस प्रकार की कोई शिकायत की गई थी कि सन् १९५२ के चुनाव में दक्षिण से कोई नहीं चुना गया ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल यह है कि क्या यह शिकायत की गई थी ।

श्री त्यागी : समय-समय पर की गई सब शिकायतों की सूची मेरे पास नहीं है । प्रश्न का सम्बन्ध पक्षपात सम्बन्धी आरोपों से था । इस प्रकार की केवल एक शिकायत आई थी जो गलत साबित हुई ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि रक्षा मंत्रालय ने चुनाव बोर्ड को निदेश दिए हैं कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के मामलों पर उदारतापूर्वक विचार किया जाए ?

श्री त्यागी : जी हां । सभी भर्तियों के मामले में ऐसा किया जाता है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस प्रकार के मामले हुए हैं कि चुनाव बोर्ड द्वारा चुने गए उम्मेदवार एक या दो वर्ष का प्रशिक्षण दिए जाने के बाद भी निकाल दिए गए हैं क्योंकि उन में अफसरी गुण नहीं थे ?

श्री त्यागी : जी हां । प्रशिक्षण के दौरान में भी उम्मीदवारों को हटा दिया जाता है । किन्तु इस से उन के शिक्षा क्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इस बात पर सब विश्वविद्यालय सहमत हो गए हैं कि जौइंट सरविसेज विंग में दो वर्ष का कोर्स उन के विश्वविद्यालय की इंटरमीडिएट क्लासों के बराबर समझा जाएगा । इसलिए उन्हें हटा देने से उन की शिक्षा संबंधी प्रगति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता ।

भारतीय वायु सेना में जी० डी० चालक पाठ्यक्रम

***१०५८. श्री टी० बी० विट्ठल राव** : (क) क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के ६४वें जी० डी० (चालक) पाठ्यक्रम के लिए ४० अभ्यर्थियों की आवश्यकता पड़ी थी ?

(ख) यदि हां, तो भारतीय वायुसेना चुनाव पर्षद् देहरादून द्वारा कितने अभ्यर्थी इस पाठ्यक्रम के लिए इंटरव्यू में बुलाए गये थे और कितने चुने गये ?

(ग) क्या पाठ्यक्रम मूल योजना के अनुसार चलाया गया था ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां ।

(ख) इंटरव्यू के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या--३३५ ।

भारतीय वायुसेना चुनाव पर्षद् द्वारा चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या--८३ ।

(ग) जी हां । पाठ्यक्रम पूर्व निश्चित तिथि १ जून, १९५३ को शुरू हो गया ।

केन्द्रीय लवण अनुसन्धान केन्द्र

*१०६२. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री** १० मार्च, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६४१ के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंचवर्षीय योजना के अनुसार प्रस्तावित केन्द्रीय लवण अनुसन्धान केन्द्र अब स्थापित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कहां तक प्रयत्न किये गये हैं ;

(ग) केन्द्र की अनुमानित लागत; तथा

(घ) क्या कोई स्थान चुना गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) ५,१२,००० रुपये ।

(घ) जी हां, श्रीमान्, सौराष्ट्र में भावनगर में ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि इस अनुसन्धान शाला का वास्तविक कार्य क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस अनुसन्धान शाला का कार्य राष्ट्र को दिये जाने वाले नमक का शोधन करना, निर्माण की वर्तमान प्रणाली को सुधारना और साथ ही नमक के शोधन की प्रणाली में पैदा होने वाले उप-उत्पादनों की उपयोगिता पर विचार करना है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस अनुसन्धान शाला द्वारा नमक बनाने की कोई नई प्रणाली अपनाई जा रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों की सहायता से यह कार्य हाल में ही शुरू हुआ है । कार्यक्रम के स्पष्ट रूप से जान सकने में कुछ समय लगेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या आवश्यक कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : नियुक्त किये जा रहे हैं । संचालक नियुक्त किया जा चुका है और वह इस विषय की जांच कर रहा है ।

श्री नानादास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि अनुसन्धान शाला को भावनगर में स्थापित करने के लिए सरकार को प्रेरित करने वाले कारण क्या थे ?

श्री के० डी० मालवीय : काम शीघ्र पूरा करने के प्रयोजन से सौराष्ट्र सरकार ने भवन और स्थान दिया । समुद्रतट के निकटतम होना भी इस के चुनाव का एक कारण है ।

"नोट पास" प्रणाली

***१०६६. डा० एम० एम० दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) माल की वह श्रणियां जिन को बहिःशुल्क विभाग द्वारा उन के मूल्य को उद्घोषित किये बिना "नोट पास" प्रणाली के अधीन भारतीय बन्दरगाहों से निकल जाने दिया जाता है;

(ख) सन् १९५१ तथा १९५२ में वार्षिक रूप में आयात की गई ऐसी वस्तुओं का मूल्य ;

(ग) क्या विदेशी दूतावासों और उच्च आयुक्तों के कार्यालयों द्वारा आयातित वस्तुएं इस श्रेणी के माल में गिनी जाती हैं; तथा

(घ) "नोट पास" प्रणाली के अधीन आने वाले माल के आयातकर्त्ता ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) सरकारी विभागों तथा कुछ अर्द्ध सरकारी संघटनों द्वारा आयात किये जाने वाले सभी माल को माल निकलने के समय बन्दरगाह पर बीजक (इनवोइस) तथा अन्य सम्बन्धित पत्रों के न पहुंच पाने पर उन के मूल्य की घोषणा न किये बिना ही निकल जाने दिया जाता है।

(ख) सन् १९५१ और १९५२ में आयातित इस प्रकार के सामान का लगभग मूल्य क्रमशः १३९ और १५० करोड़ रुपये हैं।

(ग) विदेशी दूतावासों तथा उच्च आयुक्तों के कार्यालयों द्वारा आयातित भंडारों को "नोट पास" प्रणाली के अधीन नहीं निकलने दिया जाता है।

(घ) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के विभाग तथा कुछ अर्द्ध सरकारी संघटन अपना माल "नोट पास" प्रणाली के अधीन निकलवाते हैं। इस समय इस सुविधा का लाभ उठाने वाले प्रमख आयातकों की एक सूची सदन पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ५ अनुबन्ध संख्या ३].**

श्रीमान्, मैं यह भी वता दूं कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संघों को भी यह सुविधा प्राप्त है।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या यह "नोट पास" प्रणाली माल की उन विशेष श्रेणियों पर भी लागू होती है, जिन का इस देश से निर्यात हो ?

श्री एस० सी० गुहा: श्रीमान्, मैं निवेदन कर चुका हूं कि सरकारी विभागों तथा अर्द्ध सरकारी संघटनों द्वारा आयातित सब प्रकार का माल इस प्रणाली के अधीन आने दिया जाता है।

डा० एम० एम० दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रणाली भारत से निर्यात होने वाले सभी प्रकार के सामान पर लागू होती है ?

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या यह सुविधा पाकिस्तान को भारत से आयात किये जा रहे सब प्रकार के सामान के विषय में भी दी जाती है।

श्री ए० सी० गुहा : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या यह प्रणाली निर्यात के विषय में भी लागू होती है। यह केवल माल के आयात के सम्बन्ध में है।

डा० एम० एम० दास: मैं जान सकता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था चालू है जिस के अनुसार वहिःशुल्क अधिकारी पेटियों के अन्दर वन्द सामान की जांच कर सकें ?

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, यह समस्त व्यवस्था सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी संघटनों के विषय में है। अतः सामान की प्रत्यक्ष रूप से जांच करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं

होता है और मैं नहीं समझता कि अब तक इस प्रणाली का कुछ दुरुपयोग हुआ है ।

डा० एम० एम० दास : दी गई सूची में मैं देखता हूं कि केवल एक अ-भारतीय संघटन है—सूची की ५५वीं मद—अर्थात् प्रधान केन्द्र, गमनागमन नियंत्रण, भारत स्थित ब्रिटिश गोरखा संघटन । मैं जान सकता हूं कि इस संघटन द्वारा विशेषतः किस प्रकार की वस्तुओं का आयात किया जाता है ?

श्री ए० सी० गुहा : प्रत्येक संघटन के लिए माल की एक श्रेणी विशेष है । मैं पूर्व-सूचना चाहूंगा ।

श्री टी० एन० सिंह : इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के साथ हुए समझौते के अधीन, सरकार ने दक्षिण-पूर्व एशियायी देशों को टेलीफोन-यंत्रों का निर्यात करने का अधिकार प्राप्त किया है । श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या इन निर्यातों पर निर्यात-शुल्क लगता है या नहीं ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि यह प्रणाली केवल आयात के ही विषय में लागू होती है, परन्तु मेरे इस वक्तव्य को बाद में सुधारा जा सकता है ।

विदेशों को अग्रिम धन-प्रेषण

***१०६७. डा० एम० एम० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार द्वारा विदेशों को आयात के लिए अग्रिम धन प्रेषण की अनुमति नियमानुसार नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो उस के कारण;

(ग) विदेशी माल की वह श्रेणियां जिन के आयात के लिये रिज़र्व बैंक अग्रिम धन प्रेषण की सुविधाएं प्रदान करता है ।

(घ) सन् १९५१, १९५२ और १९५३ में आज तक कुल कितने अग्रिम धन प्रेषण की अनुमति दी गई तथा

(ङ) सरकारी खाते में रिज़र्व बैंक द्वारा जितने अग्रिम धन प्रेषण की अनुमति दी गई है, उस का मध्यमान प्रतिशतक ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) से (ग). नियम के रूप में आयातों के लिए अग्रिम धन प्रेषणो की अनुमति इसलिये नहीं दी जाती है, ताकि भुगतान केवल प्राप्त हुए माल का किया जा सके और क्योंकि इन अग्रिम भुगतानों से समय-समय पर बदलने वाली सरकारी आयात नीति के प्रवर्तन में बाधा पड़ने की संभावना हो सकती है । पूंजी माल के आयात के सम्बन्ध में इस नियम का अपवाद किया जाता है ।

(घ) तथा (ङ). चूंकि अग्रिम प्रेषित रक़मों के पृथक् लेखे नहीं रखे जाते हैं अतः सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कुछ व्यवस्था है जिस से यह जांच की जा सके कि अग्रिम प्रेषण के लिए अनुमत ठहराये गये धन का सदुपयोग हो अर्थात् उसे उसी काम में लाया जाये जिस के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति प्रदान की गई है ?

श्री बी० आर० भगत : यह तो रिज़र्व बैंक का सामान्य कृत्य है ।

डा० एम० एम० दास : मैं जानना चाहता था कि क्या रिज़र्व बैंक में ऐसी कोई व्यवस्था है ?

श्री बी० आर० भगत : : यह जानना कि किसी कार्य विशेष के हेतु किसी आयात अथवा निर्यात के लिए दी गई अनुज्ञप्ति का सदुपयोग होता है रिज़र्व बैंक का सामान्य कृत्य है ।

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार किसी विदेशी उपक्रम या फ़ैक्टरी को किन्हीं वस्तुओं विशेष के लिए अग्रिम धन देती है ? यदि हां, तो वह वस्तुएं क्या हैं ?

श्री बी० आर० भगत : वे पूंजी-संयंत्र तथा मशीनें आदि हैं।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या अनुसूचित बैंकों द्वारा दिये गये प्रत्यय-पत्रों की जांच रिज़र्व बैंक द्वारा की जाती है और रिज़र्व बैंक द्वारा समुचित नियंत्रण रखा जाता है ?

श्री बी० आर० भगत : जी हां, सामान्यत:; परन्तु जैसा कि मैं ने निवेदन किया, भारत का रिज़र्व बैंक आयातों के हेतु किये गये अग्रिम धन प्रेषणों का पृथक् लेखा नहीं रखता है।

नेपाल का आयात तथा निर्यात व्यापार

*१०६८. **डा० एम० एम० दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार ने नेपाल के आयात तथा निर्यात व्यापार के लिये विदेशी मुद्रा के भुगतान तथा प्राप्ति का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से: तथा

(ग) नेपाल के आयात तथा निर्यात व्यापार के कारण भारत को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति तथा भुगतान की औसत वार्षिक राशि कितनी होती है।

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) तथा (ख). भारत में विनिमय नियंत्रण होने के बाद से नेपाल ने जो विदेशी मुद्रा अर्जित की है वह भारत को मिल गई है और नेपाल की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकता को भारत पूरा करता है।

(ग) सरकार के पास इस की कोई सूचना नहीं है।

डा० एम० एम० दास : नेपाल के विदेशी व्यापार के आयात और निर्यात की मुख्य वस्तुएं क्या हैं, जिस के लिये हम विदेशी मुद्रा देते हैं और विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं ?

श्री बी० आर० भगत : भारत तथा नेपाल के बीच कोई विनिमय नियंत्रण चालू नहीं है। नेपाल का प्राय: समस्त व्यापार भारत से हो कर ही होता है।

डा० एम० एम० दास : मैं यह जानना चाहता था कि नेपाल द्वारा किन किन वस्तुओं का आयात किया जाता है और किन किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है जिन के लिये हम विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करते हैं।

श्री बी० आर० भगत : यह सूचना वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के पास है। जैसा कि मैं ने निवेदन किया, निर्यात तथा आयात के विस्तृत ब्यौरों के सम्बन्ध में कोई लेखा विवरण नहीं है।

व्यापारी बेड़े तथा भारतीय नौ सेना के बीच सहयोजना

*१०६९. **श्री नानादास :** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय व्यापारी बेड़े तथा भारतीय नौ-सेना के बीच किस प्रकार का सहयोजन है ?

(ख) व्यापारी बेड़े तथा भारतीय नौ-सेना के बीच सुयोजित सहयोजन स्थापित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) भारतीय नौ-सेना तथा भारतीय व्यापारी बेड़े के बीच विचार तथा प्रयत्नों का सहयोजना

है । इस दिशा में अग्रेतर कार्य के रूप में व्यापारी प्रशिक्षण जहाज़ "डफ़रिन" के कैडेट्स (छात्र सैनिकों) को नौ-सेना द्वारा रक्षा संबंधी एक थोड़े से पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है जिस में छोटे शस्त्रों का प्रयोग करना सिखलाया जाता है तथा उन्हें नौसेना के जहाज़ दिखाये जाते हैं । इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य युवक अधिकारियों को भारत के समुद्री यातायात की सुरक्षा का कुछ ज्ञान देना है । हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बोर्ड में नौसेना प्रधान कार्यालय का भी एक प्रतिनिधि है जो कि, यदि आवश्यक हुआ तो, व्यापारी बेड़े तथा नौसेना के लिये अपेक्षित जहाज़ों की निर्माण सम्बन्धी सम्भावनाओं के सम्बन्ध में परामर्श दे सकता है तथा उन को सावधानी से निर्धारित कर सकता है ।

(ख) नौ परिवहन महानिदेशक तथा नौसेना प्रधान कार्यालय, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण नौचालन सम्बन्धी सभी मामलों में अपने अपने मंत्रालयों के द्वारा निकट सम्पर्क बनाये रखते हैं ।

श्री नानादास: मैं जान सकता हूं कि व्यापारी बेड़े के जिन जहाजों से युद्ध सम्बन्धी कार्य लिया जा सकता है उन की संख्या कितनी है ?

श्री त्यागी: मुझे खेद है कि मेरे पास वह योजना यहां नहीं है, किन्तु संकट काल के लिये नौसेना प्रधान कार्यालय ने योजनायें पहिले से ही बनाई हुई हैं, और वह इस बात को जानता है कि किन जहाज़ों से युद्ध सम्बन्धी काम लिया जा सकता है और किन पर तोपें लगाई जा सकती हैं । इन सभी बातों की जांच की जा रही है ।

श्री नानादास: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार व्यापारी बेड़े के लिये जहाज बनाये जाने के कार्य को प्रोत्साहन देने का है जिस से कि इन जहाजों से युद्ध सम्बन्धी काम लिया जा सके ?

श्री त्यागी : मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं ।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रशिक्षण जहाज़ "डफ़रिन" में नौसेना के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है या व्यापारी बेड़े के अधिकरियों को ?

श्री त्यागी : व्यापारी बेड़े के अधिकारियों को । व्यापारी बेड़े के अधिकारियों को नौसेना प्रशिक्षण देने के लिए नौसेना के जहाज़ों पर ले लिया जाता है ।

श्री यू० सी० पटनायक : मैं जान सकता हूं कि योजना के अन्तर्गत और अधिक जहाज़ बनाने के लिये जब अनुदान दिये जा रहे हैं तो क्या इन जहाज़ों के डिज़ाइनों तथा निर्माण सम्बन्धी विशेष बातों के विषय में नौसेना विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाता है, जिस से कि ये जहाज़ किसी भी संकट काल के समय नौसेना में काम में लाये जा सकें ?

श्री त्यागी : मुझे खेद है कि इस मामले में नौसेना के अधिकारियों से परामर्श नहीं लिया जाता ।

श्री यू० सी० पटनायक : मैं जान सकता हूं कि क्या रक्षा मंत्रालय अन्य मंत्रालयों से यह आग्रह करेगा कि वह इस बात का ध्यान रखें कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाये जाने वाले जहाज़ों के बनाये जाने से पूर्व नौ-सेना के अधिकारियों से परामर्श लिया जाये ?

श्री त्यागी : मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वह अपना सुझाव मेरे पास भेज दें ।

रक्षा सेवाओं में औद्योगिक कारीगर

*१०७० **श्री गिडवानी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि भूतपूर्व

रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री गोपालस्वामी अय्यंगार ने अखिल-भारतीय रक्षा सेवा कर्मचारी संघ को छंटनी किये गये व्यक्तियों को उपदान दिये जाने तथा औद्योगिक कारीगरों पर नियमों के लागू किये जाने के सम्बन्ध में एक आश्वासन दिया था; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन आश्वासनों को लागू किया है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) : (क) तथा (ख). सन् १९५२ में, भूतपूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री गोपालस्वामी अय्यंगार ने अखिल-भारतीय रक्षा सेवा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को यह बताया था कि सरकार १ अगस्त, १९४९ के बाद से पूरे किये गये प्रत्येक वर्ष के लिये आधे महीने का वेतन देने के लिये तैयार है और कम से कम एक महीने का वेतन दिया जायगा किन्तु इस में शर्त यह है कि सरकार ने उस कारीगर के मामले में भविष्य निधि योजना में कुछ अंशदान न दिया हो और इस में यह भी शर्त है कि यह सेवा की उसी अवधि के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत किसी अन्य योजना के अन्तर्गत किसी उपदान को पाने का अधिकारी न हो। इसे ३० सितम्बर, १९५२ को जारी किये गये सरकारी आदेशों के द्वारा लागू कर दिया गया था। औद्योगिक कारीगरों के लिये किन्हीं विशेष नियमों के बनाने का विचार नहीं था। ये आदेश औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक दोनों प्रकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं ।

मद्रास में छंटनी

***१०७१. श्री बुच्चिकोटैय्या** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह तथ्य है कि मद्रास के मुख्य मंत्री को यह आश्वासन दिया गया था कि आंध्र राज्य के बन जाने के बाद छंटनी किये गये सभी अधिकारियों को राज्यों में कहीं न कहीं नियुक्त कर दिया जायगा; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या उस वचन को पूरा किया जा रहा है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था और न मद्रास के मुख्य मंत्री ने ऐसा कोई आश्वासन मांगा ही था। मुख्य मंत्री ने आंध्र राज्य के बन जाने पर अतिरिक्त हो गये कर्मचारियों को मद्रास राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में नियुक्त कर लिये जाने के मामले में सभी संभव सहायता दिये जाने की प्रार्थना की थी। उन्हों ने यह भी सुझाव दिया था कि इन कार्यालयों में दो महीने तक और नई भरती न की जाय जिस से कि उस अवधि में अतिरिक्त हुए कर्मचारियों की सूची तैयार की जा सके। यह सुझाव भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। मद्रास में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में दो महीनों के लिये भरती को रोक देने के हेतु १४ अक्टूबर, १९५३ को एक आदेश जारी किया गया था। ऐसे आदेश जारी किये गये थे जिन के अनुसार नौकरी दफ्तरों को यह निदेश दिये गये थे कि अतिरिक्त कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दिलाने में सहायता दी जाय।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या इन उम्मीदवारों को सेवायुक्त करने के लिये निर्धारित अवधि को, जो कि १५ दिसम्बर को समाप्त हो गई है, बढ़ाया जायगा ?

श्री दातार : माननीय सदस्य ने मेरी बात को ठीक से नहीं समझा है। मद्रास के मुख्य मंत्री तो दो महीने की अवधि उन अतिरिक्त कर्मचारियों की, वास्तविक संख्या

जिन की छंटनी किये जाने की संभावना थी, ज्ञात करने के लिए चाहते थे। वह अवधि दे दी गई है और सूची मिल जाने के बाद हम उसे मद्रास में सभी कार्यालयों में भेज देंगे जिस से कि यथा सम्भव अधिक से अधिक कर्मचारियों को नौकरी पर लगाया जा सके।

श्री टी० के० चौधरी : क्या सरकार को इस विभाजन के कारण अतिरिक्त हो गये कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई जानकारी है ?

श्री दातार : मद्रास सरकार से सूची प्राप्त हो जाने के बाद हमें वह संख्या ज्ञात हो जायेगी।

खेल-कूद

***१०७२. सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खेल-कूद का विकास करने के लिये सरकार ने क्या कार्य किये हैं ?

(ख) इस कार्य के लिये सरकार विभिन्न संगठनों को कितना धन दे रही है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) (क) सरकार देश में खेलकूद के विकास के लिये विभिन्न भारतीय खेल-कूद संस्थाओं को राष्ट्रीय युवक सम्मेलन के संगठन के द्वारा अनुदान दे कर तथा विभिन्न प्रकार के खेल-कूदों के सहयोजन के निमित्त एक राष्ट्रीय खेल-कूद नियंत्रण पर्षद की स्थापना को प्रोत्साहन दे कर अपेक्षित कार्यवाही कर रही है।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४**].

सरदार ए० एस० सहगल : किन खास खास खेलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : खेलों की तो बहुत लम्बी फेहरिस्त है, जो देशी खेल हैं उन को और जो विलायती खेल हैं उन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : वह खास खास खेलों के नाम जानना चाहते हैं।

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : इन सब को यहां बतलाना मुश्किल है।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह विदित है कि शिक्षा मंत्रालय का उपसचिव जिसे इंडियन ओलम्पिक एसोसियेशन का, जिस संस्था को सरकार धन देती है, एक सदस्य मनोनीत किया गया है सभाओं में प्रायः कहता रहता है कि सरकार उस के निजी प्रभाव के कारण ही इसे चला रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे यह ज्ञात नहीं है।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या खेल-कूद को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार को यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि संसद सदस्यों के एक दल को जिस में सरकारी अधिकारी भी हों पाकिस्तान, लंका और ब्रह्मा का दौरा करना चाहिये ?

श्री एन० एम० लिंगम : एक संस्था को योग सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य करने के लिए ७,५०० रुपये दिये गये हैं। मैं जान सकता हूं। कि क्या अनुसन्धान का परिणाम जनता को भी उपलब्ध हो सकेगा और जो योग सम्बन्धी अनुसन्धान किये जा रहे हैं उन का ठीक ठीक स्वरूप क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस के परिणाम अभी हमारे पास पहुंचे नहीं हैं।

मद्रास में प्रारम्भिक शिक्षा

***१०७३. श्री एन० एम० लिंगम :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि क्या केन्द्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड ने मद्रास राज्य में चालू की गई प्रारम्भिक शिक्षा की संशोधित योजना पर विचार किया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : जी नहीं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या केन्द्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड का इरादा इस योजना पर विचार करने का है ?

श्री के० डी० मालवीय : मद्रास के मुख्य मंत्री के कहने पर इस योजना का केन्द्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड द्वारा विचार किया जाना स्थगित कर दिया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या १०७४ (कुछ रुक कर) अगला प्रश्न ।

श्री झुनझुनवाला : श्रीमान्, मेरा प्रश्न— १०७४ ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का जब नाम लिया गया तो वह खड़े नहीं हुए ।। मुझे खेद है कि अब यह नहीं रखा जा सकता जब सारे प्रश्न समाप्त हो जायेंगे तो हम यह प्रश्न लेंगे ।

पेप्सू में चने का स्टाक

*१०७५. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब नागरिक रसद विभाग बन्द किया गया था तो पेप्सू सरकार के पास चने का कितना स्टाक था ?

(ख) इस स्टाक का क्या मूल्य था ?

(ग) ये स्टाक किन किन स्थानों में रखे हुए थे ?

(घ) नागरिक रसद विभाग का काम किसे सौंप दिया गया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) लगभग १,६८,८२० मन ।

(ख) लगभग १८,५७,०२० रुपये ।

(ग) विभिन्न जिलों की मंडियों में यह स्टाक मौजूद थे ।

(घ) मुख्यतः डिप्टी कमिश्नरों को ।

सरदार हुक्म सिंह : जब इन स्टाकों पर मोहर लगा दी गई थी तो सरकार द्वारा कितने स्टाक का आंशिक भुगतान कर दिया गया था ?

डा० काटजू : मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सत्य है कि उन स्टाकों में से, जिन के सम्बन्ध में आंशिक भुगतान कर दिया गया था, काफी मात्रा एक ही मूल्य पर ले ली गई थी तथा निजी व्यापारियों को बहुत अधिक मूल्य पर बेची गई ?

डा० काटजू : क्या माननीय सदस्य ऐसी जानकारी के लिये सूचना देंगे ? मुझे वास्तव में कुछ मालूम नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार को यह शिकायत मिली है कि सलाहकार ने कुछ स्टाक उठाने की अनुमति दे दी थी ताकि अधिक मूल्य पर बेच कर व्यापारी लाभ प्राप्त कर सकें तथा उस में से कुछ भाग कांग्रेस को अगले चुनाव के लिये मिल सके ?

डा० काटजू : कतई नहीं । यह सूचना कभी दोबारा नहीं पढ़ी जानी चाहिये ।

पेप्सू में वस्तुओं का मूल्य

*१०७६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नागरिक रसद विभाग के समाहार-कर्मचारियों द्वारा उन वस्तुओं के भाव निर्धारित किये गये थे जो समाहृत कर के पेप्सू के बाजारों में लाई गई थीं;

(ख) जब से यह विभाग पूर्णतः बन्द कर दिया गया है तब से क्या कोई एजेन्सी इस कार्य को कर रही है; तथा

(ग) पेप्सू के बाजारों से क्या कोई इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है कि उत्पादकों को उचित मूल्य से वंचित रखा जा रहा है क्योंकि उन का हित देखने वाली कोई एजेन्सी नहीं है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : भाव निर्धारित करने के लिये किस एजेन्सी को रखा गया है ?

डा० काटजू : प्रश्न यह था कि क्या कोई एजेन्सी इस कार्य को उस समय से कर रही है जब से यह विभाग पूर्णतः बन्द कर दिया गया था। उत्तर दिया गया है कि एजेन्सी कायम कर दी गई है ।

सरदार हुक्म सिंह : एजेन्सी क्या है ?

डा० काटजू : प्रश्न है : क्या बाजारों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है.....

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि कौन सी एजेन्सी नियुक्त की गई है ।

डा० काटजू : समाहार-निरीक्षक ।

नागरिक रसद विभाग, पेप्सू

*१०७७. **सरदार हुकम सिंह** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पेप्सू के नागरिक रसद विभाग को, परामर्शदाता द्वारा उस का उत्सादन किये जाने से पहले, क्या कार्य सौंपे गये थे;

(ख) क्या बाहरी काम करने वाले कर्मचारियों को टेकनिकल कार्यों के करने के लिये कोई प्रशिक्षण दिया गया था; तथा

(ग) क्या उन अधिकारियों या कर्मचारियों को, जिन्हें वही काम सौंपे गये थे, विभाग के समाप्त किये जाने के बाद से उसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) पेप्सू के नागरिक रसद विभाग के कार्य वही थे, जो अन्य राज्यों में, जहां खाद्यान्नों की मात्रा उन की जरूरत से ज्यादा है, इसी तरह के विभागों के होते हैं। संक्षेप में उस विभाग म एकाधिकार के आधार पर खाद्यान्नों के समाहार का, अनाज के स्थानीय रूप से बांटे जाने का तथा कमी वाले क्षेत्रों को अनाज के भेजे जाने का काम होता था । वह विभाग सीमेन्ट, नमक, बनास्पति तेल, दवाई, ईंट आदि वस्तुओं पर नियन्त्रण रखता था और उपभोक्ताओं में इन का वितरण नियमित करता था ।

(ख) जी हां ।

(ग) कुछ अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या स्टाक के संरक्षण और उन के नमूने लेने का काम भी नागरिक रसद विभाग को सौंपा गया था और क्या अब यह काम उस एजेन्सी द्वारा किया जाता है जिसे अन्य काम सौंपे गये हैं ?

डा० काटजू : मेरा ख्याल ऐसा ही है ।

सरदार हुक्म सिंह : नागरि के रसद विभाग को बन्द करने से पहले इस राज्य में स्टाक को धुआं देने (फ्यूमीगेशन) का जो काम किया जाता था, क्या वह अब हुआ है, यदि हां तो कब ?

डा० काटजू : आप का आशय फ्यूमीगेशन से है। मेरा मतलब 'धुएं' से था।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

आदिम जाति के लोगों के लिये मनीपुर राज्य में पदों का रक्षण

*१०७९. **श्री रिशांग किशंग** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मनीपुर सरकार की ऐसी नीति है कि मनीपुर की आदिम जातियों के लोगों के लिये कुछ प्रतिशत सरकारी पद रक्षित किये जायें ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): ऐसा करना आवश्यक नहीं है ।

श्री रिशांग किशिंग : इन लोगों के लिये कितने प्रतिशत सरकारी पद रक्षित किये जाते हैं ?

डा० काटजू : सदन को कुछ बातें जानने में दिलचस्पी हो । लगभग ८००० वर्ग मील क्षेत्र पहाड़ी है जहां कि आदिम जाति के लोग रहते ह । मैदानों के लोग इन पहाड़ों पर नहीं जाते । इसलिये पहाड़ों में जितनी जगह हैं उन पर मुख्यत: पहाड़ी लोग ही काम कर रहे हैं; इस समय मनीपुर शासन में नौकरी की सब श्रेणियों में पहाड़ी लोगों की प्रतिशतता १८.५ है, जो उन की संख्या के अनुपात से अधिक है । मैं स्वयं यह चाहता हूं कि वहां की नौकरियों में जितने अधिक पहाड़ी लोग लिये जा सकें, लिये जायें । मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा यदि उन्हें और अधिक जगहें दी जायें बशर्ते कि वे उचित रूप से शिक्षित हों ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह सच है कि वर्तमान मनीपुर सरकार पहाड़ी लोगों के लिये सरकारी पदों के रक्षित किये जाने के खिलाफ़ है ?

डा० काटजू : पहाड़ी लोगों के लिये पदों के रक्षण का कोई प्रश्न नहीं है । वास्तव म, उन्हें, उन की संख्या के अनुपात से अधिक जगहें मिली हुई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन का प्रश्न यह है कि क्या मनीपुर की सरकार रक्षण के विरुद्ध है ?

डा० काटजू : यह मुझे मालूम नहीं । मैं यहां मनीपुर सरकार का प्रतिनिधित्व करता हूं ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या माननीय मंत्री इस की जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

डा० काटजू : जी हां, ज़रूर ।

मनीपुर में देवदार उपजाने वाले क्षेत्र

*१०८०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) मनीपुर में देवदार उपजाने वाले इलाकों का कुल क्षेत्र, एकड़ों में;

(ख) स्थानीय लोगों द्वारा काम में लाये जाने वाले देवदार के क्षेत्रों का अनुपात ;

(ग) क्या स्थानीय सरकार मनीपुर में राल-उद्योग आरम्भ करने का विचार रखती है; तथा

(घ) क्या सरकार को पता है कि स्थानीय लोगों में इस प्रस्ताव के बारे में बहुत डर और सन्देह पैदा हो गया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) तथा (ख). जब तक देवदार के पेड़ों का पर्यालोकन और गणना पूरी नहीं हो जाती, तब तक देवदार उगाने वाले इलाक़ों के कुल क्षेत्र के बारे में सूचना नहीं दी जा सकती । यह काम इस समय हो रहा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं ।

त्रिपुरा में अराजकता

*१०८२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों में अराजकता फ़ैलने तथा अपहरण की घटनायें होने के समाचार मिले हैं ; तथा

(ख) यदि मिले हैं तो इस के कारण क्या हैं तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) तथा (ख). नहीं। एक विशेष दल के सदस्यों द्वारा कुछ छुटपुट समाज विरोधी कार्य किये जाने की सूचना सरकार को मिली है तथा इन की जांच की जा रही है।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या हम उन पार्टियों के नाम जान सकते हैं जिन पार्टियों का आप ने हवाला दिया है ?

डा० काटजू : अगर आप को इस के जानने से कुछ मसरत हासिल होगी तो जहां तक मुझे मालूम है कम्यूनिस्ट पार्टी का नाम आया है।

श्री रघुनाथ सिंह : कम्यूनिस्ट पार्टी की तरफ से वहां आतंक की कितनी घटनायें हुई हैं ?

डा० काटजू : इस वक्त ठीक तादाद तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पहले ज्यादा हुई थीं, अब उन का तरीका बेहतर होता जाता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो गिरफ्तार किये थे पर फिर इस लिये छोड़ दिये गये कि उन के विरुद्ध कोई मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता है ?

डा० काटजू : मुझे पता नहीं है। मुझे इस प्रश्न के लिये सूचना की आवश्यकता है, तभी मैं ठीक ठीक सूचना दे सकता हूं।

भोपाल में बरामद किये गये शस्त्र

***१०८३. पंडित सी० एन० मालवीय :** क्या राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविलयन के पश्चात, भोपाल राज्य के नागरिकों के पास, शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत, भूपाल राज्य द्वारा कब्जे में किये गये अनेक प्रकार के शस्त्रों की संख्या कितनी है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि इस प्रकार कब्जा किये गये अनेक शस्त्र सरकार के पास पड़े हैं और न तो सरकार ने इन शस्त्रों के स्वामियों के आवेदन पत्रों पर लाइसेंस प्रदान किये हैं और न उन के शस्त्र वापस किये हैं ?

(ग) यदि हां तो इस का कारण क्या है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) ८८२।

(ख) तथा (ग). ऐसे व्यक्ति, जो शस्त्र रखने के योग्य नहीं समझे गये उन को सूचित कर दिया गया कि छै मास के भीतर वे अपने अग्नि-अस्त्र वास्तविक लाइसेंस वालों को बेच दें। यह अवधि सितम्बर १९५३ में समाप्त हो गई। वे शस्त्र, जो मालिकों द्वारा नहीं बेचे जा सके, वे नियमानुसार, सरकार द्वारा जब्त कर लिये गये।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि खण्ड 'ख' तथा 'ग' राज्यों के ज़िलाधीशों को समस्त भारत के लिये लाइसेंस देने का अधिकार नहीं दिया गया है ?

डा० काटजू : मैं जानना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जिस प्रश्न की सूचना दी गई है उस से यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है। इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल भोपाल से है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : भोपाल खण्ड 'ग' राज्य

आसाम की शिक्षा संस्थाओं को जाने वाला अनुदान

***१०८४. श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या शिक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आसाम की किसी शिक्षा संस्था को अनुदान देती है ?

(ख) यदि हां तो वह संस्था कौन सी है तथा अनुदान की धनराशि कितनी है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां ।

(ख) १९५२–५३ में गौहाटी विश्व विद्यालय को निम्नलिखित अनुदान दिये गये थे :—

(१) भूगर्भ विज्ञान विभाग के लिये— ३५,००० रुपया ।

(२) पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत लोक-कथा अनुसन्धान के लिये (५,६०० रुपया आवर्ती तथा २,५०० रुपया अनावर्ती) —८,१०० रुपया ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या मैं जान सकता हूं कितना अनुदान मांगा गया था तथा कितना अनुदान संमोदित किया गया ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे यह नहीं मालूम कितना अनुदान मांगा गया था । जो अनुदान दिया गया उस के आंकड़े मैं दे चुका हूं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह तथ्य है कि आसाम विश्वविद्यालय, जो हाल ही में स्थापित किया गया है, उस के पास कोई उचित भवन इत्यादि नहीं है, और वह झोपड़ों से काम चला रहा है, जिस के कारण यह संस्था, उचित स्तर नहीं प्राप्त कर सका है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : इस बारे में आसाम की कोई दर्ख्वास्त गवर्नमेंट को नहीं मिली है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह तथ्य है कि आसाम में मानवविज्ञान का विषय अच्छी तरह पढ़ाया जा सकता है तथा क्या सरकार इस के लिये अनुदान देगी जिस से इस विषय की पढ़ाई वहां आरम्भ की जा सके ?

श्री के० डी० मालवीय : अनुदान की मांग रखना उन का काम है ।

सरकारी कर्जों का ब्याज

***१०८५. श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनेक राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये कर्जों पर दिये जाने वाले ब्याज की दर क्या है तथा विभिन्न राज्यों के दरों में असमानता हो तो उस का कारण क्या है ?

(ख) छोटे छोटे नियोजकों को पोस्टल सेविंग्ज़ सर्टीफिकेटों तथा ट्रेज़री सेविंग्ज़ सर्टीफिकेटों पर ब्याज किस दर से दिया जाता है ?

(ग) दरों के इस असमानता का क्या कारण है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) इस वर्ष विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी किये जाने वाले सरकारी कर्ज़े सभी ४ प्रतिशत सूद वाले हैं । फिर भी स्थानीय बाज़ार भाव के अनुसार निर्गम-मूल्य में विभेद था ।

(ख) परिपक्व होने तक बेचे न जाने वाले ७ वर्ष तथा १२ वर्ष वाले नैशनल सेविंग्ज़ सर्टीफिकेटों के ब्याज की वार्षिक दर अनुक्रमिक रूप से ३ '५७ प्रतिशत तथा ४ '१६ प्रतिशत

है तथा १० वर्ष वाले ट्रेज़री सेविंग्ज़ डिपाज़िट सर्टीफिकट के ब्याज की वार्षिक दर ३॥ प्रतिशत है ।

(ग) इस असमानता के कारण यह हैं कि नेशनल सेविंग्ज़ तथा ट्रज़री सेविंग्ज़ डिपाजिट सर्टोफिकेटों का ब्याज आयकर से मुक्त है, समय से पहले भुनाने की सुविधायें हैं यद्यपि ब्याज की दर कम हो जाती है तथा निर्धारित तथा पूर्वनिश्चित मूल्यों पर भुनाये जा सकते हैं जिन पर बाजार के उतार चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार की यह नीति नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों की बचत से लाभ उठाया जाये ?

श्री एम० सी० शाह : हम सारे देश में छोटी बचत के आन्दोलन करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार छोटी बचत वालों को उसी दर से ब्याज देने की कृपा करेगी जिस दर से बड़े कर्ज़े वालों को ब्याज दिया जाता है ?

श्री एम० सी० शाह : अन्य सुविधाओं को देखते हुए सरकारी कर्जों के ब्याज की दर की अपेक्षा, नेशनल सेविंग्ज़ सर्टीफिकेट के ब्याज की दर अधिक लाभदायक है ।

श्री टी० एन० सिंह : जब राज्य सरकारें सरकारी कर्ज़े वैयक्तिक रूप से जारी करती हैं तो क्या केन्द्रीय सरकार को, ब्याज की दरों की असमानता दूर करने के लिये, इन ऋणों के निर्गम को नियमित करने का अधिकार होता है ?

श्री एम० सी० शाह : साधारणतया ब्याज की दरों में कोई बड़ी समानता नहीं होती हैं । इस में कोई सन्देह नहीं कि सरकारी कर्ज़े जारी होने के पूर्व केन्द्रीय सरकार को उन्हें संमोदित करना पड़ता है । केन्द्रीय सरकार इन कर्ज़ों को रिज़र्व बैंक के परामर्श से संमोदित करती है ।

नौ सेना अनुसंधान प्रयोग शालायें

*१०८६. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई तथा कोचीन में नौ सेना अनुसन्धान की प्रयोग शालायें स्थापित कर दी हैं ?

(ख) यदि हां, वे कब से आरम्भ हुई थीं ?

(ग) क्या उन का संचालन पूर्ण रूप से भारतीय टेकनिकल कर्मचारियों द्वारा किया जाता है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख). अनुक्रमिक रूप से सितम्बर १९५२ तथा जुलाई १९५२ से बम्बई तथा कोचीन दोनों स्थानों में भारतीय नौ सेना से सम्बन्ध रखने वाले वैज्ञानिक कार्य तथा अनुसन्धान करने के लिये प्रयोगशालाय स्थापित कर दी गई हैं ।

(ग) इन प्रयोगशालाओं का संचालन भारतीय टेकनिकल कर्मचारियों द्वारा किया जाता है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन प्रयोगशालों के संस्थापन में कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री त्यागी : न तो प्रयोगशालाओं में अभी पूरे आदमी हैं और न उन में अभी पूरा सामान ही है । अभी उन को पूरा किया जा रहा है । फिर भी उन्हों ने कार्य आरम्भ कर दिया है और अभी उन में और अधिक नियोजन की आवश्यकता है । कुल कितना रुपया लगाने की आवश्यकता है इस के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत के अन्य भागों में अभी और प्रयोगशालायें आरम्भ की जायेंगी ?

श्री त्यागी : यह तो भविष्य के हाथ है। मैं तो वर्तमान समय की बात कर रहा हूं। अभी कोई और प्रयोगशाला आरम्भ करने की कोई योजना नहीं है। परन्तु यदि आवश्यकता हुई तो आरम्भ की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का घण्टा समाप्त हो गया।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

नागपुर के समीप विमान दुर्घटना

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास जाने वाला यानी विमान ११ दिसम्बर, १९५३ की रात को नागपुर के समीप टकरा गया था;

(ख) उस में यात्रा करने वाले यात्रियों, विमान चालकों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या;

(ग) मृत्यु संख्या;

(घ) टकराने का कारण; तथा

(ङ) सरकार तथा जनता को होने वाली हानि ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां श्रीमान्। दुर्घटना १२ दिसम्बर, १९५३ को ३ बज कर २६ मिनट पर हुई थी।

(ख) चालकों में से ४ तथा १० यात्री।

(ग) १३.

(घ) तथा (ङ). सरकार ने दुर्घटना की जांच, कारण तथा हानि का पता लगाने के लिये एक जांच न्यायालय की नियुक्ति की है जिस का पता तभी चलेगा जब कि न्यायालय इस की जांच-पड़ताल कर के अपना निर्णय कर लेगा।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि नागपुर से चलते समय विमान की यथोचित परीक्षा कर ली गई थी ?

श्री राज बहादुर : इस विमान को उसी रात बम्बई में १० बजे दैनिक निरीक्षण का प्रमाणपत्र मिल गया था।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या इस कथन में कुछ सत्यता है कि विमान चालक नशे में बुरी तरह चूर था ?

श्री राज बहादुर : नहीं श्रीमान्। हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। वास्तव में यदि किसी प्रकार यह प्रश्न उत्पन्न भी होता है तो जांच न्यायालय उस का पता लगायेगा।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या विमान चालक ने कोई बयान दिया है तो उस के कथनानुसार दुर्घटना का कारण क्या है ?

श्री राज बहादुर : बयान जांच न्यायालय द्वारा लिया जायगा जिस की पहले से ही यथोचित नियुक्ति की जा चुकी है।

श्री एन० सी० चटर्जी : तो क्या मैं यह समझूं कि विमान चालक से अभी तक कोई बयान नहीं लिया गया है ?

श्री राज बहादुर : जांच न्यायालय से अभी तक कोई बयान नहीं लिया गया है।

श्री कासलीवाल : दुर्घटना वाली किस्म के कितने डैकोटा आज भी कार्य कर रहे हैं।

श्री राज बहादुर : आज लगभग सत्तर डैकोटा कार्य कर रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय मंत्री ने बताया कि बयान जांच न्यायालय द्वारा लिया जायेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि वे अधिकारी जो उस दिन नागपुर गये, केवल स्थिति देखने के लिये गए थे अथवा कुछ सूचना प्राप्त करने के लिये ?

श्री राज बहादुर : ऐसी दुर्घटनाओं की जांच नियमानुसार एक नियमित जांच न्याया-

...त्र द्वारा की जाती है, तथा न्यायालय के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे बयान लेने का अधिकार नहीं है। और फिर भी यदि लोग अनौपचारिक प्रश्न रखते हैं अथवा कोई सूचना चाहते हैं तो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा सकता क्योंकि उस से विप्रश्न का पूर्व निर्णय किया जा सकता है अथवा उस न्यायालय की अवज्ञा हो सकती है जिस की नियुक्ति यथाविधि की जा चुकी है।

श्री जोकीम आल्वा : क्या यह सच है कि प्रत्येक विमान चालक को तीन माह में एक बार परीक्षा देनी पड़ती है, परीक्षा इस बात की कि वह एक इंजन को चलाये बिना कार्य कर सकता है, तथा इस विमान चालक ने किसी न किसी कारणवश पिछले तीन माहों से कोई परीक्षा नहीं दी थी; तथा यदि इस परीक्षा के अनुसार कार्य नहीं किया जाता है, तो क्या सरकार उन अधिकारियों को दण्डित करने अथवा जेल भेजने की कार्यवाही करेगी जो इस के लिये उत्तरदायी हैं?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कुछ चीज़ों की कल्पना करते हैं तथा सुझाव देते हैं। उन के पूछने का तात्पर्य यह है कि क्या इस विमान चालक विशेष ने परीक्षा दी थी?

श्री जोकीम आल्वा : वह प्रथम भाग का उत्तर दे सकते हैं।

श्री राज बहादुर : उस विमान चालक विशेष के सम्बन्ध में अभी तक कोई ऐसा आरोप हमारी सूचना में नहीं लाया गया है। यदि इस प्रकार का कोई कथन दिया जाता है तो उस की यथोचित जांच की जायेगी।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या हम कोर्ट आफ इन्क्वायरी के मेम्बरों का नाम जान सकते हैं, जिन को कि काम दिया गया है?

श्री राज बहादुर : (१) श्री एन० एस० लोकूर, सभापति, रेल भाड़ा न्यायाधिकरण तथा सभापति, वायु यातायात लाइसेंस मण्डल, (२) श्री एम० जी प्रधान, नागरिक उड्डयन के उप महा-संचालक, तथा (३) एअर इण्डिया इन्टरनेशनल के कैप्टेन के० विश्वनाथ इस में प्रथम न्यायालय है तथा अन्य दोनों कर-निर्धारक हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं डैकोटा की आयु तथा उस के उड़ने के घंटों की संख्या, जितने घंटे वह उड़ाया जा चुका है, जान सकती हूं?

श्री राज बहादुर : वास्तव में घंटों की संख्या इंजन पर लागू की जाती है, जो इस मामले में पहले ही पूरी की जा चुकी है। पिछली सी० एफ० ए० मरम्मत से अब तक बायां इंजन ४३४ घंटे तथा दाहिना इंजन २५६ घंटे कार्य कर चुका है।

श्री राधेलाल व्यास : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अभी तक कोर्ट आफ़ इन्क्वायरी ने काम शुरू नहीं किया और अगर शुरू नहीं किया तो कब से शुरू करने जा रही है?

श्री राज बहादुर : कोर्ट आफ इन्क्वायरी की घोषणा कल की गई है और वह तुरन्त अपना काम आरम्भ कर देगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मामलों को जांच-न्यायालय के निर्णय पर ही छोड़ दिया जा सकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मल्लाहों, सैनिकों तथा वैमानिकों का जिला बोर्ड

*१०५९. **श्री पुन्नूस :** (क) क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में मल्लाहों, सैनिकों तथा वैमानिकों के जिला बोर्ड के कर्मचारियों को वर्ष १९५०–५१ तथा १९५१–५२ तक के देयों का भुगतान नहीं किया गया है?

(ख) यह क्या सच है कि पिछले छः वर्षों से उत्तर प्रदेश में मल्लाहों, सैनिकों तथा वैमानिकों के जिला बोर्डों के सचिवों को कोई वृद्धियां स्वीकृत नहीं की गई हैं ?

(ग) यदि ऐसा है तो वेतन तथा वृद्धि के अवशिष्ट के भुगतान में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) डी० एस० एस० तथा वैमानिक मण्डल के कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष १९५१–५२ के तीन महीनों तथा १९५२-५३ के वित्तीय तीन महीनों का भुगतान नहीं किया गया है ।

(ख) हां ।

(ग) मण्डलों पर होने वाला व्यय सामान्यतः केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर बांट लिया जाता है । केन्द्र ने अपने पूरे अंश का भुगतान कर दिया है किन्तु उ० प्र० सरकार वित्तीय कारणोंवश कुल व्यय का एक चौथाई से अधिक नहीं दे सकी है । उत्तर प्रदेश सरकार का विचार है कि शेष एक-चौथाई का भुगतान उत्तर प्रदेश युद्धोपरान्त सेवा पुनर्निर्माण निधि से किया जाये किन्तु उस निधि के न्यासधारी इस व्यय को निधि के उद्देश्यों के अधिकार के बाहर मानते हैं । मामला अभी विचाराधीन है ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये वैनाद बस्ती

*१०६०. **श्री पुन्नूस** : (क) क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य में भूतपूर्व सैनिकों की वैनाद बस्ती में मूलतः कितने भूतपूर्व सैनिक बसाये गए थे ?

(ख) तब से अब तक उन में से कितनों ने बस्ती को छोड़ दिया है ?

(ग) उन के बस्ती छोड़ने के क्या कारण हैं ?

(घ) पिछले पांच वर्षों में उस बस्ती पर भारत सरकार का कुल कितना व्यय हुआ है तथा प्रशासनीय व्यय कितना है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) १७४७.

(ख) ३००.

(ग) मुख्य कारण ये हैं :

(१) पहाड़ी भूमि में कृषि कार्यों के करने का अपर्याप्त अनुभव ।

(२) जलवायु सम्बन्धी स्थितियों तथा उस क्षेत्र के जीवन की कठिनाइयों के अनुकूल अपने आप को बनाने की अयोग्यता ।

(घ) मद्रास सरकार द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि, जिस में १०,७३,४१९ रु० ६ आ० ० पाई प्रशासन सम्बन्धी व्यय भी सम्मिलित है, २६,५८,९४२ रु० ६ आ० ३ पाई है । इस के साथ ही २८,२५,७४५ रु० ९ आ० ६ पाई मद्रास राज्य की युद्धोपरान्त पुनर्निर्माण निधि में से व्यय किये जा चुके हैं ।

राजनीतिक पेंशनें

*१०६१. **श्री एम० आर० कृष्णा** : क्या **राज्य मंत्री** प्राचीन शासक परिवारों जैसे (१) कर्नाटक जीवन-वृत्तियां; (२) मलाबार मलिखाना; तथा (३) बरार के देशमुखों तथा देशपांडों की पेंशनें, जो उन को राजनीतिक पेंशनों के रूप में दी जाने वाली राशि हैं, बताने की कृपा करेंगे ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (१) १,७५,५०० रु० (लगभग) प्रति वर्ष ।

(२) २,९४,००० रु० लगभग प्रति वर्ष ।

(३) १,८२,००० रु० प्रति वर्ष ।

सैन्य चिकित्सा दल

***१०६३. श्री ए० के० गोपालन :** (क) क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रेगुलर कमीशनों तथा पेंशनों को स्वीकार करने के मामले में, सैन्य चिकित्सा दल में कार्य करने वाले लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों तथा उपाधि-प्राप्त लोगों के साथ वे ही नियम लागू नहीं किये गये हैं ?

(ख) वर्ष १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में उपाधि-प्राप्त लोगों की तुलना में उन लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों की क्या संख्या है जिन को रेगुलर कमीशन स्वीकृत कर दिये गए हैं ?

(ग) सैन्य चिकित्सा दल में लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों की कुल कितनी संख्या है?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) ए० एम० सी० में स्थायी रेगुलर कमीशन के लिये आवेदन पत्र भेजने के लिये केवल मान्यता प्राप्त स्नातक योग्यता के अधिकारी ही उपयुक्त हैं; किन्तु वे लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति जो भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक योग्यता के समकक्ष योग्यता रखते हैं, वे भी इस के लिये उपयुक्त हैं। ऐसे लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति जो पी० आर० सी० के लिये आवेदनपत्र भेजते हैं उन का इंटरव्यू भी, स्थायी चनाव-मण्डल, उपाधि-प्राप्त लोगों के साथ ही दोनों में बिना किसी प्रकार का विभेद किये, करता है ।

पेंशन सम्बन्धी नियमों के मामले में इस कारण कोई विभेद नहीं किया जाता है कि कोई व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त किये हुए है, उपाधि प्राप्त किये नहीं ।

(ख) किसी भी लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक को वर्ष १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में ए० एम० सी० में कोई पी० आर० सी० की स्वीकृति नहीं दी गई है, क्योंकि चुनाव मण्डल ने उन को इस के उपयुक्त नहीं समझा है । उसी समय में ४१ उपाधि-प्राप्त व्यक्तियों को पी० आर० सी० स्वीकृत किया गया था ।

(ग) वर्तमान में ए० एम० सी० में लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों की कुल संख्या ८५ है । जिस में निम्न व्यक्ति हैं :

६८ ई० सी० अधिकारी जिन की योग्यता भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९३३ के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है, तथा १७ एस० एस० आर० सी० अधिकारी जिन की योग्यता को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है ।

जीवन बीमा पालिसियों में अतिपत्तियां

***१०६४. श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय समवायों द्वारा सन् १९५२ में किये गये भारत में व्यापार के सम्बन्ध में जीवन बीमा पालिसियों में अतिपत्तियां होने का अनुपात; तथा

(ख) उसी अवधि में ब्रिटिश समवायों द्वारा भारत में किये गये व्यापार के सम्बन्ध में जीवन बीमा पालिसियों में अतिपत्तियां होने का अनुपात ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख) बीमा करने वालों के द्वारा सन् १९५२ का लेखा विवरण ३० सितम्बर, १९५३ तक दिया जाना चाहिये था, और क्योंकि कई बीमा करने वाले अपने विवरण बीमा विभाग को देरी से भेजते हैं, इसलिये सन् १९५२ में हुई अतिपत्तियों का अनुपात अभी उपलब्ध नहीं है ।

शिल्पिक व्यक्ति

***१०६५. श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के वैज्ञानिक तथा शिल्पिक व्यक्तियों की राष्ट्रीय यंत्री के संकलन के पश्चात क्या सरकार ने देश में उपलब्ध भारतीय शिल्पिक व्यक्तियों को उपयोग में लाने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

(ख) यदि हां, तो उन में से कितने व्यक्तियों को अब तक सेवायुक्त किया गया है, और कहां ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५.**] ।

ठेकों का नियमन और नियंत्रण

***१०७४. श्री झुनझुनवाला** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में ठेकों के नियमन और नियंत्रण के लिये कोई विधेयक प्रस्तुत करने का विचार रखती है ?

(ख) यदि हां, तो कब ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) जी, हां ।

(ख) जितनी जल्दी संभव हो सके ।

बीमा समवायों को छूट

***१०७८. श्री बहादुर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने बीमा अधिनियम, १९३८, की धारा ६४ के अधीन सामान्य बीमा कार्य करने वाले कुछ बीमा समवायों को स्थायी आधार पर छूट देने का निर्णय कर लिया है ?

(ख) यदि नहीं, तो वे कौन से कारण हैं जो सरकार को अब तक दी गई अस्थायी छूटों को बराबर बढ़ाने के लिये बाध्य करते हैं ; तथा

(ग) क्या सरकार के ध्यान में एसे कोई मामले लाये गये हैं, जिन में कुछ समवायों द्वारा इन छूटों का अनेक भ्रष्टाचारों जैसे परस्पर रजामंदी से भाव कम कर देना आदि के द्वारा दुरुपयोग किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अस्थायी छूटें केवल इसीलिये बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि दीर्घकालीन आधार पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) जी, नहीं; परन्तु तटकर बीमा समवायों द्वारा कुछ अतटकर बीमा कम्पनियों द्वारा किये गये कुछ भ्रष्टाचारों के विषय में कुछ आरोप लगाये गये हैं ।

हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड

***१०८१. श्री नम्बियार** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट के निदेशक मण्डल के सदस्य भारत सरकार और मद्रास राज्य द्वारा नामनिर्देशित किये जाते हैं ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड के जनरल मैनेजर की नियुक्ति भारत सरकार की स्वीकृति के साथ निदेशक मण्डल द्वारा की जाती है; तथा

(ग) क्या फ़ैक्टरी का मुख्य कार्य रक्षा मंत्रालय सम्बन्धी कार्य है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग). जी, हां ।

दवाइयों के भण्डारों का पुनर्श्रेणीकरण

*१०८७. श्री के० सुब्रह्मण्यम् : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दवाइयों पर किये गये खर्च पर देशी वस्तुओं के रूप में बाहर से मंगवाई गई दवाइयों के पुनर्श्रेणीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : युद्ध समय के अतिरेकों के अधिकाधिक संग्रहों के होने के कारण "आयात की गई" की बजाय "देशी" रूप में पुनर्श्रेणीकृत दवाइयों के बहुत से मदों में कारण, पिछले दो वर्षों में इन मदों के लिये केवल बहुत कम मांग की गई, और इस लिये पुनर्श्रेणीकरण के कारण अब तक केवल विदेश विनिमय की बहुत कम बचत हुई है । जब तक कि अतिरिक्त दवाइयां समाप्त नहीं हो जाती हैं, और पूर्णरूपेण मांगें आवश्यक नहीं हो जाती हैं, इन दवाइयों के समाहार पर हुए खर्चे पर पुनर्श्रेणीकरण के पूर्ण प्रभाव का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

सशस्त्र सेना में असैनिक पद

*१०८८. श्री के० सुब्रह्मण्यम् : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सशस्त्र सेना में उन असैनिक पदों की संख्या, जिन को सन् १९५२-५३ में स्थायी रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था;

(ख) सशस्त्र सेना में अस्थायी असैनिक कर्मचारियों की संख्या; तथा

(ग) कितने अस्थायी असैनिक कर्मचारियों ने विभाग में एक वर्ष से अधिक समय तक सेवा की है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में आय व्यय अनुदान

*१०८९. डा० राम सुभग सिंह : (क) क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री के २२ नवम्बर, १९५३ के दिल्ली के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित हुए, उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिस में कहा है कि गत वर्ष हिमाचल प्रदेश में ३० लाख रुपये के आय-व्यय अनुदानों की अतिपत्ति हो गई, और इतनी ही रकम की अतिपत्ति इस वर्ष हो जायेगी क्योंकि प्रत्येक परियोजना, प्रस्थावना अथवा योजना को स्वीकृति के लिये केन्द्र को एक बार नहीं अपितु कई वार, प्रस्तुत करना पड़ा है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस देरी को समाप्त करने के लिये कोई कार्यवाही करना चाहती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार भाग ग में के राज्यों से प्राप्त हुई प्रस्थापनाओं पर शीघ्र विचार किये जाने की आवश्यकता को पूर्णतया अनुभव करती है और इस मामले में उपयुक्त निर्देश दे दिये गये हैं। राज्य सरकारों से भी योजनाओं के लिये आय-व्यय का उपबन्ध करने से पूर्व समस्त आवश्यक जांच कार्य करने तथा अन्य प्रारम्भिक बातों को पूरा करने के लिये कहा गया है ।

नीदर लैंड्ज व्यापार मंडल

*१०९०. { श्री गिडवानी :
श्री जेठालाल जोशी :

(क) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान प्रेस की इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है, कि एक ब्रिटिश बैंक ने भारत स्थित नीदरलैंड्ज व्यापार मंडल की शाखाओं को अपने स्वामित्व

में ले कर भारत में अपनी कार्यवाइयों को बढ़ाने का निश्चय किया है ?

(ख) क्या इस प्रकार की अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिये भारत के रिज़र्व बैंक को कोई आवेदन-पत्र दिया गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । भारत के रिज़र्व बैंक द्वारा इस बैंक को भारत में बैंकिंग व्यापार करने और बम्बई तथा कलकत्ता में अपनी शाखा खोलने के लिये अनज्ञप्तियां जारी की गई हैं ।

भूतपूर्व सैनिकों को जागीरें

***१०९१. श्री संगण्णा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि पंजाब तथा पैप्सू की सरकारों ने उन व्यक्तियों को, जिन के तीन अथवा अधिक पुत्र/पुत्रियां द्वितीय विश्व-युद्ध में सशस्त्र सेना में भर्ती हुए थे, अथवा उन को कमीशन मिला था, जागीरें देने की योजनायें मंजूर की हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो उन माता पिताओं के लिये जिन्हों ने सशस्त्र सेना में अपने तीन से कम पुत्र/पुत्रियां भेजी थीं क्या उपबन्ध रखा गया है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी, हां, नकद इनाम के रूप में ।

(ख) कुछ नहीं । यदि कुछ उपबन्ध किया जाएगा, तो वह राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा ।

सैनिक

***१०९५. श्री भक्त दर्शन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रिज़र्व में रहते समय सैनिकों के वेतन में कुछ वद्धि करने की बात पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; तथा

(ग) उन सैनिकों को, जिन्हें रिज़र्व में भेजा जाता है, नागरिक विभागों में उपयुक्त वैकल्पिक नौकरियां दिलाने के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख). रिज़र्व वेतन की वर्तमान दरों को बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) राज्य सरकारों से भूतपूर्व सैनिकों को पुलिस, आबकारी, ओगम शुल्क, वाच ऐंड वार्ड, वन तथा अन्य विभागों में, जहां सैनिक प्रशिक्षण एक विशेष योग्यता समझी जाती है, तथा सामदायिक परियोजना प्रशासन के अधीन रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां करने में प्राथमिकता देने के लिये कहा गया है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा

***१०९३. श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या गृह-कार्य मंत्री सन् १९५२ तथा १९५३ में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में चुने गये व्यक्तियों की सम्पूर्ण संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) उन में से कितनों को उन के स्वयं के राज्यों के स्थान पर अन्य राज्यों को आवंटित किया गया ?

(ग) क्या ऐसे आवंटनों के विरुद्ध सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा अथवा राज्य सरकारों द्वारा कोई प्रतिनिधान किये गये थे तथा उन के क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क)

	१९५२	१९५३	योग
भारतीय प्रशासनिक सेवा	६० (आपाती रूप से भरती किये गये २२ व्यक्तियों सहित)	३२	९२
भारतीय पुलिस सेवा	६९ (आपाती रूप से भरती किये गये ३१ व्यक्तियों सहित)	३७	१०६
(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा	..	..	६५ (आपाती रूप से भरती किये गये १८ व्यक्तियों सहित)
भारतीय पुलिस सेवा		..	४१ (आपाती रूप से भरती किये गये २६ व्यक्तियों सहित)

(ग) इन आवंटनों के विरुद्ध सम्बद्ध अधिकारियों से पांच प्रतिनिधान प्राप्त हुए थे। इन में से दो स्वयं उन के राज्यों के स्थान पर अन्य राज्यों को आवंटित किये जाने के विरोध में थे। शेष तीन में उन राज्यों की अपेक्षा जिन को वह अधिकारी अवंटित किये गये थे, अन्य राज्यों के लिए अपनी इच्छा प्रकट की थी। इन में से चार प्रतिनिधान अस्वीकृत कर दिये गये हैं तथा पांचवें पर विचार किया जा रहा है।

यह आवंटन राज्य सरकारों के परामर्श से किये जाते हैं। इसलिये इन आवंटनों के विरुद्ध राज्य सरकारों द्वारा प्रतिनिधान किये जाने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

संघ लोक सेवा आयोग

*१०९४. **श्री रणदमन सिंह** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित बहुत से पदों के लिए इंटरव्यू उन के विज्ञापित होने के डेढ़ दो वर्ष बाद हुआ करता है, तथा कुछ मामलों में इन्टरव्यू के बाद भी रिक्त स्थान भरे नहीं जाते हैं; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ख). सरकार को ऐसे किन्हीं मामलों का पता नहीं है। परन्तु संघ लोक सेवा आयोग से सूचना मांगी गई है और उस के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। सरकार को पूर्ण विश्वास है कि आयोग उन रिक्त स्थानों के लिए जिन को विज्ञापित किया जाता है, भरती करने की प्रणाली में तीव्रता लाने के भरसक प्रयत्न करेगा।

युद्धोपकरण डिपो, गुड़गांव

*१०९५. **डा० सत्यवादी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) युद्धोपकरण डिपो, गुड़गांव में स्थायी तथा अस्थायी कामकरों की संख्या क्या है ;

(ख) इन में से अनुसूचित जातियों से सम्बन्ध रखने वाले कामकर कितने हैं ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि इस महीने के आरम्भ में इस डिपो में छंटनी हुई है ; तथा

(घ) अनुसूचित जातियों से सम्बन्ध रखने वाले छंटे हुए कामकरों की संख्या क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) स्थायी—कोई नहीं

अस्थायी—४९६ ।

(ख) ३० ।

(ग) जी हां ।

(घ) १० ।

त्रिपुरा में गिरफ्तारियां

४८०. श्री दशरथ देव : (क) क्या राज्य मंत्री सन् १९५२ तथा १९५३ में त्रिपुरा राज्य में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) उन में से कितनों को अभियोग-पत्र (चालान) दिये गये तथा उन में से कितनों के अभी तक चालान नहीं किये गये हैं ?

(ग) उन व्यक्तियों की संख्या (पृथक् पृथक्) कितनी है (१) जो पहले ही दण्ड पा चुके हैं, (२) जिन के मामले अभी निलम्बित हैं (३) जो छोड़ दिये गये हैं, तथा (४) जिन के मामले न्यायालयों में निपटा दिये गये हैं ?

(घ) कितनी गिरफ्तारियां भूमि सम्बन्धी झगड़ों के कारण की गई थीं ?

(ङ) कितनी गिरफ्तारियां राजनैतिक अपराधों के लिए तथा कितनी अन्य दंड्य अपराधों के लिए की गई थीं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) ३२४९. ।

(ख) १९२६ व्यक्तियों के विरुद्ध चालान भेज दिये गये हैं और १६७ को अभी चालान किया जाना है ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(घ) ७६५ व्यक्ति ।

(ङ) ७२ व्यक्ति राजनैतिक अपराधों के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये थे तथा २४१२ व्यक्ति दंड्य अपराधों के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये थे ।

लारैन्स स्कूल, लवडेल

४८१. श्री एन० एम० लिंगम : (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लारैन्स स्कूल, लवडेल कब भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्तशासी निकाय को सौंपा गया ?

(ख) उक्त स्वायत्तशासी निकाय का संविधान है ?

(ग) क्या उक्त संविधान को कभी भी जब से वह बनाया गया है संशोधित किया गया है ?

(घ) यदि किया गया है, तो कब तथा किन मामलों के सम्बन्ध में ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) १ सितम्बर, १९५२ ।

(ख) प्रशासनिक पर्षद् के यह सदस्य हैं :—

(१) सचिव भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, सभापति ।

(२) सचिव भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, कोशाध्यक्ष ।

(३) सचिव भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, तथा

(४) भारत सरकार द्वारा नाम निर्देशित चार और सदस्य ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

युनैस्को से सहकारिता करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग

४८२. **श्री एस० एन० दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भाषा सम्बन्धी महत्वपूर्ण संगठनों तथा महत्वपूर्ण चलचित्र परिषदों को यूनैस्को के साथ सहकारिता करने के हेतु उन को भारतीय राष्ट्रीय आयोग की सहकारी सदस्यता प्रदान किये जाने के प्रश्न पर विचार किया गया है तथा उस के सम्बन्ध में कोई निर्णय किये गये हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो अब तक किन किन भाषा संगठनों को सहकारी सदस्य स्वीकार किया गया है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६**]

राष्ट्रीय त्यौहार

४८३. **श्री राधा रमण** : (क) क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में प्रति वर्ष कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाये जाते हैं ?

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक त्यौहार पर कितनी राशि खर्च की जाती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती ये तीन राष्ट्रीय त्यौहार मनाये जाते हैं ।

(ख) १९५३ में निम्न प्रकार से खर्च हुआ था :

१. गणतंत्र दिवस---१,६५,८११ रु० १३ आ० ३ पा० ।

२. स्वतंत्रता दिवस---१२,०९६ रु० १५ आ० ० पा० ।

३. गांधी जयंती---३०० रु० ।

रिजर्व बैंक की लेखा परीक्षा सार्थें

४८४. **डा० एम० एम० दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिज़र्व बैंक प्रत्येक वर्ष अपनी तीन सार्थों को अलग अलग कितनी फ़ीस देता है; तथा

(ख) क्या लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करते समय नियंत्रक महालेखा परीक्षक की राय ली जाती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) प्रत्येक को ७५०० रुपये ।

(ख) जी नहीं ।

बम्बई नौ प्रांगण का विकास

४८५. **श्री नानादास** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई नौ प्रांगण के विकास में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : अगले १५ सालों में ५ प्रक्रमों में नौप्रांगण का विकास करने का विचार है । आशा है कि पहला प्रक्रम शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा और १९५८ में पूरा हो जाएगा । इस के अनुसार कुछ भूमि का पुनःप्रायण होगा, नये घाट बनाये जायेंगे तथा बेलाई पायर और वर्तमान प्रांगण के बीच नया ड्राई डाक बनाया जायेगा ।

प्रथम प्रक्रम के कामों को करने के लिये टेंडर बुलाये गये हैं तथा उन की जांच की जा रही है ।

'आंशिक शोधन' गेहूं संग्रह

४८६. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पेप्सू के सिविल सप्लाई विभाग तोड़ने की तारीख को सरकार के पास 'आंशिक शोधन' किए गए गेहूं संग्रह की कितनी राशि थी ?

(ख) कितने स्थानों में यह गेहूं संग्रहीत किया गया है तथा उन के नाम क्या हैं ?

(ग) इस गेहूं का मूल्य कितना है ?

(घ) इस संग्रह की सुरक्षा तथा परिक्षण करने का काम जिन पदाधिकारियों को सौंपा गया है उन को क्या कोई प्रशिक्षण दिया गया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) लगभग ७,८६,०५६ मन ।

(ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७]

(ग) लगभग ९४,३२,६७० रुपये ।

(घ) जी हां ।

विशेष पुलिस स्थापना मामलों में प्राप्त अर्थदण्ड

४८७. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विशेष पुलिस स्थापना के मामलों में १९४७ से प्रति वर्ष अर्थदण्ड के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई ह ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं जिस में बतलाया गया है कि विशेष पुलिस ने जिन मामलों में अभियोग चलाया उन में कितना अर्थदण्ड आरोपित किया गया । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८]

इन में से कितनी राशि वास्तव में वसूल की गई इस की सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है । 'न्याय का प्रशासन' राज्यों का विषय है तथा ये अर्थदण्ड राज्यों के खजानों में जमा कर दिये जाते हैं ।

पाकिस्तानी प्रतिभूतियां (विक्रय)

४८८. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १७ सितम्बर १९४९ से ३० सितम्बर १९५३ तक रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने कितनी राशि की पाकिस्तानी प्रतिभूतियां बेची हैं ? उनका पूण व्यौरा भी दीजिए ।

(ख) ये किन को, कब और किस दर पर बेची गई हैं ?

(ग) क्या खरीदने वालों ने ये प्रतिभूतियां पाकिस्तान भेजी थीं ?

(घ) यदि हां, तो इन का मूल्य भारत में किस प्रकार प्राप्त हुआ ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (घ). रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के विपणन कार्य गोपनीय होते हैं । वे नहीं बताये जा सकते ।

काजुओं से पौष्टिक पेय पदार्थ

४८९. **श्री सी० आर० इय्युनी :** क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मैसूर राज्य स्थित केन्द्रीय खाद्य गवेषणा केन्द्र में काजू के फल के रस से पौष्टिक पेय पदार्थ बनाया गया है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : जी हां ।

फाऊंटेनपेनों तथा घड़ियों का चोरी छिपे आयात

४९०. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के कस्टम अधिकारियों ने नवम्बर, १९५३ के पहले सप्ताह में केवल

बम्बई के बाज़ारों में एक लाख फाऊंटेनपेन तथा ४०० "स्विस-मेड" घड़ियां बरामद की हैं ;

(ख) क्या ये घड़ियां चोरी छिपे भारत में लाई गई थीं ;

(ग) क्या भारत के अन्य बन्दरगाहों से भी इसी तरह का माल बरामद किया गया है ; तथा

(घ) क्या इस वर्ष की गत तिमाही में चोरी छिपे माल लाने की घटनाओं में तुलनात्मक रूप से वृद्धि हुई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) नवम्बर, १९५३ के पहले सप्ताह में १ लाख रुपये के मूल्य के लगभग ५५ हज़ार फाऊंटेनपेन तथा फाऊंटेनपेन के पुर्ज़ों की छः पेटियां और १५,००० रुपये के मूल्य की ३८९ घड़ियां बरामद की गईं ।

(ख) बरामद की गई घड़ियां चोरी छिपे आयात की गई मालूम पड़ती हैं ।

(ग) कस्टम अधिकारियों ने चोरी छिपे आयात की गई घड़ियां बम्बई के अलावा मद्रास, कोचीन, कलकत्ता तथा अन्य स्थानों में भी बरामद की हैं ।

(घ) मालूम पड़ता है कि सिवाय बम्बई के सब स्थानों में चोरी छिपे माल लाने की घटनाओं में साधारणतः कमी हो रही है ।

सीमा-कर

४९१. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२-५३ में कितनी राशि सीमा-कर के रूप में प्राप्त हुई ?

(ख) इस में से रेलवे से कितना प्राप्त हुआ ?

(ग) इस कालावधि में प्रस्थापना-व्यय कितना हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (ग). जानकारी विभिन्न राज्य सरकारों तथा रेलवे प्रशासन से प्राप्त की जानी है । यह प्राप्त होने पर एक विवरण सदन-पटल पर रखा जायेगा ।

केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड

४९२. **श्री वीरस्वामी :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की बैठक हाल ही में नई दिल्ली में हुई ?

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा हुई ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां ।

(ख) कार्यावली का मुख्य विषय था सहायक-अनुदान सम्बन्धी प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार करना ।

विदेशी सरकारों को पेशगी

४९३. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५३-५४ में यदि किन्हीं विदेशी सरकारों को पेशगियां दी गई हों तो उन के नाम क्या हैं और प्रत्येक को कितनी राशि दी गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : १९५३-५४ में अब तक किसी विदेशी सरकार को कोई पेशगी नहीं दी गई है ।

राष्ट्रपति तथा मंत्रियों के लिये विशेष वायुयान

४९४. **श्री गिडवानी :**
श्री आर० एन० सिंह :

(क) क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दो विशेष वायुयान—राष्ट्रपति के लिए एक और

मंत्रियों तथा पदाधिकारियों के लिए एक--- खरीदने के लिये आर्डर दिया गया है ?

(ख) क्या यह सच है कि मंत्रियों तथा सरकारी पदाधिकारियों के प्रयोग के लिये जो वायुयान खरीदा जाना है उस में चालीस यात्रियों के लिये स्थान होगा ?

(ग) यदि हां, तो दोनों वायुयानों का मूल्य कितना होगा ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) वायुसेना प्रधान कार्यालय संचरण गुल्म (स्क्वाड्रान) द्वारा अतिप्रमुख कर्मचारिवृन्द (वी० आई० पी०) के लिये जो उड़ानें की जाती हैं उन में डेकोटा वायुयानों के स्थान पर प्रयोग करने के लिये दो वाईकर्स वाई-काऊंट वायुयानों के लिये आर्डर दिया गया है। यह वायुयान राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा अन्य अतिप्रमुख कर्मचारिवृन्दों के उपयोग के लिये हैं।

(ख) एक वायुयान सामान्य आकार का होगा और इस में ४० यात्रियों के लिये स्थान होंगे। दूसरे वायुयान के आकार में अतिप्रमुख कर्मचारिवृन्द की अपेक्षाओं के अनुसार परिवर्तन किया जायेगा।

(ग) (१) सामान्य प्रकार के वायुयान का मूल्य---३१.५३ लाख रुपये।

(२) परिवर्तित आकार वाले वायुयान का मूल्य---३२.२० लाख रुपये।

श्रम विधानों का अनुवाद

४९५. **श्री टी० बी० विट्ठल राव:** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विभिन्न श्रम विधानों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कराने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) क्या सरकार खान अधिनियम, १९५२ का तेलुगु में अनुवाद कराने का विचार रखती है ; तथा

(ग) क्या सिंगरेनी कोयला श्रमिक संघ ने यह मांग की है कि खान अधिनियम का तेलुगु में अनुवाद किया जाये ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) जी हां। सारे महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का, जिन में श्रम विधान भी सम्मिलित हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है और राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे इन अधिनियमों का अपनी अपनी भाषा में अनुवाद करने का काम अपने जिम्मे ले लें।

(ख) जी हां, आन्ध्र सरकार से यह कार्य अपने ज़िम्मे लेने की प्रार्थना की गई है।

(ग) जी नहीं।

विन्ध्य प्रदेश में खनिज पदार्थ

४९६. **श्री रणदमन सिंह :** क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को विन्ध्य प्रदेश के उन ज़िलों के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त हुई है जिन में कि बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाये जाते हैं ; तथा

(ख) यदि हुई है, तो इन स्थानों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) मझगांव, रामखेरी, अकला, हातुजापुर, सेहा, सोलिगपुर तथा पन्ना ज़िले में लक्ष्मणपुर।

राष्ट्रीय कादेत-गुल्म

४९७. **श्री गणपति राम :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर प्रदेश की सारी शिक्षा संस्थाओं में १९५० से अब तक कितने राष्ट्रीय कादेत-गुल्म को प्रशिक्षा दी गई है ;

(ख) १९५० से ले कर अब तक प्रति वर्ष इन के प्रशिक्षण पर कितना व्यय हुआ है ; तथा

(ग) क्या सरकार का प्रशिक्षित कादेतों को राष्ट्रीय सेना में लेने का विचार है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) ५,७९७। इस के अलावा, उत्तर प्रदेश में लगभग ७,७५० कादेतों को इस समय प्रशिक्षा दी जा रही है।

(ख) उत्तर प्रदेश में १९५० से ले कर अब तक राष्ट्रीय कादेत-गुल्म के प्रशिक्षण पर कुल व्यय लगभग इस प्रकार हुआ है :—

वर्ष	व्यय
१९५०-५१	१५,२२,९२० रुपये
१९५१-५२	१७,०२,४२० रुपये
१९५२-५३	२१,३१,२०० रुपये
कुल	५३,५६,५४० रुपये

(ग) राष्ट्रीय कादेत-गुल्म के प्रशिक्षित कादेतों को रक्षा सेवाओं की विभिन्न शाखाओं तथा प्रादेशिक सेना में भर्ती होने में प्रोत्साहन दिया जाता है।

विधान-सभाओं तथा संसद में रिक्त स्थान

४९८. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** (क) क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद तथा राज्य विधान-सभाओं के कितने सदस्यों को अब तक निर्वाचन न्यायाधिकरणों द्वारा सदस्यता से हटाया गया है ?

(ख) इन न्यायाधिकरणों ने उन की अनर्हता के क्या कारण बताये हैं ?

(ग) कितने मामलों में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) निर्वाचन न्यायाधिकरणों द्वारा अब तक ७ संसद सदस्यों तथा १२७ विधान-सभा के सदस्यों को सदस्यता से हटाया गया है।

(ख) इन सदस्यों के चुनाव रद्द किये जाने के कारण ये हैं :

नामनिर्देशन पत्रों की अनुचित अस्वीकृति, नामनिर्देशन पत्रों की अनुचित स्वीकृति, भ्रष्ट तथा अवैध आचरण, निर्वाचन-संचालन सम्बन्धी वैधानिक उपबन्धों का पालन न करना तथा लाभ-पद पर काम करने अथवा सरकारी ठेके लेने के कारण चुने गये सदस्यों का अनर्ह पाया जाना।

(ग) संसद के निर्वाचन सम्बन्धी एक तथा विधानसभाओं के निर्वाचन सम्बन्धी १२ मामलों में निर्वाचन न्यायाधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में याचिकायें भेजी गई हैं और यह अभी इस न्यायालय में अनिर्णीत पड़ी हैं।

600 P. S. D.

सत्यमेव जयते

बृहस्पतिवार,
१७ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

बृहस्पतिवार, १७ दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्न तथा उत्तर

(देखिये भाग १)

२-३५ म० प०

सदन का कार्यक्रम

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, अगले सप्ताह के कार्यक्रम के विषय में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा । यह निश्चय किया जा चुका है कि सदन २४ दिसम्बर को स्थगित हो, अतः हमें उस तिथि तक सभी अवशिष्ट महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करना है । श्रीमान्, यदि आप सहमत हों, तो हम इसे पूरा करने के लिए शनिवार को भी समवेत हो सकते हैं ।

मैं मदों को उस क्रम से पढ़े देता हूं, जिन के अनुसार उन पर इस सदन में चर्चा की जायेगी :

(१) विशेष विवाह विधेयक, जो इस समय विचाराधीन है ।

(२) अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा ।

(३) अनुपूरक मांगें ।

(४) लवण उपकर विधेयक ।

(५) निवारक निरोध अधिनियम, १९५० पर चर्चा ।

(६) अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' में के राज्यों के विधान मण्डल) विधेयक ।

(७) वैदेशिक कार्य पर विवाद ।

(८) लोक लेखा समिति के विषय में प्रस्ताव ।

यदि किसी बात के कारण इस क्रम को बदलना आवश्यक न हो गया, तो इन को इस क्रम में लिया जायेगा । पर मेरा सुझाव है कि वैदेशिक समस्याओं विषयक चर्चा के लिए इस मास की २३ तारीख निश्चित कर दी जाये, और उस में पूरा दिन लगाया जाये । शेष बातें अन्य कार्यों के निपटारे पर निर्भर रहेंगी और न निपटाई गई चीजें २४ तारीख तक ली जा सकेंगी ।

अध्यक्ष महोदय : सदन नेता के सुझाव को दृष्टि में रखते हुए १९ तारीख को सदन की बैठक होगी, अर्थात् हमें एक दिन और मिल जायेगा ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : श्रीमान्, माननीय सदन नेता द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्रम में प्रेस (आपत्तिजनक विषय) संशोधन विधेयक का कोई निर्देश नहीं है । वह १५ दिसम्बर को पुरःस्थापित किया

[डा० लंका सुन्दरम्]

गया था और ३१ जनवरी, १९५४ को समाप्त हो जायेगा। मैं सदन नेता से जानना चाहूंगा कि क्या वह सदन की बैठक इतने शीघ्र बुलाना चाहते है कि ३१ जनवरी, ५४ तक यह विधेयक दोनों सदनों में पारित हो कर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर सके या सरकार एक अध्यादेश निकालना चाहती है ? गत मास की १६ तारीख को मैं ने अध्यादेश के प्रश्न पर प्रकाश डाला था और बतलाया था कि पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में ६ विधेयक, जिन में दो सदन के समक्ष थे, अध्यादेश के रूप में प्रस्तुत किये गये थे। मैं आप के द्वारा इस आश्वासन की मांग करूंगा कि इस विधेयक को अध्यादेश के रूप में न थोपा जाये, क्योंकि सदन की बैठक ३१ जनवरी से पहले तो समवेत हो नहीं सकेगी।

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान् मुझे खेद है कि मेरे लिए उत्तर देना कुछ कठिन है क्योंकि मेरे साथी माननीय गृहमंत्री इस के प्रभारी हैं। मैं यही कह सकता हूं कि हम इसे सहर्ष इसी सत्र में लेते, पर समय की कमी के कारण हमें अपेक्षतया अधिक महत्वपूर्ण विषय चुनने पड़ ह। मैं नहीं समझता कि इस सदन का अगला सत्र जनवरी में शुरू हो सकेगा। बाद में ही हो सकेगा। आप चाहें तो मैं अपने साथी माननीय गृह मंत्री को इस बारे में सूचित कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ से इस बात पर विचार किया जाये और सदन नेता कल अपना निर्णय बता दें।

श्री जवाहरलाल नहरू: या गृह मंत्री।

अध्यक्ष महोदय : सरकार की ओर से कोई भी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : श्रीमान्, न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक के विषय में, जो विचार अवस्था में है, मुझे सदन नेता से यह जानना है कि क्या वह उस पर चर्चा चालू रखना चाहते हैं, और यदि हां, तो किस दिन ? या उसे अगले सत्र तक के लिए निलम्बित कर देना चाहते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : अनेक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक हैं। मुझे बहुत खेद है कि उन पर कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जा सकती है, पर मैं सदन के लिए इतना काम बता चुका हूं, जिसे वह इस सत्र में कठिनाई से समाप्त कर पायेगा, अन्यथा वह सब अगले सत्र तक चलेगा।

अध्यक्ष महोदय : उन के द्वारा बताया गया कार्यक्रम अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण है। डा० लंका सुन्दरम् का यह प्रश्न था कि क्या सरकार अध्यादेश निकालना चाहती है, क्योंकि अधिनियम सदन के आगामी सत्र से पहले समाप्त हो रहा है। इस विषय में ऐसी कोई बात नहीं है। मंत्रिमंडल द्वारा विचार कर लिये जाने के बाद कल गृह मंत्री हमें अपना निर्णय बतलायेंगे।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या माननीय सदन नेता निवारक निरोध अधिनियम संबंधी दो दिन के विवाद को इस में जोड़ रहे हैं, जैसा कि आप ने बताया था ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह सब इसी पर निर्भर है कि सदन अन्य बातों पर चर्चा में कम समय लगाये। २४ तारीख तक सब कुछ समाप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। यह सब सदन के हाथ में है। यदि सदन उस पर दो दिन चाहता है, तो अन्य विषयों पर कम चर्चा करनी होगी। इस में देर न लगा कर हमें सीधे काम की बात करनी चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के प्रतिवेदन पर एक दिन

लगेगा। केवल दो विधेयक और हैं, अतः अधिक समय लेने का प्रश्न ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हां, प्रतिवेदन पुरे एक दिन .....

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, इस बीच यदि दो दिन चर्चा हो सके तो हमें प्रसन्नता होगी। और भी काम हैं—अनुपूरक मांगें हैं, लवण उपकर विधेयक है। वे परिषद् द्वारा २४ से पहले पारित हो जाने चाहियें। निवारक निरोध विधेयक भी है और हमारे पास अधिक समय नहीं है।

डा० लंका सुन्दरम् : शनिवार के अतिरिक्त हम दो दिन प्रातः भी समवेत हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर पीछे विचार किया जायेगा। मैं इस प्रकार समय बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं। लंबी बैठकों का सुझाव देते समय माननीय सदस्य अधिकांश सदस्यों को होने वाली थकान की बात तो भूल ही जाते हैं, संसद सचिवालय के कर्मचारी-वृन्द को होने वाली थकावट और उन के ऊपर पड़ने वाले भार को भी भुला देते हैं। उस पर भी ध्यान रखना होगा। मेरा अपना विचार है कि ज्यादा देर बैठना ही अच्छा नहीं है, उस से काम का स्तर गिरता है।

श्री रघवय्या (ओंगोल) : न्यूनतम मजूरी अधिनियम सन् १९४८ से सन् १९५३ तक चला आ रहा है, अब ....

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी सही। यह चर्चा या विवाद करने का तरीका नहीं है। माननीय सदस्य किसी एक विषय को ले कर विशेष रूप से चिन्तित हो सकते हैं, पर हमें समूचे चित्र को ध्यान में रखना होगा। माननीय सदस्य सदन के उपकक्षों आदि में अपने साथियों को किसी विधेयक विशेष पर चर्चा करने के लिये प्रभावित कर सकते हैं।

श्री रघवय्या : मेरा अभिप्राय ....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं समझता हूं। उसे अध्यक्ष पर छोड़ दें।

राज्य परिषद् से एक संदेश प्राप्त हुआ है।

राज्य परिषद् से प्राप्त संदेश

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य परिषद् के सचिव से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है :

> "अपने प्रक्रिया नियम १२५ के अनुसार राज्य-परिषद् लोक सभा द्वारा ३ दिसम्बर, १९५३ को पारित बैंकिंग समवाय (संशोधन) अधिनियम, १९५३ से बिना उस में कोई संशोधन किये, सहमत हो गई है।

अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवनारायण सिंह महापात्र ने, जिन की निरन्तर अनुपस्थिति के ६० दिन, २८ नवम्बर, १९५३ को पूरे हो चुके हैं, छुट्टी के लिए अब एक आवेदन भेजा है, जिस में सारांशतः कहा गया है कि अस्वस्थता के कारण डाक्टरी परामर्श के अनुसार वह ३ अगस्त से सदन में उपस्थित नहीं हो सके हैं और इस सत्र के अन्त तक का अवकाश चाहते हैं। क्या सदन चाहता है कि उन की ६० दिन की अनुपस्थिति को क्षमा किया जाये और उन को सत्र के अन्त तक का अवकाश दिया जाये ?

माननीय सदस्य : हां, हां।

अनुपस्थिति क्षमा की गई और अनुमति दी गई।

समिति का निर्वाचन

राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल की केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल अधिनियम (१९४८ का ३१वां), जो राष्ट्रीय

[श्री सतीश चन्द्र]

छात्र सैनिक (संशोधन) अधिनियम (१९५२ का ५७ वां) द्वारा संशोधित हुआ है की उपधारा (१) के अनुसार, इस सदन के सदस्य, अध्यक्ष द्वारा निश्चित की गई प्रणाली के अनुसार, अपने बीच में से एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल की केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य बनने के लिए दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सूचित कर दूं कि इस चुनाव के सम्बन्ध में यह तिथियां निश्चित की गई हैं :

नामनिर्देशन की तिथि १८-१२-५३ (शुक्रवार),

नाम वापस लेने की तिथि १९-१२-५३ (शनिवार),

चुनाव की तिथि २३-१२-५३ (बुध-वार)।

नाम निर्देशन तथा वापसी की सूचनायें उक्त तिथियों पर सूचनालय में ४ म० प० तक ग्रहण की जायेंगी।

चुनाव समिति कक्ष संख्या ६२, पहली मंजिल, संसद् भवन में २-३० से ५ म० प० के बीच एकल संक्रमणीय विधि से होगा।

बन्दी न्यायालयों में उपस्थिति विधेयक

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मेरा प्रस्ताव है कि साक्ष्य लेने के प्रयोजन से बन्दियों की न्यायालय में उपस्थिति का उप-बन्ध करने के हेतु एक विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"साक्ष्य लेने के प्रयोजन से बन्दियों की न्यायालय में उपस्थिति का उपबन्ध करने के हेतु एक विधेयक को पुरःस्था-पित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दातार : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

विशेष विवाह विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सदन श्री बिस्वास द्वारा १४ दिसम्बर, १९५३ को प्रस्तुत किये गये उस प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगा, जिस में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमत होते हुए इस सदन के विशेष विवाह विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्तावित संयुक्त प्रवर समिति में भाग लेने का और उस के लिए इस सदन के कुछ सदस्यों के निर्वाचन का उपबन्ध किया गया है।

सदन डा० लंका सुन्दरम्, श्री नेमिचन्द्र कासलीवाल और श्री एस० वी० रामास्वामी द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर अग्रेतर विचार भी करेगा।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : सदन में कुछ लोग व्यर्थ ही इस विधान के प्रति सशंक हो गए हैं। इस विधेयक को पूरी तरह देखने से प्रतीत होता है कि यह किसी के धर्म, रीति-रिवाजों इत्यादि में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि यह हिन्दू समाज के विरुद्ध जाता है। कल एक माननीय सदस्य ने 'हिन्दू' की परिभाषा देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जो अच्छा है, हिन्दू है। इस का अर्थ यह हुआ कि किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का व्यक्ति हिन्दू हो सकता है। ऐसा धर्म तो स्वभावतः ही आप को अनेक बातों की स्वतंत्रता देगा। मैं समझता हूं कि विवाह के मामले में भी, जो विश्व के लगभग प्रत्येक ही व्यक्ति को प्रभावित करता है, चुनाव की स्वतंत्रता अत्यन्त वांच्छनीय

है । इस के साथ-साथ, मैं यह नहीं समझता कि यह विधेयक हमारे धार्मिक ग्रन्थों के विरुद्ध है । हमारे धार्मिक ग्रन्थों का तो यह कहना है कि संसार में सब सुखी रहें । मेरा विश्वास है कि यह विवाह संबंधित व्यक्तियों के जीवन में सुख की वृद्धि करेगा ।

मैं समझता हूं कि यह विधेयक सन् १८७२ के विधेयक का संशोधन है । विश्व तेजी से आगे बढ़ रहा है । समय की प्रगति रोकी नहीं जा सकती । जब कि सन् १८७२ में वह विधेयक पास किया जा सकता था, तो कोई कारण नहीं कि आज इतनी प्रगति के बाद यह विधेयक पास न हो । यदि हम समय के साथ न चले, तो हमारा हिन्दू समाज कुंठित रह जाएगा ।

विधेयक में कहा गया है कि विवाह ऐच्छिक हों । भारतीय इतिहास को देखने से पता चलता है कि हमारे यहां विवाह की कई पद्धतियां प्रचलित थीं । श्री रामचन्द्र जी ने जो विवाह किया था वह स्वयंवर कहलाता था । दुष्यन्त का शकुन्तला के साथ विवाह दूसरी प्रकार का था । हमारे शास्त्रों में कितने ही प्रकार के विवाह गिनाए गए हैं । ये इसीलिए थे कि सामाजिक परिस्थितियों में उन की आवश्यकता थी । जब हमारी वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में इस प्रकार के विवाह की आवश्यकता है, तब फिर इस विधेयक का विरोध क्यों किया जा रहा है ? विवाह में हम जिसे चाहे पसंद कर सकते हैं । मैं समझता हूं कि यह विधेयक हमें चुनाव की स्वतंत्रता प्रदान करता है । यह ऐसी स्वतंत्रता है जिस से स्त्री-पुरुषों को वंचित नहीं किया जा सकता । जब उन्हें उच्च शिक्षा मिलती है, जब वे लोकतंत्रीय वातावरण में पलते हैं, तो आप उन से यह स्वतंत्रता नहीं छीन सकते । यदि उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता है, तथा अन्य क्षेत्रों में स्वतंत्रता है. तो मैं नहीं समझता कि अपना जीवन-साथी चुनने में भी उन्हें यह स्वतंत्रता क्यों न हो । विभिन्न क्षेत्रों में जो स्वतंत्रता हम ने लोगों को दी है, यह उसी का विस्तार मात्र है । मैं समझता हूं कि यह सिद्धान्त पहले ही मौजूद है । इसे कानूनी शकल दी जा रही है जिस से कि कोई अवांछनीय परिणाम न निकलें । मेरा विश्वास है कि यह विधेयक हमारे धर्म की जड़ों को और मजबूत बनाएगा ।

इस के साथ साथ मैं विधि मंत्री जी के सम्मुख कुछ सुझाव रखना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि विदेशी विवाहों के संबंध में एक विधेयक लाया जाना चाहिए । जो व्यक्ति कुछ विशिष्ट प्रकार के रोगों से पीड़ित हों उन्हें विवाह करने से रोका जाना चाहिए । सम्मति-वय २१ वर्ष होनी चाहिए । हमारे संयुक्त परिवार को विघटित करने का कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिये । यह कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करेगा तो इस का प्रभाव उसे संयुक्त परिवार से अलग करना होगा । यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि संयुक्त परिवार प्रणाली ने देश का बड़ा लाभ किया है । मैं यह भी सुझाव दूंगा कि इस अधिनियम के अन्तर्गत जिन बच्चों के माता-पिताओं का विवाह हो उन्हें कोई और बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह संयुक्त परिवार के लिए घातक होगा ।

अन्त में, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रगतिशील विधेयक का देश में स्वागत होगा ।

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी--पश्चिम) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत इन्तजार के बाद यह बिल हमारे सामने पेश आया है; मैं सरकार

[श्रीमती उमा नेहरू]

को इस पर बधाई देती हूं। लेकिन इस बिल को देखने के बाद हम कुछ सोच में पड़ गये हैं, क्योंकि इस बिल में जो चीज़ें हम चाहते थे वह नहीं, बल्कि कहीं नयी, कहीं पुरानी, अजीब तरह का बिल बन कर कुछ खिचड़ी सा यह मालूम देता है। लेकिन मैं समझती हूं कि जो कमेटी इस बिल को देखने के वास्ते मुक़र्रर हुई है, वह इस को देखेगी और इस को दुरुस्त करेगी। इस में कई कमियां दिखाई देती हैं। जब इस बिल को पढ़ें तो इस के अन्दर एक तरफ़ तो शादी रजिस्ट्रेशन की दिखाई देती है और दूसरी तरफ वह शादी भी है जैसी कि अभी होती हैं। मैं समझती हूं कि इस के अन्दर जो शादी की रस्में बताई गयी हैं उस में जहां १८ क्लाज़ से २३ क्लाज़ तक का हिस्सा है, उस को बहुत ग़ौर से पढ़ने के बाद ऐसा मालूम होता है कि उसको इस में होना ही नहीं चाहिये था, १८ से २३ क्लाज़ तक को इस में से निकाल देना चाहिये। इस के ऊपर विचार करना है कि अगर रजिस्ट्रेशन से भी शादी होती है तो कोई भी व्यक्ति हिन्दू ज्वाइंट फैमिली से अलग न होने पावे। मैं समझती हूं कि इस पर विचार कर के जो सिलैक्ट कमेटी है वह इस को मंजूर करेगी।

स्पैशल मैरिज बिल पर कल से मैं ने बराबर सब व्याख्यान सुने। मैं उन पर कोई वादविवाद नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूं कि जो भी मेरे भाई यहां हैं, जिन को यह बिल मंजूर नहीं है, जिन के गले से यह बिल नहीं उतरता है, उन को मैं समझ सकती हूं। जब नये ख्यालात आते हैं तो पुरानी चीजें बड़ी मुश्किल से छूटती हैं। इसलिये उन के ति ज़रा भी मुझे गुस्सा नहीं आता। लेकिन असल में समाज को आगे जाना है, समाज को तरक्की करनी है और कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकती अगर उस के आगे बढ़ने में कोई गुंजाइश न हो। इसलिये सब चीज़ें देख कर हमारा फ़र्ज़ है कि समय के अनुसार हम इस को बदलें। इसे बदलने के बारे म मैं इतना ही कहूंगी कि गो हमारे सामने यह आप का स्पैशल मैरिज बिल आया, उस रोज डाउरी बिल आया, यह सब चीज़ें आईं, लेकिन हम देखते हैं कि जो असल में हमारे समाज की जड़ है, वह हमारे सामने नहीं आई है। हिन्दू कोड बिल आता तो यह सब मुसीबतें नहीं आतीं, सब चीज़ों के लिये मैदान साफ़ हो जाता और हम आगे बढ़ते। लेकिन कुछ नहीं होने से हम इसी पर अब आगे बढ़ रहे हैं।

जैसा मैं ने अभी कहा, इस बिल के १८ से २३ तक के सैक्शन जो हैं इन को निकाल देना चाहिये। इन सैक्शन्स को रख कर हम अपने लोगों को एक तरह से पीनैलाइज़ करते हैं। उन को हिन्दू फोल्ड से अलग निकाल देना हमें अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि इस से तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे ईसाइयों की तरह, जिस रोज हमारे बच्चे ने विवाह किया, जिस रोज़ लड़के या लड़की शादी रजिस्ट्रेशन से करते हैं, तो उसी वक्त वह खानदान से अलग हो जाते हैं, उस में इनहैरिटैंस नहीं होता। यह सारी चीज़ें हो जाती हैं, वह ज्वाइंट फैमिली से अलग हो जाते हैं। इस को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। हम चाहते यह हैं कि ज्यादातर जो हमारी शादियां हों वे रजिस्ट्रेशन से हों। मैं आप को यह भी बता दूं कि हम यह चाहते हैं कि समाज को दुरुस्त करने के लिये, समाज को ज़िन्दा रखने के लिये, जो भी हमारे यहां शादियां हों, जो भी पुरुषों की शादी हो, वह एक ही शादी हो, दूसरी शादी न होने पाये। अगर दूसरी शादी हो तो उस वक्त हो जब कि पहली स्त्री से

क़ानूनी तरीक़े से अलग हो जाय। एक स्त्री के ऊपर दूसरी स्त्री को लाना महा गुनाह और पाप होता है। मैं समझती हूं कि इस रजिस्ट्रेशन से हम जो बीमारी पुरुषों में है उस को बन्द कर देंगे।

असल बात तो यह है कि इस बिल में जो भी कुछ तबदीली लाने के लिये कोशिश की गयी है उस से जो स्त्रियों की स्थिति है उस में इन सब तबदीलियां होने के बाद भी जो स्थिति होगी उस में मैं समझती हूं बहुत ही सुपरफ़ीशियल तबदीली होगी। जो आज स्त्रियों की बेसिक स्थिति है वह वैसी ही है जो मनुजी के वक्त में थी। मैं यहां यह भी कहना चाहती हूं कि मैं तो मनु जी की बहुत रसपैक्ट करती हूं। मैं तो समझती हूं कि अगर मनुजी आज ज़िन्दा होते तो हमारा समाज बिल्कुल दूसरे तरीक़े का होता।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : वह इधर होते, अपोज़ीशन में नहीं होते।

श्रीमती उमा नेहरू : मैं समझती हूं कि समाज की आज जो हालत है, मनुजी उस के अपोज़ीशन में होते और वह आगे बढ़े होते।

मैं आप को यह भी बताना चाहती हूं कि मेरे भाई कुछ मुझे बार बार बताते हैं कि हिन्दू धर्म में क्या है, वैदिक जमाने में क्या है। वैदिक ज़माने का इतिहास तो बड़ा लम्बा चौड़ा है। लेकिन वैदिक ज़माने के पहले स्त्री बिल्कुल आज़ाद थी, उतनी ही आज़ाद थी, जितना कि मर्द आज़ाद होता है, स्त्री भी उसी तरीक़े से चलती थी जैसे मर्द चलता था, कोई भेद स्त्री और पुरुष की आज़ादी में नहीं था। लेकिन आप जानते हैं कि इस का इतिहास बड़ा दुःखदायी है। आप जानते हैं कि जिस वक्त यह प्राइवेट प्रापर्टी की चर्चा हुई, जब मनुष्य ने प्राइवेट प्रापर्टी हासिल की, उसी वक्त से स्त्री भी नीचे गिरी। इसी कारण उस का गिरना इतना ज्यादा हुआ कि आज समाज में हालत यह है कि स्त्री को कोई कहीं जगह नहीं, किसी क़ानून में उसे जगह नहीं दिखाई देती है। कुछ लोग मुझ से कल से मिलने आये। वे मुझे समझाने लगे कि इस वक्त भी कितना अच्छा क़ानून है कि हिन्दू धर्म में स्त्री जब छोटी सी होती है, कन्या होती है, तो उस का रक्षक पिता होता है, जब वह बढ़ती है तो पति होता है और वृद्धावस्था में उस का रक्षक पुत्र होता है। इस क़दर स्त्री को हर चीज़ में, हर अवस्था में महफ़ूज़ रखा गया है। संग संग मेरे सामने धर्म का ज़िक्र यहां भी किया और बाहर भी होता है। लेकिन मुझे तो इन धर्म के ठेकेदारों से यह कहना है कि यह जो धर्म के ठेकेदार हम को धर्म बताते हैं, इन का पहला धर्म यह है कि स्त्री को इन तमाम बन्धनों से आज़ाद करें। यही धर्म का मूल है।

आज हम को वे लोग धर्म बतलाते हैं जिस में हम लोग जकड़े रहें, या और भी हम ज्यादा जकड़ जायें, खैर यह तो एक बहुत लम्बा चौड़ा इतिहास है। इस समय मैं और अधिक न कह कर इतना ही कहूंगी कि चूंकि यह बिल सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जा रहा है, इसलिए मैं सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरों से कहूंगी और अपने ला मिनिस्टर साहब से कहूंगी कि इस बिल को बहुत ही सरल और सहज बिल बनाया जाय और इस बात का ध्यान रक्खा जाय कि यह बिल इतना मुश्किल न होवे जिस में आगे चल कर दिक्कतें पैदा हों और विवाह पद्धति में ज़माने के अनुसार और समय को देखते हुए परिवर्तन करना है। इस बिल को एक प्रैक्टिकल, ईज़ी और साइंटिफ़िक बिल बनायें, ताकि आगे चल कर हमारे सामने कोई मुश्किलें

[श्रीमती उमा नेहरू]

अथवा दिक्कतें न आवें। बस मैं इतना ही कह कर अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्रीमती मायादेव : यद्यपि मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं, मैं इस से संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि ऐसे अनेक खंड इस में हैं जिन में परिवर्तन और संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि समय कम है, इसलिए मैं उन में से कुछ को ही लूंगी। खंड ७ (२) में दिनों की संख्या १४ से बढ़ा कर ३० कर दी गई है। किन्तु जब कि दोनों पक्षों के माता-पिताओं की अनुमति पहले से प्राप्त कर ली गई हो, समय ३० दिन न हो कर १४ दिन होना चाहिए क्योंकि बहुत से मामलों में यह आवश्यक है कि विवाह जल्दी हो।

मेरी यह समझ में नहीं आता कि विशेष विवाह के अन्तर्गत विवाह करने वाले दम्पति को सौतेले बच्चों की भांति क्यों व्यवहृत किया जाएगा और संयुक्त परिवार से अलग कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों? विवाह के पश्चात् भी वे हमें उतने ही प्रिय हैं जितने विवाह के पूर्व थे। उन के मां-बापों के लिए उन्हें मृत क्यों माना जा रहा है? उन्हें सब सुविधाएं होनी चाहिएं तथा अपने मां-बापों के साथ परिवार में रहने की अनुमति होनी चाहिए। परिवार से अपने सम्बन्ध तोड़ देने तथा बच्चे को गोद न लेने को उन्हें नहीं कहा जाना चाहिए। इसलिए मैं समझती हूं कि खंड १८ से २१ तक आवश्यक नहीं है और उन्हें हटा देना चाहिए।

दूसरी एक बात मुझे पृष्ठ आठ पर अनुसूची में दी गई चीज़ के विषय में कहनी है। यह कहा गया है कि नोटिस देने में लड़के को यह घोषित करना चाहिए कि वह अविवाहित, विधुर अथवा तलाकशुदा है तथा लड़की को घोषित करना चाहिए कि वह 'स्पिन्सटर' (अधिक वय की अविवाहित स्त्री) है। किन्तु शब्द 'स्पिन्सटर' अर्थ बहुत अच्छा नहीं है। वह १८ वर्ष की सुन्दर युवती हो सकती है। वह अपने आप को 'स्पिन्सटर' क्यों कहलवाए। मेरा सुझाव है कि शब्द 'स्पिन्सटर' के स्थान पर 'अनमैरिड' (अविवाहित) होना चाहिए।

अन्य बहुत से खंड हैं जिन में परिवर्तनों की आवश्यकता है, किन्तु उन्हें मैं प्रवर समिति में लूंगी। बोलने का अवसर देने के लिये मैं आप को धन्यवाद देती हूं।

श्री रघुवीर सहाय (जिला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायू—पूर्व): मैं इस विधेयक का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। कल मुझे विरोधी दल के दो सदस्यों से अत्यन्त उत्तेजनापूर्ण भाषण सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ। यदि कोई बाहर का व्यक्ति उन के भाषणों को सुनता तो यही निदान निकालता कि भारत सरकार किसी अत्यन्त नवीन और विलक्षण सिद्धान्त वाला विधान ला रही है। इस विधेयक में वैसी तो कोई बात नहीं है। जैसा कि कुछ सदस्यों ने बतलाया, यह कोई एकदम नवीन विधेयक नहीं है वरन् १८७२ के इसी प्रकार के एक विधान का संशोधित स्वरूप है। इस का कारण बहुत साधारण सा है। तब से अब तक समाज बदल चुका है, समय बदल चुका है, नवीन परिस्थितियां पैदा हो गई हैं और हमें जन-मत आदि बातों का ख्याल करना पड़ता है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख कर कुछ आवश्यक परिवर्तनों सहित वही पुराना विधान नवीकृत किया जा रहा है।

सन् १८७२ के विधेयक की तुलना में इस विधेयक में जो परिवर्तन किए गए हैं वे ये हैं :

(१) यह बिना किसी धर्म-भेद के, भारत के समस्त नागरिकों पर लागू होता है।

(२) यह भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है।

(३) विवाह की आयु १८ वर्ष निर्धारित कर दी गई है, सन् १८७४ के विधान में लड़कियों के लिए यह १४ वर्ष थी।

(४) यह विधेयक उन विवाहों को कानूनी बनाता है जो इस के पास होने से पूर्व अथवा बाद को, किसी अन्य विधि के अन्तर्गत किए गए हों।

अब प्रश्न यह है कि क्या यह विधेयक हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों के विरुद्ध पड़ता है क्योंकि इसी धारणा को लेकर इस के विरुद्ध इतना हंगामा मचाया जा रहा है। सन् १८७२ के विधान की कभी जनमत ने खिलाफत नहीं की और आज इस विधेयक के विरुद्ध आवाज़ें उठाना देश को शोभा नहीं देता।

इस विधेयक में एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस के अनुबन्ध ऐच्छिक प्रकार के हैं, अनिवार्य रूपेण नहीं। जो भी चाहे इस का प्रयोग कर सकता है, जो न चाहे वह इस का प्रयोग न करे। मैं इस विधेयक का इसलिए स्वागत करता हूं कि इस में सरल विवाह पद्धति की व्यवस्था है जो खर्चीली नहीं होगी। उस दिन दहेज विधेयक पर वाद-विवाद होते समय हम देख चुके हैं कि आजकल के विवाह किस कदर खर्चीले हो गए हैं।

अब मैं विधेयक के कुछ दोषों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मुझे आशा है कि विधि मंत्री इस पर ध्यान देंगे। अब विचारों में बहुत परिवर्तन हो चुका है और मैं समझता हूं कि आयु १८ वर्ष न हो कर २१ वर्ष होनी चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि इस विधेयक के अंतर्गत विवाह करने वाले लड़के-लड़की को अपनी मंशा का नोटिस देना जरूरी है। किन्तु उन के माता-पिताओं को सूचना देने का कोई उपबन्ध नहीं है। मान लीजिये कि कोई लड़का और कोई लड़की विदेश भेजे जाते हैं और वहां उन में प्रेम हो जाता है तथा वे विवाह करने का निर्णय करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि भारत में उन के माता-पिताओं को अवश्य ही इस की सूचना दी जानी चाहिए जिस से कि वे आयु सम्बन्धी अथवा कोई अन्य संगत आपत्ति उठा सकें। यह बात इस विधेयक में उपबन्धित नहीं है।

फिर, जैसा कि मेरे अन्य मित्रों ने भी कहा, इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह करने वालों को बच्चा गोद लेने तथा संयुक्त परिवार में रहे जाने से क्यों वंचित किया जा रहा है। आशा है प्रवर समिति इस पर ध्यान देगी।

खंड १४ में कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व अथवा बाद में किया गया कोई विवाह, इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर किया जा सकता है। किन्तु मैं कहता हूं कि इस से कोई लाभ न हो कर उन्हें हानि ही होगी क्योंकि फिर वे कोई बच्चा गोद नहीं ले सकेंगे और संयुक्त परिवार से उन्हें अलग होना पड़ेगा। मैं इस खंड का उपयोग समझने में असमर्थ हूं। मुझे आशा है कि प्रवर समिति इस बात पर विचार करेगी।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : कल साम्यवादी दल की महिला सदस्या ने इस विधेयक का इस कारण स्वागत किया था कि यह प्रगति पर आधारित है। परन्तु यह प्रगति हिन्दू समांशिता के विभाजन और सामाजिक व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण की ओर है, जो समाज के लिए वांछनीय नहीं है। हिन्दू विवाह एक पवित्र संस्कार है, और ५,००० वर्ष से यह संस्कार हमारे समाज में होता चला आ रहा है। आप इस पवित्र बन्धन पर कुठाराघात कर के पश्चिम के देशों का अनुकरण कर रहे हैं।

आज से तीस वर्ष पूर्व मैं ने लन्दन के न्यायालयों में एकस्व और व्यापार चिह्नों के

[श्री एन० सी० चटर्जी]

मामले अधिक देखे थे, परन्तु अपने पद से निवृक्ष होने के पश्चात में ने लन्दन में तलाक के मामले अधिक देखे। माननीय विधि मंत्री ने वकीलों के व्यवसाय के लिये एक मार्ग खोलने का उपबन्ध किया है।

क्या आप सब प्रकार का कूड़ा करकट और चारित्रिक अध:पतन इस विधान के द्वारा समाज में नहीं भर रहे हैं? एक महिला सदस्या ने कहा कि लोग अभी भी जीवन के प्राचीन आदर्शों को अपनाते हैं। श्री अरविन्दु महान योगी थ और उन्हों ने भारत के कल्याण के लिये महान संघर्ष किया। उन्हों ने कहा था कि स्वभाव और स्वधर्म को अपना कर ही भारत उन्नत हो सकता है। हमें भारत की सभ्यता और अध्यात्मक उन्नति तथा धर्म का पूर्ण ध्यान रखना चाहिये और हमें अपना समाज अपनी नीति और धर्म के अनुसार ही बनाना चाहिये।

डा० राधा कृष्णन् तथा अनेक महान लेखकों ने कहा है कि जब कि 'असीरिया, बैबलोनिया, रोम आदि की महान सभ्यताएं नष्ट हो गई हैं, भारत अभी भी जीवित है, क्योंकि हमने शाश्वत सत्यों को अपनाया है। क्या आप उन शाश्वत सत्यों में से जीवन और समाज के मुख्य नियमों को छोड़ नहीं रहे हैं? भारत तथा हिन्दू सभ्यता इसी लिये जीवित है क्योंकि हम ने विवाह, दत्तक, उत्तराधिकार सम्बन्धी रीति और रिवाजों को अपने जीवन में स्थान दिया है। हम ने आक्रमणकारियों के आक्रमणों का सामना किया, उन में से बहुत सों को आत्मसात कर लिया, तथा उन्हों ने हमारे सिद्धान्तों को स्वीकार करने में गर्व का अनुभव किया। परन्तु यदि आप उन्हीं सत्यों को ठुकरायेंगे तो प्रगति करने के स्थान पर हम अवनति की ओर अग्रसर होंगे।

भारत में पवित्रता और सतीत्व का नारी आदर्श सीता, सावित्री और दमयंती हैं। अन्य देशों के समान यहां भी तलाक के मुकद्दमों को प्रोत्साहित करने से पूर्व हमें गम्भीरता पूर्वक इस के परिणामों पर विचार करना चाहिये।

श्री गाडगील : क्या इस विधेयक में सतीत्व के विषय में कोई बात है?

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या आप तलाक को प्रचलित कर के नारीत्व का मान भंग करना चाहते हैं? विवाह पुरुष और नारी का अविभाज्य सम्बन्ध है और कोई ठका नहीं है। महिला सदस्य यदि प्रेम पर आधारित ठेके के सम्बन्ध का विचार करती हैं, तो वह तो पश्चिमी देशों में चल सकता है। यहां समान व्यवस्था तथा परिवार व्यवस्था के बिगड़ जाने और विकेन्द्रित हो जाने से नारी की वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती है। ऐसा करने से तो परिवार छिन्न विछिन्न हो जायेगा। परन्तु नारी का क्या होगा? उसे एकाकी और दुर्दशापूर्ण अवस्था में फेंक देने से, और भारत जैसे देश में, जहां नारियां अधिकतर अनपढ़ हैं, आप नारी को पुरुष की दया पर छोड़ देना चाहते हैं?

विधान की धारा १४ में कहा गया है कि यदि कुछ शर्तें पूरी होती हों तो इस अधिनियम के लागू किये जाने से पूर्व अथवा उस के पश्चात हुए विवाहों को पंजीबद्ध कराया जाये। संसद् को पवित्र संस्कार में बंधे हुए व्यक्तियों के जीवन में प्रवेश करने का क्या अधिकार है? हमारे देश की नारियां अनपढ़ होने के कारण और पंजीयन के महत्व को न समझने के कारण शीघ्र बहकाई जा सकती हैं। यह तर्क कहां तक उचित है कि जिन लोगों ने हिन्दू विधि के अधीन विवाह का पवित्र संस्कार किया, और सन्तान उत्पन्न की, उन

पर यह लागू किया जाय। मिताक्षरा के अनुसार पुत्र जन्म लेते ही सम्पत्ति का समांशी बन जाता है, परन्तु आप इस पूर्वापेक्षी विधान के अधीन उन पर भी यह अधिनियम लागू करना चाहते हैं। आप फैशन वाली महिलाओं या पश्चिमी ढंग पर चलने वाली महिलाओं पर इसे भले ही लागू करें, परन्तु पवित्र बन्धनों में बंधे हुए लोगों पर इसे लागू करना उचित नहीं है। संसद् की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता के अनपेक्ष भी पहले से हुए विवाहों पर इसे लागू करने से उन पवित्र विवाहों के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है।

भारतीय इतिहास साक्षी है कि हम ने अनेकों आक्रमणकारियों का सामना करते हुए भी अपना अस्तित्व बनाये रखा है, क्योंकि हम ने किसी भी राजा अथवा सचिव को समाज पद्धति में हस्तक्षेप करने नहीं दिया। हिन्दू विधि में सामाजिक जागृति के अनुसार परिवर्तन होता है। अतः आप को इस के साथ खिलवाड़ करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

अधिनियमन सदैव ही आवश्यक नहीं होता है। जर्मनी में इस के द्वारा अनेक कठिनाइयां खड़ी हो गई थीं। परन्तु आप तो कुछ ऐसे उपबन्धों को सम्मिलित कर रहे हैं, जो कि समांशियों में गड़बड़ी पैदा करेंगे, तथा पवित्र विवाहों का विच्छेद करेंगे तथा जिन के अविच्छेद्य विवाह के मूल सिद्धान्तों का उच्छेदन होगा; और ऐसा करना सर्वथा अनुचित है।

विधि मंत्री कहते हैं कि यह हिन्दू कोड का भाग नहीं है। परन्तु यह दूसरे ढंग से रखा गया है, तथा इस विधेयक में हिन्दू कोड के कुछ भागों की नकल की गई है। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में हिन्दू कोड का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरा विरोध करने वाली महिला हिन्दू कोड की महान समर्थक थी। मेरी निर्वाचन क्षेत्र ने उसे ठुकरा दिया है। धारा १८ में कहा गया है कि किसी अविभाजित हिन्दू परिवार के किसी सदस्य का इस अधिनियम के अधीन हुआ विवाह, उसे उस परिवार से पृथक कर देगा।

श्री बिस्वास : यह उपबन्ध तो इस में सन १८७२ के अधिनियम से वर्तमान है।

श्री एन० सी० चटर्जी : जो तब था, उस का अब भी होना आवश्यक नहीं है, यदि वह ठीक नहीं है। यदि आप नारी का उद्धार चाहते हैं, तो विवाह का समांशिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। इस तरह तो लोग अपने विशेष समाज में ही विवाह कर सकेंगे। यदि किसी हिन्दू ने हिन्दू से विवाह किया, तो उस ने ऐसा क्या अपराध किया कि उस का समांशिता का अधिकार नष्ट हो जाये। यह विधेयक सोच समझ कर नहीं बनाया गया है। यह तो केवल पवित्र विवाह का विच्छेद करने तथा समांशिता को नष्ट करने का प्रयत्न मात्र दिखाई पड़ता है।

इस विधेयक की धारा २० के अधीन जिस ने विवाह नहीं किया है, वह दत्तक पुत्र गोद नहीं ले सकता है। यह हिन्दू के जन्मसिद्ध अधिकार का अपहरण है। अब इस म सन् १८६९ के तलाक अधिनियम को लागू करने का भी विचार किया जा रहा है। एक ओर तो आप सन् १८७२ के अधिनियम को अधिक प्रगतिशील बना रहे हैं और दूसरी ओर सन् १८६९ के तलाक अधिनियम का भी विचार करते हैं। यदि आप वास्तव में ही सब के लिए एक समुचित नागरिक कोड बनाना चाहते हैं, तो वह नागरिक कोड तैयार किया जाना चाहिये और सदन द्वारा उस पर वाद विवाद किया जाना चाहिये। परन्तु आप तो मिताक्षरा समांशिता को जिस के द्वारा हजारों लाखों व्यापारी प्रशासित होते हैं, भंग करने चले हैं। इस अधिनियम के द्वारा अनेकों संयुक्त

[श्री एन० सी० चटर्जी]

परिवारों का व्यापार नष्ट हो जायेगा, और राष्ट्र का सारा आर्थिक ढांचा उलट पुलट हो जायगा ।

श्री जे० डी० मेन ने कहा है कि हिन्दू विधि का इस ढंग से अधिनियमन करना, जिस से कि वह सब विभागों के ऊपर लागू हो सके, असंभव है । बृटिश राज्य में हमारी सामान्य विधि की प्रगति रुक गई थी । बृटिश न्यायाधीश अधिक रूढ़िवादी सिद्ध हुए । परन्तु अब हमारे न्यायाधीशों को स्वतंत्र भारत के रिवाज़ों और प्रथाओं को स्वीकार करना चाहिये । उन्हें यह प्रयत्न करना चाहिये कि हिन्दू विधि का स्वत: विकास रोका न जाय, अपितु उसे विकसित होने दिया जाय ।

श्री गाडगील : सती प्रथा की समाप्ति' विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निरोध सम्बन्धी अधिनियमों के पारित होते समय हिन्दू सभ्यता और संस्कृति के खतरे में होने का जो तर्क दिया जाता था, वही बात श्री चटर्जी ने कही है ।

विवाह संयुक्त सम्बन्ध है, इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को अपना साथी चुनने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये, जो वर्तमान युग का अनिवार्य अधिकार है । नारी और पुरुष का दुख सुख का, भावनाओं और आकांक्षाओं का संयुक्त सम्बन्ध है, इसलिये विवाह के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । यदि पुरुष अपनी इच्छानुसार किसी लड़की से विवाह करना चाहता है, तो उत्तराधिकार के मामले में कुछ कथित परिणामों के कारण उसे ऐसा करने से क्यों रोका जाय ?

यदि श्री खरे का यह मत है कि विवाह होना ही नहीं चाहिये, तो मैं समझता हूं कि बहुत से लोग इस बात से सहमत हो जायेंगे । परन्तु इस सदन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति विवाह संस्था से सहमत है । प्रतिबन्ध वहीं होना चाहिये, जहां उस का लगाया जाना नितान्त अनिवार्य हो, और वह दोनों में से किसी के भी व्यक्तित्व के विकास में बाधक न बने ।

इस विधेयक में हिन्दू विधि के विरुद्ध कोई बात नहीं है । मेरे मित्र ने कहा कि चार वर्णों की स्थापना के कारण ही हिन्दू समाज आज तक जीवित रहा । परन्तु क्या यह बात अब मान्य है कि समाज का चौथा भाग ही युद्ध कर सकता है, और बाकी तीन भाग इस कार्य से मुक्त कर दिये गये हैं । हिन्दू विधि और धर्म के अनुसार उत्तम सिद्धान्तों का तथा समय की भावना और व्यवहार का पालन किया गया है । प्रत्येक समय की अपनी स्मृति होती थी । रक्त-सम्बन्धी प्रतिबन्ध वास्तव में ही अनिवार्य है, और इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है जो हिन्दू धर्म की भावना का मूलत: विरोध करती हो । मैं इस सम्बन्ध में न्यायाधीश श्री पंचपाकेश अय्यर के शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं ।

> "मनु, गौतम, पाराशर और सांख्य की विधि से प्रशासित स्वर्ण युग इसी बात को दरशाता है । मुझे ज्ञात है कि कुछ रूढ़िवादी अय्यर और आय्यंगर अपने पुत्रों और पुत्रवधुओं को छोड़ देते हैं यदि वे अहिन्दू अथवा यूरोपियनों से विवाह कर लेते हैं, परन्तु वे ही लोग अपने पौत्रों को प्यार करते देखे जाते हैं । अन्त में रक्त जोश मारता है, और वे समाज के रिवाज़ों की परवाह न करते हुए अपनी सन्तान से प्रेम करने लगते हैं । आज के युग में कोई इस कारण से मरना नहीं चाहता ।

अन्तर्विवाह चालू होने में देर लगेगी, और यह शिक्षा और विद्या का विस्तार होने पर प्रचलित होगा। इस प्रकार मिश्रित सम्बन्धों से धर्म और जाति का प्रश्न अपने आप हल हो जायेगा, जैसा कि प्राचीन भारत में होता रहा है। धर्म का आधार रीति रिवाज़ न हो कर हृदय हो जायगा। क्योंकि यह प्रस्तावित विवाह विधि ऐच्छिक है, अतः हमें देरी नहीं करनी चाहिये। यदि हम देर करते हैं, तो हजारों युवक युवतियों को, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अविवाहित रहना पड़ेगा अथवा उन को अवैध सम्बन्ध जोड़ने पड़ेंगे। हमारे ऋषियों ने सदा इस का विरोध किया है, परन्तु फिर भी अनुलोम, प्रतिलोम, राक्षस, तथा गन्धर्व विवाह पद्धतियां अनुमोदित थीं। हमें भी 'जीयो और जीने दो' का सिद्धान्त अपना कर इन का अनुकरण करना चाहिये।"

इस विधेयक में हिन्दू विधि का विरोध करने वाली कोई बात नहीं है। सन् १८७२ के विशेष विवाह अधिनियम में कुछ प्रगति की गई है। विवाह प्राधिकारी केवल वर और वधू की इच्छा ज्ञात करेगा, और विवाह उसी अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध किया जायेगा। इस के पश्चात् वे जिस प्रणाली के अनुसार चाहें संस्कार कर सकते हैं। मेरी दोनों लड़कियों के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। इस दृष्टि से यह प्रगतिशील कार्यवाही है।

हमारे विधान में वर्ग रहित समाज बनाने का उद्देश्य रखा गया है; तो हमें भी इस का निर्माण करने के लिये इकट्ठे हो कर शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये। इस में हिन्दू धर्म का विरोध करने वाली कोई बात नहीं है। धर्म और सम्पत्ति के बीच के इस सम्बन्ध को समाप्त कर दिया जाना चाहिये, अन्यथा पूर्ण स्वतन्त्रता का उपभोग नहीं किया जा सकता है। इस के साथ ही दस, बीस वर्ष पहले हुए विवाहों को पंजीबद्ध किया जाना चाहिये। मैं इस बात पर इस लिये ज़ोर दे रहा हूं क्योंकि हमें जन संख्या की वृद्धि के सम्बन्ध में भी कोई योजना बनानी है, और उसके लिये हमें बिल्कुल ठीक आंकड़े रखने चाहियें।

हमें यह चाहिये कि हम प्रत्येक पंजीबद्ध परिवार में पैदा हुए जीवित तथा मृतक बच्चों का हिसाब रखें जिस से कि हम उस आर्थिक कार्यक्रम को पूरा करने में सफल हो सकें जिसे कि हम करना चाहते हैं। यदि हम अभी ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ वर्षों के पश्चात् स्थिति और भी कठिन हो जायेगी।

जब कभी भी हम कोई प्रगतिशील पग उठाते हैं तो कृषकों तथा अन्य अनपढ़ जनता के लिये यह कह दिया जाता है कि वे इसे नहीं चाहते हैं और वह बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। यह बात अनेक बार उठाई जा चुकी है। यहां के कृषकों तथा निम्न वर्ग के लोगों की आर्थिक अवस्था किसी से भी छिपी नहीं। ग्रामों में लगभग ९० प्रतिशत लोगों को श्राद्ध अथवा लड़की के विवाह के लिये अपनी भूमि गिरवी रखनी पड़ती है। यदि लड़कियों के विवाह की आयु १३ वर्ष से बढ़ा १४ या १५ वर्ष तक कर दी जाये तो उन को भूमि गिरवी रखने से बचाया जा सकता है। यह बात सन् १९३६ में ही श्री बी० दास ने अपने एक विधेयक में रखी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस का तात्पर्य यह है कि यदि कोई विवाह नहीं किया जाता है तो कोई भी भूमि गिरवी नहीं रखी जायेगी ?

श्री गाडगील : मुझे यह निवेदन करना है श्रीमान, कि ये ही दो मुख्य अवसर ऐसे होते हैं जब कि कृषकों को साहूकार का सहारा

[श्री गाडगील]

लेना पड़ता है। मैं श्री चटर्जी को इस के लिये अपराधी नहीं ठहरा सकता कि वह साहूकारों की सहायता करने के पक्ष में है। किन्तु सभी सामाजिक सुधारों का विरोध करने की उन की आदत सी है।

श्री वी० जी० देशपांडे : नहीं, नहीं।

श्री गाडगील : जहां तक उन के चुनाव का सम्बन्ध है यह एक विशेष बात थी। मैं उसी दृढ़ता से कह सकता हूं कि हम लोगों ने अपने प्रान्त में यह स्पष्ट कह दिया था कि हिन्दू कोड बिल पारित हो कर रहेगा। यदि आप सहायता करना चाहते हों तो करें, नहीं तो नहीं।

श्री एन० सी० चटर्जी : इलाहाबाद में क्या हुआ ?

श्री वी० जी० देशपांडे : पंडित नेहरू ने कभी ऐसा नहीं कहा।

श्री गाडगील : इस से कोई राजनीतिक लाभ नहीं है। अन्य आवश्यक बातें ये हैं कि इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न होने वाले बच्चों का धर्म कौन सा होना चाहिये। यदि सम्पत्ति सम्बन्धी उपबन्धों को मान लिया जाये तो उन बच्चों के जो पंजीयन कराने से पूर्व पैदा हुए हैं अथवा उस पत्नी से उत्पन्न हैं जिसकी मृत्यु हो चुकी है, अधिकार क्या होंगे ? इन प्रश्नों पर प्रवर समिति को पूर्णतया विचार करना चाहिये। कुछ विरोध जो इस सम्बन्ध में बम्बई तथा सांगली की महिला संस्था ने किया है वह, "यौन व्याधियों से पीड़ित, तथा अन्य इसी प्रकार की बातों" के आधार पर है, तथा उस ने इस बात पर भी जोर दिया है कि विवाह की स्वीकृति से पूर्व प्रत्येक पक्ष को एक मेडिकल सर्टीफिकेट अवश्य उपस्थित करना होगा। यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है।

श्री श्यामनन्दन सहाय : केवल १६ रुपये का ही तो व्यय है।

श्री गाडगील : प्रवर समिति को इस पर अवश्य विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में हिन्दू धर्म अथवा संस्कृति के विरुद्ध कोई बात नहीं है। जब सारे हिन्दू कोड बिल को रखने की बात कही गई थी, तो इस पर खण्ड वार विचार किये जाने के लिये आग्रह किया गया था। कुछ भी हो सन् १८३७ में सती प्रथा को रोकने के लिये विधेयक पारित किया गया था वह आज भी चल रहा है।

श्री श्यामनन्दन सहाय : सनातन धर्म के कारण।

श्री गाडगील : पचास वर्ष बाद जबकि विवाह संस्था समाप्त हो जायेगी और यदि हिन्दू महासभा जीवित रह गई, तो सब कुछ एक हो जायेगा।

श्री वी० जी० देशपांडे : नहीं, नहीं, सती अधिनियम आयेगा।

श्री भागवत झा आजाद (पूर्निया व सन्थाल परगना) : उपाध्यक्ष महोदय "सभी सभ्यताएं समाप्त हो गईं किन्तु भारत की सभ्यता जीवित रही।" डाक्टर राधाकृष्णन् के भाषण का यह उद्धरण इस सदन के सामने श्री एन० सी० चटर्जी ने रखा है। उन्हों ने यह कहा है कि हिन्दुस्तान की सभ्यता और संस्कृति आज तक जीवित है और उन्हों ने अन्य देशों का उदाहरण दे कर बतलाया कि उन की संस्कृति और सभ्यता का आज कहीं नामोनिशान नहीं है। वे मिट गयी हैं। मैं उन के इस उद्धरण से, उन की भाषा से और उन के इस विचार से सहमत हूं, लेकिन मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि आज अगर हिन्दुस्तान की सभ्यता और संस्कृति जीवति रह सकी है तो वह उस कारण जीवित नहीं रह सकी है कि जो कारण श्री एन० सी० चटर्जी ने हमारे सामने रखा है। इस का कारण तो यह है कि हिन्दू संस्कृति

इतनी महान और उदार है कि उस ने अपने क़ानून को इतना फ्लेक्सेबुल (लचीला) और बड़ा रखा जिस में समय समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन होते रहे। उन्हों ने यह भी बतलाया कि हिन्दुस्तान में पश्चिम के दरवाज़ों से शक, हूण, गोरी, गज़नी और सिकन्दर आदि आये, मैं भी इस को मानता हूं कि ये सारे के सारे यहां आये और चूंकि हिन्दू धर्म के दरवाज़े बन्द नहीं थे और वह इतना महान् और उदार था कि उस ने शक, हूण आदि विदेशियों को अपने में मिला लिया और आज वह जातियां कहीं देखने को भी नहीं मिलतीं और यह इसलिये संभव हो सका कि हिन्दू धर्म और हिन्दू संस्कृति ने आज तक अपने क़ानून को किसी सीमित दायरे में नहीं बांधा और चूंकि उस का क्षेत्र विशाल और उदार रहा, इसलिये समय समय पर जैसी जैसी परिस्थितियां आईं, उन के अनुसार हम ने अपने धर्म और क़ानून में सुधार किया।

कल हमारे एक मित्र श्री नन्द लाल शर्मा ने हिन्दू धर्म की परिभाषा की और जो परिभाषा उन्हों ने हिन्दू की दी मैं उस से शत प्रतिशत सहमत हूं। मैं मानता हूं कि हिन्दू वह है जो बहादुर है, हिन्दू अपने से सब बड़ों के आगे सिर नवाता है, और धर्म को मानता है। लेकिन मैं उन से पूछना चाहता हूं कि आप के धर्म की परिभाषा क्या है? क्या आप के धर्म की परिभाषा यह है कि आप एक नवयुवक का एक नवयुवती से विवाह करा दें, चाहे उस नवयुवती ने अपने पति की परछाईं तक भी न देखी हो? आप माता पिता के अधिकारों के नाम पर बलपूर्वक उस अनजाने नवयुवक के साथ उस नवयुवती का विवाह करा दें और भले ही वह लड़की जनम भर अपने कर्म को ठोंकती रहे। आज भी देहातों में अनमेल विवाह होते हैं और बिना एक दूसरे को देखे हुए लड़के और लड़की को विवाह के बन्धन में बांध दिया जाता है और इस का परिणाम यह होता है कि अक्सर लड़की की जिन्दगी खराब हो जाती है और आज भी माता पिता के अधिकारों के नाम पर और हिन्दू संस्कृति के नाम पर एक नवयुवती का विवाह लाठी टेक कर चलने वाले वृद्ध के साथ कर दिया जाता है। अगर हिन्दू धर्म इसी को कहते हैं तो हम इसे दूर से नमस्कार करना चाहते हैं और मैं आप को बतलाऊं कि इस क़ानून के अनुसार हम सिर्फ़ इतना करने जा रहे हैं कि एक स्त्री अपनी मरज़ी से अगर किसी पुरुष से विवाह करना चाहती हो या कोई पुरुष किसी स्त्री से शादी करना चाहता हो, तो वह मैरिज अफसर (विवाह अधिकारी) के सामने जा कर अपनी मैरिज (विवाह) को रजिस्टर करा सकते हैं। मैं नहीं समझता कि जैसे श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा इस क़ानून द्वारा हम हिन्दू धर्म पर प्रहार कर रहे हैं। श्री नन्द लाल शर्मा ने हिन्दू और हिन्दुत्व के नाम पर कल बहुत शोर मचाया, मैं भी उन्हीं के समान अपने को हिन्दू मानता हूं और अपने हिन्दू होने पर और हिन्दू संस्कृति पर मुझे भी गर्व है, लेकिन इस का यह अर्थ तो नहीं हो जाता कि हम समय और परिस्थिति से आंखें मूंद लें और आवश्यक सामाजिक सुधार न करें।

कल श्री वी० जी० देशपांडे ने पंडित जी के निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद का जिक्र किया और कहा कि चुनाव के मौके पर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इलाहाबाद में यह कहा कि हिन्दू कोड बिल इश्यू (वाद विषय) नहीं है, और शायद यह पालियामेंट में आयेगा ही नहीं और इसी का जिक्र करते हुए श्री नंद लाल शर्मा ने कहा कि पंडित जी ने जब देखा कि जनता हिन्दू कोड बिल की इतनी विरोधी है, तब उन्हें यह शब्द लाचार हो कर कहने पड़े कि मुझे नहीं मालूम था कि जनता इस बिल के इतने विरुद्ध है। मैं इस के लिए चुनौती देता हूं अगर पंडित

[श्री भागवत झा आज़ाद]

जी ने ऐसा कहा हो और मुझे तो याद है कि जब पंडित जी इलाहाबाद आये, तो उन के विरोधी उम्मीदवार श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने यह आफ़र पंडित जी को दिया था कि : मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा यदि पंडित जी यह आश्वासन दे सकें कि वह हिन्दू कोड बिल को पुरःस्थापित नहीं करेंगे। और पंडित जी ने उस का यह जवाब दिया था कि : उन्हें जो कुछ विश्वास मैं दिला सकता हूं वह यह है कि मैं हिन्दू कोड बिल लागू करूंगा। इस से साफ़ हो जाता है कि किस इश्यू पर वहां चुनाव लड़ा गया था और उस चुनाव का जो परिणाम निकला, वह सब को ज्ञात है। आज हम पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि हम ब्रूट मेजारिटी में होने के कारण जो चाहते हैं करा लेते हैं, लेकिन मैं अपने उन दोस्तों को चेता देना चाहता हूं कि जो जाति और धर्म जमाने की रफ्तार के अनुसार अपने में सुधार और परिवर्तन नहीं करता है, वह जाति और धर्म भले ही अतीत में कितना महान धर्म क्यों न रहा हो, उस का पतन अवश्य होगा और आज जो यह दलील दी जा रही है कि ऐसा क़ानून पास कर के हिन्दू धर्म और संस्कृति पर आघात किया जा रहा है, यह बिल्कुल ग़लत और बेबुनियाद है। हमारे श्री एन० सी० चटर्जी और देशपांडे साहब ने कहा है कि धारा १४ के जरिये हिन्दू धर्म पर महान आघात हो रहा है। धारा १४ में तो सिर्फ़ यह दिया है कि कोई शादी जो इस क़ानून के बनने के पहले या बाद में हुई हो, वह भी अगर चाहें तो अपनी शादीको मैरिज अफसर के पास जा कर इस क़ानून के अन्दर रजिस्टर करा सकते हैं, मैं समझता हूं कि इस में कोई ऐसी बात नहीं है जिसका इतना विरोध किया जाय। अपनी शादी इस ऐक्ट के मातहत रजिस्टर कराने के लिए किसी पर ज़बर्दस्ती नहीं है, यह उन की मरज़ी पर निर्भर करता है, यह तो एक परिमिसिव लेजिस्लेशन है। और मैं समझता हूं कि इस धारा पर आपत्ति करना उचित नहीं प्रतीत होता। इस में किसी के ऊपर ज़बर्दस्ती नहीं है कि वह अपनी शादी को इस में रजिस्टर अवश्य कराये, अगर उन की ऐसी इच्छा हो अथवा डाइवोर्स (तलाक़) की जो इस में सुविधा है, उसका प्राविज़न (उपबन्ध) वह चाहते हों, तो वह अपनी मरज़ी से इस में अपने को रजिस्टर करा सकते हैं अन्यथा नहीं। मैं नहीं समझता कि इस धारा का क्यों विरोध किया जा रहा है, जब यह धारा, किसी विवाह किये हुए दम्पती को इस के लिए मजबूर नहीं करती है कि वह इस ऐक्ट के मातहत अपनी शादी को रजिस्टर कराये और ओथ (शपथ) ले, वह कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं।

मैं समझता हूं कि यद्यपि यह क़ानून सुधार के हेतु इस सदन के सामने लाया गया है, फिर भी मेरे विचार में यह क़ानून पूर्ण और पर्याप्त नहीं है और इस क़ानून में सन् १८७२ का जो स्पेशल मैरिज क़ानून था उस की बहुत सी बुराइयां बाकी रह गयी हैं। उदाहरण के लिए मैं आप का ध्यान इस बिल की धारा १८ की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में यह दिया हुआ है कि इस तरह के विवाह के उपरान्त उस व्यक्ति का उस के परिवार से विच्छेद हो जायगा। मैं समझता हूं कि विच्छेद का प्रश्न आप परिवार के ऊपर ही छोड़ दें। अगर मेरा लड़का है और वह इस ऐक्ट के मातहत अपनी शादी करता है, तो उस को परिवार से अलग करने का मामला आप मुझ पर छोड़ दें कि मैं अगर चाहूं तो उस को परिवार से अलग कर दूं। एक तरफ़ तो आप उस को इस प्रकार से विवाह करने का अधिकार देते हैं और दूसरी तरफ़ आप उस का अधिकार छीनते हैं कि वह अपने परिवार से

अलग हो जाय, उस का अपने परिवार से विच्छेद हो जाय, यह मेरी राय में उचित नहीं जंचता और इस धारा को इस विधान में नहीं रहना चाहिये था ।

२०वीं धारा के अनुसार आप यह कहते हैं कि जो लोग इस ऐक्ट के अन्दर अपनी शादी करेंगे अथवा रजिस्टर करायेंगे, उन को गोद लेने का अधिकार नहीं होगा । मैं समझता हूं कि इस प्रगतिशील विधेयक में यह सब से बड़ी अप्रगतिशील धारा है । आप क्यों किसी के गोद लेने के अधिकार को छीनते हैं ? उदाहरण के लिए मैं किसी की लड़की से जो मेरा धर्म मानने वाली नहीं है विवाह करता हूं तो मुझ को अगर कोई लड़का नहीं होता, तो गोद लेने का मुझे अधिकार होना चाहिये कि मैं गोद ले सकूं । आप उस लड़के के पिता को तो यह अधिकार देते हैं कि अगर उन के और कोई लड़का न हो, तो उस लड़के के माता या पिता को गोद लेने का अधिकार है, लेकिन उस लड़के को जिस ने इस क़ानून के अनुसार शादी की, एक तो आप उस को परिवार से अलग करते हैं और दूसरे उस को आप गोद लेने का अधिकार भी नहीं देते हैं, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है और इस प्रगतिशील विधेयक में यह जो १८, २०, २१ और २२ धारायें हैं, यह सारी अप्रगतिशील धारायें हैं और इनके रहते इस विधेयक से आप कुछ भला करने के बजाय बुरा ही करेंगे । इसलिये मैं चाहता हूं कि ये धारायें इस विधेयक में से निकाल दी जायं, इन में समुचित संशोधन हो, तभी यह विधेयक वास्तव में अच्छा और लाभकारी सिद्ध हो सकता है अन्यथा नहीं ।

तलाक़ का जो इस में प्राविज़न किया गया है, वह मैं समझता हूं कि ठीक है । आज पुरुष जाति जब पुरुषत्व के नाम पर और धर्म के नाम पर स्त्री मात्र पर अत्याचार करता है, तो स्त्री को इस दयनीय अवस्था से और अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए तलाक़ का अधिकार रहना चाहिये ताकि वह ऐसे अत्याचारी पुरुष को तलाक़ दे सके । मुझे वह समय स्मरण हो आता है जब सृष्टि के आदि काल में नारी शक्तिशालिनी थी और फिर धीरे धीरे किस तरह पुरुष ने अपने स्वार्थ हेतु स्त्री के हाथों में सोने की चूड़ियां पहनायीं, गले में जंजीर पहनायी, पैर में जंजीर डाली और कान में बुन्दे पहनाये, किस तरह धीरे धीरे उस को अपने पाश में दासता के पाश में जकड़ता गया ।

मैं बहुत जल्दी समाप्त करता हूं । मैं समझता हूं कि इस विधेयक की यह जो धारायें हैं, यह अच्छी नहीं हैं, इन्हें हटा देना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री बी० सी० दास (गंजम दक्षिण) : हिन्दू महासभा तथा रामराज्य परिषद् के मेरे मित्र आपस में व्यर्थ की लड़ाई लड़कर धर्म के साथ अन्याय करते हैं । वे ऐसा धर्म लाना चाहते हैं जो समय के अनुकूल नहीं है । वास्तव में हिन्दू धर्म की विशेषता उस के समयानुकूल परिवर्तित होने में ही है किन्तु हमारे यह मित्र अपनी उन रूढ़ियों पर दृढ़ रहना चाहते हैं जिन के कारण हमारी उन्नति में बाधा पहुंचती है । उन्हें विधि मंत्री के प्रति कृतज्ञ होना चाहिये कि कोई भी अहिन्दू इस विधेयक से लाभ उठा सकता है । सन् १८७२ के अधिनियम के अनुसार उस व्यक्ति को यह घोषणा करनी पड़ती थी कि वह हिन्दू, मुस्लिम अथवा ईसाई किसी भी धर्म की विवाह विधियों में विश्वास नहीं करता था किन्तु अब उसे ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है । उसे अपना धर्म भी बताने की आवश्यकता नहीं है किन्तु ऐसा व्यक्ति उन अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता है जिन का उपयोग एक हिन्दू कर सकता है । विधेयक के चतुर्थ भाग द्वारा वह

[श्री बी० सी० दास]

अधिकार उस से ले लिये जाते हैं। जिस प्रकार हम को संविधान के अनुसार जीविकोपार्जन का अधिकार प्राप्त है, किन्तु विधि द्वारा इस को लागू नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार हम को हिन्दुओं के सारे अधिकार प्राप्त होते हुए भी जब हम इस अधिनियम से लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें हिन्दुओं के कुछ अधिकार छोड़ने पड़ते हैं।

खण्ड १८ के अनुसार व्यक्ति को अपने परिवार से पृथक् रहना ही पढ़ेगा, चाहे वह अथवा उस के माता-पिता इसे पसन्द करते हों अथवा न करते हों। खण्ड १९ के अनुसार इस विधेयक से लाभ उठाने वाला व्यक्ति किसी प्रकार की धार्मिक सेवा, अथवा किसी भी धार्मिक संस्था का प्रबन्धक नहीं हो सकता है। क्या ऐसा प्रतिबन्ध उसका जाति बहिष्कार नहीं कर देता है? ऐसी अवस्था में हिन्दू धर्म का पालन करते हुए इस विधेयक से कहां तक लाभ उठाया जा सकता है? यह तो एक ओर किसी व्यक्ति के अधिकार देकर दूसरी ओर से उस को छीन लेना ही हुआ। इस प्रकार सन्तानहीन होने पर भी आप किसी के पुत्र को गोद नहीं ले सकते। खण्ड २१ के अनुसार यदि एक व्यक्ति विवाह कर लेता है तो उस के माता-पिता दूसरा पुत्र गोद ले सकते हैं। इस प्रकार ऐसे विधेयक से हिन्दू को कोई भी लाभ नहीं होता है और इसलिये इसे प्रगतिशील भी नहीं कहा जा सकता है।

इस प्रकार के रजिस्टर्ड विवाह की प्रथा मितव्ययितापूर्ण है। अतः ऐसे विवाह करने वाले पर आप कुछ प्रतिबन्ध लगाते हैं तथा उसे समाज से बहिष्कृत कर देते हैं। और यही इस विधेयक की सब से बड़ी कमी है। विधि मंत्री जबकि इस को बिल्कुल नया कहते हैं, मैं इसे एक संशोधक विधेयक कहता हूं। इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि संरक्षकों की अनुमति लेना आवश्यक है। यदि लड़के की आय २१ वष से कम हो, तो अनुमति लेना आवश्यक है, मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति इस की आपत्तिजनक बातों को निकाल कर इसे नवीन रूप देगी।

श्री जे० आर० महता (जोधपुर) : आज का संसार तथा आगामी समय उन्नति की राह पर है। किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति को दूसरे राष्ट्र के लोगों के साथ मिलने-जुलने तथा अन्य सभी प्रकार के सम्बन्ध स्थापित करने के अधिकार प्राप्त हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिये। आज जब कि ऐसे विवाहों की संख्या इतनी बढ़ रही है तो क्या उन की मान्यता को अस्वीकार किया जा सकता है? इस विधेयक के सम्बन्ध में यह बात सदैव स्मरण रखनी चाहिये। किसी भी प्रकार की जांच अथवा सामाजिक न्याय के आधार पर हम इन विवाहों से उत्पन्न हुए बच्चों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं अथवा उन को उन अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं जो विधिवत हुए विवाह से उत्पन्न बच्चों को प्राप्त हैं।

यदि ध्यान पूर्वक देखा जाये तो यह विधेयक सन् १८७२ के विधान का सुधार मात्र है। इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार किसी व्यक्ति को इस प्रकार का विवाह विशेष करने के लिये अपने धर्म को छोड़ देने की आवश्यकता नहीं है। यह व्यवस्था विद्यमान विधि का एक सुधारा हुआ स्वरूप है। इस विधेयक के सम्बन्ध में यह आपत्तियां की जा सकती हैं।

सर्वप्रथम यह कि वर्तमान विधेयक के अन्तर्गत कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को रद्द करने की जो बात कही गई है वह उचित नहीं है क्योंकि क्या विद्यमान विधि के अधीन वे अपने विवाहों को पुनः रजिस्टर कराना चाहेंगे? यदि इस प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक है तो उन्हें अपना निर्णय देने से पूर्व अपने अपने पतियों अथवा पत्नियों से परामर्श लेना पड़ेगा।

दूसरी आपत्ति है इस के अन्तर्गत विवाह करने वाले का अपने परिवार वालों से सम्बन्ध विच्छेद हो जाना, यदि वह हिन्दू बौद्ध, सिख अथवा जैन है तो। इस खण्ड की वांछनीयता का अनुमान सदन के सभी सदस्य नहीं कर सके हैं। मैं निवेदन करता हूं श्रीमान, कि यह उपबन्ध वैयक्तिक हिन्दू विधि पर अप्रत्यक्ष रूप से आक्रमण करता है। इसी प्रकार, इस अधिनियम के अनुसार सम्पन्न हुए विवाहितों को गोद लेने के अधिकार से वंचित करना अथवा ऐसे व्यक्ति के पिता को दूसरा पुत्र गोद लेने की अनुमति देना, ये बातें अत्यधिक आपत्तिजनक ज्ञात होती हैं। ये सभी उपबन्ध तथा विशेषकर धारा १८ का उपबन्ध तो रूढ़िवादी एवं कथित सुधारवादियों दोनों के मतानुसार दण्डनीय हैं। यही कारण है कि दोनों प्रकार के व्यक्तियों ने इस का विरोध किया है। मैं समझता हूं कि प्रवर समिति इस विधेयक पर चर्चा करते समय इन आपत्तियों पर विशेष ध्यान देगी।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : इस विधेयक का प्रारूप तथा इसकी विचारधारा दूषित है। १८७२ में विशेष विवाह अधिनियम बनाया गया था। वह लगभग ८१ वर्ष से काम दे रहा है। क्या हमारे पास कोई ऐसे आंकड़े हैं, जिस से हम जान सकें कि जिस कार्य के लिये इसे बनाया गया था वह समाप्त हो चुका या इसे बदलने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है।

१८७२ में जब यह अधिनियम लागू किया गया था तथा जब निषिद्ध वर्ग का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया था तो हमारे सामने केवल ईसाईयों का विचार था। इंगलैण्ड के समान भारत में कोई अगम्यागमन निरोधक अधिनियम नहीं है। अगम्यागमन के सम्बन्ध में हिन्दू विधि का विचार था कि पिता के वंश में सात पीढ़ी तक तथा माता के वंश में ५ पीढ़ी तक विवाह नहीं होना चाहिये। अब आप इस सिद्धान्त पर आक्रमण कर रहे हैं। क्या आपका विचार है कि अधिक विवाहों का उपबन्ध कर के हम अपने देश के शत्रुओं को पछाड़ सकेंगे? क्या विवाह स्वातंत्र्य ही एकमात्र ऐसी स्वतन्त्रता है जो इस देश के लोग चाहते हैं? हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जहां कहीं ऐसे विवाह होते हैं जैसे अरब यहूदियों में पाये जाते हैं, इनका परिणाम यही होता है कि बच्चे अधिक संख्या में होते हैं। यदि आप यह अधिनियम बनाना चाहते हैं तो आप को इस दृष्टिकोण से विचार करना होगा। केवल यह बात कि हम में कुछ व्यक्ति जनसंघ के, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के तथा हिन्दू सभा के टिकट से आये हैं इस बात का प्रमाण नहीं है कि हम सब पुरानी चाल के आदमी हैं। कुछ लोग कहते हैं आप उनकी क्यों चिन्ता करते हैं जो समाज से बाहर जा रहे हैं। मैं कहता हूं, हम अवश्य ही उनसे सम्बद्ध हैं और हम उनकी चिन्ता न करेंगे तो क्या आने वाली पीढ़ियां यहां आकर उसकी चर्चा करेंगी?

इसके बाद आपने इस विधान में उपबन्ध किया है कि जिन व्यक्तियों का विवाह हो चुका है वह भी इस विधेयक के अनुसार अपने विवाह को विधि अनुकूल बना सकते हैं। क्या विवाह की हिन्दू विधि की यह हंसी उड़ाना नहीं है। कितनी हिन्दू स्त्रियां ऐसी हैं जो फिर से विवाह के इस रूप के अनुसार विवाह करने को तय्यार होंगी। पति के आदेश पर या अन्य किसी कारण से स्त्री को हस्ताक्षर करने के लिये विवश किया जा सकता है। वह विचारी क्या समझेगी कि वह क्यों हस्ताक्षर कर रही है तथा इसका अर्थ क्या है। मान लीजिये कि कोई इस बात के लिए कटिबद्ध है तथा चाहता है कि उसका विवाह हिन्दू विधि के अनुसार हो और सब कोई उसका विरोध करते हैं। ऐसी दशा में वह इस प्रकार विवाह कर लेता है तो वह स्वयं तथा उसके बच्चे उसके पिता के वंश से

[श्री यू० एम० त्रिवदी]

अलग हो जायेंगे। आपने यह विधेयक बनाने में अच्छी प्रकार से सोच विचार से काम नहीं लिया है। आपको पता लगाना चाहिये कि क्या इस प्रकार के विधान की देश मांग कर रहा है या नहीं। कितनी नारी संस्थाओं ने इसकी मांग की है ? महिला सदस्याएं जो ऐसी संस्थाओं की हैं यदि आप उनकी गणना करें तो आपको पता लगेगा कि वे सारे देश में मुशकिल से ११०७३ नारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्या देश की १७ करोड़ नारियों पर इन ११०७३ नारियों का मत लाद दिया जायेगा ?

हमारे लिये यह भी जानना आवश्यक है कि ये विचार किस के हैं। इस विधेयक को ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं भेजा गया है जिनसे आशा की जाती थी कि वे इसका विरोध करेंगे। प्रवर समिति में केवल ऐसे ही लोगों को रखा गया है जिन के सम्बन्ध में अच्छी तरह से पता था कि वे इस विधेयक के समर्थक हैं। हमारे बीच में बड़े बड़े वकील हैं जो अच्छे अच्छे विधान बना सकते हैं जिन को प्रवर समिति में रखना चाहिये था। इस विधेयक के सम्बन्ध में ही ऐसा व्यवहार क्यों किया गया है। इस विधेयक में बहु पत्नित्व रोकने का प्रयत्न किया गया है। मैं बहुपत्नित्व का समर्थक नहीं हूं, फिर भी मैं समझता हूं कि अभी वह समय नहीं आया है कि एक पत्नित्व विधान द्वारा लोगों पर थोपा जाय। फिर भी आपने इसके लिये उस व्यक्ति को पांच वर्ष का कारावास का दण्ड देने का उपबन्ध बनाया है।

इसके अतिरिक्त आपने इस विधेयक में एक वाक्य ऐसा रखा है जो अत्यन्त अपमानजनक है। बेचारे पुरुष से कहलाया जायगा, "मैं कानून के अनुसार तुझे अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं" और स्त्री से कहलाया जायगा, "मैं कानून के अनुसार तुझे अपना पति स्वीकार करती हूं।" कितनी हिन्दू स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने पतियों को तुझे कह कर सम्बोधित करके अपमानित करना पसन्द करेंगी ? यह सब ग़लत है। यह सारा विधेयक ही भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। श्री झा ने अपने भाषण में प्रेम-क्रीड़ाओं की भी चर्चा की है। लेकिन मैं कहता हूं कि यह सब असंगत है। मैं जानता हू कि आप में अधिक संख्या में लोगों ने जो कुछ कहा, सुधार करने की भावना से ही कहा है। हमारे एक मित्र ने कहा है कि हम प्रेम विवाहों को रोकना चाहते हैं। यहां ५०० सदस्य हैं। उन में से ४८० हिन्दू हैं। हम में से कितनों के विवाह प्रेम विवाह थे ? परन्तु हम सभी आनन्द का जीवन बसर कर रहे हैं। अतः यह विधेयक पास करने के पहले हमें चाहिये कि हम इन सब बातों पर अच्छी तरह से विचार कर लें।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्ह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस विधेयक पर मत लिया जाय।

श्री वी० जी० देशपांडे : यह जो सहमति के लिये प्रस्ताव रखा गया है इसमें प्रवर समिति के लिये जिन सदस्यों के नाम दिये गये हैं उनकी अनुमति नहीं ली गई थी। इतना ही नहीं कि जो ग्रुप लीडर्स थे उनसे पूछा नहीं गया बल्कि उन्होंने जिन नामों की सिफ़ारिश की थी उसके विरुद्ध दूसरे नाम दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि यह प्रोसीजर नहीं कायम किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति ने पहले इसके लिये दो दिन निर्धारित किये थे और यह विचार किया था कि सारे प्रश्न पर यहां वार्ता की जायेगी, सदन का मत समझ लिया जायगा तथा इस सदन के विचारों से दूसरे सदन को सूचित कर दिया जायगा। अब इस

सदन का विचार है कि वापस आने पर यदि इस विधेयक में कोई नई बात होगी तो यह सदन इस पर फिर विचार करेगा। अब मैं यह सदन पर छोड़ता हूं कि क्या वह इस विधेयक पर साढ़े छै बजे तक विवाद करना चाहता है।

श्री एन० सी० चटर्जी: मैं उस समिति में था और मेरा विचार है कि आपको ग़लत सूचना दी गई है। हमने इस विषय पर इसी आधार पर विचार किया था कि इसके परिणामस्वरूप हम किसी प्रकार बाध्य नहीं हो जायेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि कुछ समय और दीजिये जिससे अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिल जाये।

श्री सत्य नारायण सिन्हा: मैं समझता हूं कि अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में कभी भी कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति की सिफ़ारिशों का कठोरता से पालन नहीं किया गया है। उदाहरण के के लिये कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति ने निर्णय किया था कि यह चार विधेयक—मनीपुर न्याय शुल्क विधेयक, टेलीग्राफ तार (अवैध कब्जा) संशोधन विधेयक, भारतीय पेटेण्ट तथा डिज़ाईन (संशोधन) विधेयक तथा रिज़र्व बैंक विधेयक—दो घंटे में समाप्त कर दिये जायें, परन्तु हमने इन चार विधेयकों में दो दिन लगाये हैं। कार्यक्रम परामर्शदायी समिति की सिफ़ारिशों का प्रयोग तभी किया जाता है जब माननीय सदस्यों को इससे सुविधा होती है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट): श्री सिन्हा कह रहे थे कि चार विधेयकों पर विचार किया गया था। हमें दो विधेयक और दे दिये गये हैं जो उस समय नहीं थे जब हमने इस विधेयक पर विचार किया था। मैं यह आश्वासन चाहती हूं कि जहां तक निवारक निरोध अधिनियम का सम्बन्धी है वे किसी प्रकार टाईमटेबल में परिवर्तन नहीं करेंगे।

श्री सत्य नारायण सिन्हा: प्रधान मंत्री ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। निवारक निरोध अधिनियम को अधिक समय देने के लिये ही चाहते हैं कि अब वाद विवाद समाप्त कर दिया जाये। इस पर निर्णय करना सदन के हाथ में है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: कार्यक्रम का पालन करने के स्थान पर आपने दो विधेयक और बढ़ा दिये हैं।

श्री सत्यनारायण सिन्हा: यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ८० या ९० सदस्य सदस्यता से हटा दिये जायेंगे। यह अप्रत्याशित चीज़ें हैं। उच्चतम न्यायालय के किसी निर्णय के कारण ही हमें ऐसा करना पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने उठाई गई सभी बातें सुन ली हैं। अब मैं इस विधेयक पर मत लूंगा। जब मैं वाद विवाद समाप्त करने वाला था उसके ठीक पहले श्री गुरुपादस्वामी ने मुझे बताया कि उनके दल को अवसर नहीं दिया गया है। इसके लिये मुझे पहले से सूचना मिल जानी चाहिये जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने तथा स्वतन्त्र सदस्यों ने पहले से नाम दे दिये थे और मैंने उनको बोलने का अवसर दिया। मैं आशा करता हूं कि आगे से सभी सदस्य सतर्कता से काम लेंगे।

प्रस्ताव यह है:

"कि इस प्रस्ताव पर मत लिया जावे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

५ म० प०

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर): परन्तु हमें ज्ञात होना चाहिये कि होने क्या जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: टाईमटेबुल के सम्बन्ध में सदन जैसा चाहे निर्णय कर सकता है। माननीय संसद् कार्य मंत्री ने इस विषय को पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया है। इस परिस्थिति को

[उपाध्यक्ष महोदय]

देखते हुए सदन वाद विवाद समाप्त करने को तय्यार है। माननीय विधि मंत्री।

श्री बिस्वास: श्रीमान्, वास्तव में मैंने जब परसों इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया तो मुझे इसे प्रस्तुत करने के अतिरिक्त एक शब्द भी बोलने का अवसर नहीं मिला था। उस समय औचित्य सम्बन्धी प्रश्न उठाये गये थे तथा मुझे चुप्पी साध लेनी पड़ी थी। परन्तु मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कल सदन में इस विधेयक के गुण दोषों पर चर्चा की गई तथा माननीय सदस्यों ने उन कई बातों की ओर निर्देश किया जिनका स्पष्टीकरण किया जाना अपेक्षित था। अत: मैं उन दो एक बातों की ओर सदन का न दिलाऊंगा जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

श्रीमान्, यह विधेयक एक एच्छिक विधान है; ऐसी कोई जबर्दस्ती नहीं है कि किसी हिन्दू अथवा किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करने के लिए बाध्य किया जाये। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करेगा तो कुछ परिणाम उत्पन्न होंगे। वह परिणाम क्या होंगे, यह इस विधेयक में दिये गये हैं। श्रीमान्, इस विषय पर इस विधेयक में सन् १८७२ के अधिनियम के अधिकांश उपबन्ध रखे गये हैं। परन्तु सन् १८७२ के अधिनियम में तथा वर्तमान विधान में जो मूलभेद है वह यह है।

सन् १८७२ का अधिनियम ब्रह्मो समाज के अनुयायियों के कहने पर पारित किया गया था। उस समय प्रश्न उठा था कि उनके द्वारा निश्चित की गई विवाह प्रणाली के अन्तर्गत किया गया विवाह वैध माना जा सकता है अथवा नहीं। उस समय तत्कालीन महान्यायवादी श्री कोवी से राय पूछी गई थी तथा उस ने अपना यह मत दिया था कि इस प्रकार के विवाहों को वैध नहीं माना जा सकता था क्योंकि इनकी पृष्ठ पर रीति-पवित्रता नहीं थी। इसका परिणाम यह हुआ कि इस धर्म के मानने वालों ने सरकार के पास अपनी याचिकायें भेजीं तथा सरकार को सन् १८७२ का अधिनियम पास करना पड़ा। सरकार ने कहा "देखिये, यदि यह बात है तो यह विधेयक पास होने दीजिये, परन्तु चूंकि आप हिन्दू रीति रिवाज, अथवा धर्म-शास्त्र अथवा हिन्दू धर्म का अनुसरण करने पर आपत्ति उठा रहे हैं, इसलिये विवाह से सम्बन्धित दोनों पक्षों को यह घोषणा करनी होगी कि वह हिन्दू नहीं हैं।" इस कानून का क्षेत्र सिक्खों, जैनियों आदि तक भी विस्तारित किया गया था।

दिन बीतते गये। परन्तु यद्यपि इस अधिनियम में सम्बन्धित पक्षों द्वारा घोषणा करने का उपबन्ध रखा गया था, फिर भी लोग हिन्दू प्रथाओं तथा परम्पराओं का अनुसरण करते रहे। अधिकांश मामलों में यह घोषणायें झूठी होती थीं। यह मामला प्रिवी कौंसिल तक गया। प्रिवी कौंसिल ने फैसला दिया कि सनातन हिन्दू धर्म का अनुसरण न करके कोई व्यक्ति अहिन्दू नहीं हो सकता है। इस निर्णय के आधार पर लोग इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करते गये परन्तु हिन्दू विधि के अन्तर्गत उत्तराधिकार का दावा भी करते रहे।

सन् १९२३ में सर हरिसिंह गौड़ ने बताया "इस प्रकार लोगों को जान बूझ कर ग़लत बयान देने के लिये विवश किया जाता है। उन्हें कहना पड़ता है कि वह हिन्दू नहीं हैं, वह मुसलमान नहीं हैं।" उन्होंने एक संशोधन प्रस्तुत किया जिसके अनुसार घोषणा करने के उपबन्ध को इस अधिनियम से हटा लिया गया। दूसरे शब्दों में इन धर्मों के

अनुयायी इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह कर सकते थे। उन्हें अपने धर्म को तिलांजलि नहीं देनी पड़ती थी। वह अपने धर्म पर चल कर भी इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह कर सकते थे। निस्सन्देह यह एक ऐच्छिक बात थी कि वह सन १८७२ के अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करना पसन्द करेंगे अथवा नहीं। इसका फैसला करना पूर्णतया उन्हीं पर छोड़ा गया था। यदि वह इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करते थे तो इस से कुछ परिणाम उत्पन्न होते थे। एक मुख्य परिणाम यह था कि इस प्रकार के विवाह के अनुसार कोई व्यक्ति केवल एक ही पत्नी रख सकता था। इसी तरह से पत्नी एक ही पति रख सकती थी। यदि वह इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करते थे तो विवाह विच्छेद (तलाक़) का नियम भी उन पर लागू होता था। सन् १८७२ के अधिनियम में यह मूल परिवर्तन किये गये हैं।

श्रीमान्, इस विधेयक की यह विशेषता है। कुछ मित्र इसे अवगुण बताते हैं किन्तु मेरा दावा है कि यह एक गुण है, क्योंकि यह हमारे संविधान के विदेशी सिद्धान्तों को कार्य रूप देता है। एक विदेशी सिद्धान्त यह है कि हमारा लक्ष्य एक समानरूपी संहिता तैयार करना होना चाहिये। मैं दावा कर सकता हूं कि यह इस दिशा की ओर एक पग है। हम अब यह उपबन्ध रख रहे हैं कि विवाह के लिए यह आवश्यक नहीं कि दोनों पक्ष हिन्दू ही हों अथवा मुस्लिम हों अथवा एक ही धर्म के अनुयायी हों। इस विधेयक के पास होने पर कोई एक हिन्दू किसी मुसलमान से विवाह कर सकता है। सन् १८७२ की विधि तथा वर्तमान विधेयक में यही एक बड़ा अन्तर है।

यह पूछा गया है कि क्यों न इस उद्देश्य के लिए एक संशोधन विधेयक पास किया जाये जो कि वर्तमान कानून का संशोधन करे। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह था कि इस मूल परिवर्तन पर ज़ोर डाला जाये, तथा यह एक स्वतन्त्र विधेयक प्रस्तुत कर के ही किया जा सकता था। कुछ और भी परिवर्तन किये गये हैं। भारत से बाहर किये गये विवाहों को ही लीजिये। इस विधान के अन्तर्गत यदि दोनों पक्ष भारतीय होंगे तो उनके लिये किसी दूतावास अधिकारी की उपस्थिति में विवाह समारोह रचाना सम्भव होगा। कुछ और मामलों के सम्बन्ध में भी कुछ परिवर्तन किये गये हैं। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसने कि व्यक्तिगत विधि के अन्तर्गत विवाह किया हो यह प्रार्थना कर सकता है कि उसका विवाह इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया जाये।

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर दक्षिण): यह अनिवार्य नहीं है।

श्री बिस्वास : यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही करेगा, जो लोग मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी का अनुकरण करते हैं, वह सम्भवतः ऐसा न करें, परन्तु किसी भी धर्म से सम्बन्ध रखने वाला कोई भी व्यक्ति जिसका कि किसी भी अन्य विधि के अन्तर्गत विवाह संस्कार सम्पन्न हुआ हो, इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने विवाह को पंजीबद्ध किये जाने की प्रार्थना कर सकता है। यदि ऐसा किया गया तो इस अधिनियम के अन्य उपबन्ध स्वतः ही उस पर लागू होंगे। दूसरे शब्दों में उसे एक पत्नित्व, विवाह-विच्छेद आदि के अधिकार प्राप्त होंगे।

श्री वी० जी० देशपांडे : क्या विधि मंत्री जी ऐसा करेंगे?

श्री एन० सी० चटर्जी : विधि मंत्री जी तो विधुर हैं।

श्री बिस्वास : आप यह बात विधि मंत्री पर ही छोड़ सकते हैं। वह स्वयं अपना बन्दोबस्त कर सकते हैं।

[श्री बिस्वास]

श्रीमान् इन परिवर्तनों के साथ साथ हमने इस विधेयक में सन् १८७२ के वर्तमान अधिनियम के शेष सभी उपबन्ध रखे हैं मुख्य कारण यह था । यह अधिनियम सन् १८७२ में पास किया गया था । आज सन् १९५३ है, तब से अब तक बहुत सी बातें हुई हैं। इसीलिये मैंने प्रारम्भ में ही परिचालन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । उद्देश्य इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के सम्बन्ध में जनता की प्रतिक्रिया जानना था । इसीलिये धारायें १८ आदि रखी गई हैं। यदि मेरे माननीय मित्र उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण पर दृष्टिपात करेंगे तो वह देखेंगे कि वहां यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कौन से खंड वर्तमान कानून से लिये गये हैं, यह बात वहां पूर्णतया स्पष्ट की गई है । हम चोरी छुपे इस में कोई बात नहीं रख रहे हैं । हमने जान बूझ कर वर्तमान अधिनियम के उपबन्ध इस में रखे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य जनता की प्रतिक्रिया को जानना था । अब मामला संयुक्त प्रवर समिति में जायगा । संयुक्त समिति माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर जांच कर सकती है । दूसरे सदन में भी इस प्रकार के प्रश्न उठाय गये हैं । वहां भी मैंने कहा कि इन मामलों पर सविस्तार चर्चा होगी । दूसरी बातों के सम्बन्ध में सरकार वचनबद्ध नहीं है ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : वह केवल विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में वचनबद्ध है ।

श्री बिस्वास : सामान्य सिद्धान्तों के सम्बन्ध में वचनबद्ध हैं । परन्तु जहां तक सविस्तार बातों का सम्बन्ध है--उदाहरण के लिए इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि इस अधिनियम के अन्तर्गत जिन हिन्दुओं ने विवाह किया हो क्या उन्हें परिवार से अलग होना पड़ेगा—मेरी अपनी शंका में हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के लागू किये जाने के सम्बन्ध में आपका विचार क्या है ?

श्री बिस्वास : इसकी ओर विशिष्ट रूप से निर्देश किया गया है । हमें उन प्रश्नों पर विचार करना है । हम उनके प्रति सचेत हैं । परन्तु यह विस्तार की बातें हैं । प्रवर समिति में चर्चा का आधार बनाने के लिए हमने इस विधेयक में वह उपबन्ध यथावत् रखे हैं । यह अधिनियम इतने वर्षों से लागू है । आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और न ही मैंने उन्हें एकत्रित करने की कोशिश ही की है । परन्तु यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, यह दिखाने की आवश्यकता नहीं थी कि इसके लिए बहुत से लोग मांग कर रहे थे । सन् १८७२ में जब मूल अधिनियम पास किया गया था तो उसे कुछेक ब्रह्मो-समाजियों के कहने पर किया गया था—यह बात नहीं थी कि सारी हिन्दू जाति इसके लिए मांग कर रही थी ।

एक और बात भी है जिसकी ओर मैं निर्देश करना चाहता हूं । कुछ मित्रों का विचार यह था कि यह कानून हिन्दू धर्म अथवा हिन्दू विधि के विरोध में प्रस्तुत किया गया है । जब हिन्दू विधि की बात आयेगी उस समय आप यह प्रश्न उठा सकते हैं । निस्सन्देह इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी हिन्दू किसी मुसलमान अथवा किसी ईसाई अथवा किसी भी धर्मावलम्बी से विवाह कर सकता है । पर यह विधेयक हिन्दुओं में विवाह को विनियमित करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है, वह बाद में आयेगा । उस समय आप कह सकते हैं कि यह हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों के विरुद्ध है आदि आदि । यदि मैं आपको सन्तुष्ट कर सकता हूं तो ठीक है, यदि नहीं कर सकता हूं तो आप निस्सन्देह इसका विरोध कर सकते

हैं। परन्तु इस विधेयक के सिलसिले में हमें इस प्रश्न पर चर्चा नहीं करनी है।

यह एक ऐच्छिक विधान है जो कि सभी समुदायों पर लागू होगा। मैं विस्तार की बातों पर चर्चा करके सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि इन प्रश्नों पर संयुक्त समिति में पूर्णतय: विचार किया जायेगा। श्रीमान्, मुझे केवल इतना ही निवेदन करना था।

श्री मूलचन्द दुबे (जिला फ़र्रुखाबाद—उत्तर) : यदि किसी हिन्दू संयुक्त परिवार का कोई व्यक्ति ब्रह्मो-समाजियों की प्रणाली के अनुसार विवाह करे तथा फिर इस अधिनियम के अन्तर्गत उसे पंजीबद्ध कराये तो क्या उसे परिवार से अलग होना पड़ेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्याख्या का प्रश्न है जिस पर अवकाश के समय विचार किया जा सकता है।

श्री राघवाचारी : श्रीमान्, संयुक्त प्रवर समिति की रचना की अनियमितता अथवा असंवैधानिकता के बारे में अपना फ़ैसला देने की बात सदन पर छोड़ी गई थी। इसके अतिरिक्त विधेयक के सिद्धान्त का भी प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक के सिद्धान्त के सम्बन्ध में अभी फैसला नहीं किया गया है।

श्री राघवाचारी : संवैधानिक स्थिति का भी प्रश्न है कि क्या इस संयुक्त प्रवर समिति को स्वीकार भी किया जा सकता है अथवा नहीं ?

श्री सत्य नारायण सिन्हा : इस प्रश्न का फैसला किया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात स्पष्ट की गई है कि यह सदन किसी भी विषय के सम्बन्ध में वचनबद्ध नहीं है। जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है, सदन वचनबद्ध नहीं है, शेष बातें इसमें आ जाती हैं। मैं केवल यह संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मैं पहले डा० लंका सुन्दरम का संशोधन लेता हूं।

डा० लंका सुन्दरम् : प्रधान मंत्री के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैं अपना संशोधन वापस लेने की प्रार्थना करता हूं।

डा० लंका सुन्दरम् का संशोधन सदन की अनुमति से, वापस लिया गया।

श्री कासलीवाल का संशोधन सदन की अनुमति से, वापस लिया गया।

श्री एस० वी० रामास्वामी का संशोधन सदन की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मतदान के लिए मूल प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

डा० लंका सुन्दरम् : संकल्प में दिये गये नामों के सम्बन्ध में सदस्यों की सम्मति प्राप्त नहीं की गई है। विभिन्न दलों ने जो नाम दिये थे वह भी इस में शामिल नहीं किये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन नामों को, जिन पर कि आपत्ति की गई है पथक रुप से प्रस्तुत करूंगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: किसी भी दल से परामर्श नहीं किया गया है।

श्री एन० सी० चटर्जी : इस दल की ओर से जो नाम दिये गये थे, वह इसमें सम्मिलित नहीं किये गये हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान् यह सत्य है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व): जहां तक इस प्रवर समिति का सम्बन्ध है, हम इसमें शामिल होने को तैयार हैं, परन्तु हमें वह तरीका पसन्द नहीं है जिस के अनुसार विभिन्न दलों के सदस्य इस में शामिल किये गये हैं। उदाहरण के लिये,

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

सरकार ने हमारे दल के सदस्यों को प्रवर समिति में शामिल करने से पहले दल के किसी प्रतिनिधि से सलाह नहीं की ।

श्री रामचन्द्र रेडडी (नैल्लोर) : सदन में कुछ ऐसी प्रथा चली आ रही है कि दलों के नेताओं से ऐसे सदस्यों के नाम देने के लिये कहा जाता है जो प्रवर समिति में कार्य करने के लिये तैयार हों। परन्तु दुर्भाग्य से इस मामले में उस प्रथा का अनुसरण नहीं किया गया है । अतः यह आवश्यक है कि प्रवर समिति के सदस्यों की प्रस्तावित सूची में आवश्यक फेरबदल की जाये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं माननीय सांसद्-कार्य मंत्री को यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब कुछ दिन पहले मैं ने उन्हें इस सम्बन्ध नें एक पत्र भेजा था तो उन्हों ने मुझे यह आश्वासन दिया था कि हमारे प्रतिनिधियों से सलाह किये बिना हमारे दल का कोई सदस्य प्रवर समिति में शामिल नहीं किया जायेगा। इस परि-स्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिये था कि बिना हम से परामर्श किये ही कुछ सदस्य प्रवर समिति में शामिल कर लिये जायें । आगे यह तरीका नहीं बरता जाना चाहिये ।

श्री एन० सी० चटर्जी : इसे ठीक किया जाना चाहिये ।

श्री सत्य नारायण सिन्हा : इस विधेयक में कुछ गलती हो गई है। मैं समझता हूं कि मुझे सम्बन्धित दलों से परामर्श करना चाहिये था। कुछ भी हो, मैं यह आश्वासन देता हूं कि भविष्य में यह तरीका नहीं बरता जायेगा और दलों के नेताओं से अवश्य परामर्श किया जायेगा । आज भी यदि कोई दल अपने सदस्यों के नामों में कोई फेरबदल करना चाहे तो वह कर सकता है। मुझे इस में कोई आपत्ति नही होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे ऐसा लगता है कि कोई दल फेरबदल करना नहीं चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

सदन में मतविभाजन हुआ : पक्ष में, १८१ : विपक्ष में, २७ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन अन्य कार्य करेगा ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के ३१ दिसम्बर, १९५२ को समाप्त होने वाली कालावधि के प्रतिवेदन पर विचार किया जाये ।"

मेरा इरादा शुरू में ही लम्बा भाषण देने का नहीं है क्योंकि मैं अपने बाद बोलने वाले माननीय सदस्यों के सुझावों से फायदा उठाना चाहता हूं । कितने ही संशोधन रखे गये हैं और मैं समझता हूं कि उन में से बहुत से संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे और बहुत कुछ रचनात्मक तथा उपयोगी सुझाव रखे जायेंगे ।

सदन को विदित ही है कि संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है । मैं उक्त पदाधिकारी के कार्य तथा कार्य करने की लगन की सराहना किये बिना नहीं रह सकता । जिस लगन से उन्हों ने कार्य किया है वह उस रिपोर्ट से स्पष्ट है जो सदन के सामने मौजूद हैं ।

आप यह याद रखिये कि भाग "ग" राज्यों के अतिरिक्त अन्य सब राज्यों में सब

मामलों का प्रशासन, जिस में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी मामलों का प्रशासन भी सम्मिलित है, राज्य सरकारों के हाथ में है। हां, जहां तक भाग "क" राज्यों का सम्बन्ध है, वे अधिक स्वायत्तशासी हैं और हम उन्हें केवल परामर्श या सुझाव या धन ही दे सकते हैं। भाग "ख" राज्यों को संविधान के अन्तर्गत निदेश दिये जा सकते हैं, परन्तु ऐसा केवल दस वर्ष तक किया जा सकता है जिन में से चार वर्ष तो निकल गये हैं, छः वर्ष और बाकी हैं। परन्तु वहां भी पूर्ण रूप से निर्वाचित विधानमंडल विद्यमान हैं। अतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी मामलों का प्रशासन वास्तव में राज्यों के हाथ में है। जहां तक भारत सरकार या केन्द्रीय सरकार के विभागों का सम्बन्ध है, इस में कोई सन्देह नहीं है कि बहुत सी बातें उठाई जा सकती हैं। मैं देखता आया हूं कि जब कभी भी संसद् का सत्र होता है तो सदस्य यह बात जानने के लिये बड़े उत्सुक प्रतीत होते हैं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को उन के रक्षित स्थानों के सम्बन्ध में कुछ सुविधाएं दी गई हैं या नहीं। मैं सदन को यह यकीन दिला देना चाहता हूं कि मैं तथा केन्द्रीय सरकार इस बात का भरसक प्रयत्न करते हैं कि इन जातियों के व्यक्तियों को लोक सेवाओं में आने का पूरा अवसर मिले। परन्तु इस सिलसिले में यह याद रखना ज़रूरी है कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिन्हें भरते समय हम अनावश्यक जोखिम नहीं उठाना चाहते। उदाहरण के लिये, जिला मजिस्ट्रेट को ही लीजिए। जिला मजिस्ट्रेट न केवल अनुसूचित जातियों की देखभाल के लिये ही होता है, बल्कि उस पर जिले की सारी जनता की भलाई का उत्तरदायित्व होता है। उसे सभी जातियों का--चाहे वह उच्च जाति हो या निम्न जाति--खयाल रहता है। ऐसी दशा में यह ज़रूरी हो जाता है कि लोक सेवा आयोग उम्मीदवार की कार्यकुशलता पर भी पर्याप्त बल दे। कभी कभी मैं लोगों को यह कहते सुनता हूं कि इन जातियों के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में न्यूनतम योग्यताओं पर ही बल दिया जाये। परन्तु मेरा कहना यह है कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिन्हें भरते समय केवल न्यूनतम योग्यता ही पर्याप्त नहीं है, उम्मीदवार का कार्यकुशल होना भी बहुत आवश्यक है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी या क्लर्कों के सम्बन्ध में तो न्यूनतम योग्यता की बात समझ में आ सकती है, परन्तु उत्तरदायी पदों के लिये हमें न्यूनतम योग्यताओं के अलावा कुछ और भी बातें देखनी पड़ती हैं। फिर भी हम यह चाहते हैं कि इन जातियों को समान अवसर प्रदान किये जाये। संघ लोक सेवा आयोग की भी यही इच्छा है। मैं उस बात को दुहराना नहीं चाहता जो मैं ने पिछले सत्र के दौरान में कही थी, अर्थात् यह कि हमने उन के सम्बन्ध में आयु सीमा विषयक नियमों को ढीला कर दिया है। मैं यह भी जानता हूं कि लोक सेवा आयोग, इन्टरव्यू के समय, इन जातियों के उम्मीदवारों को अन्य उच्च वर्गों के उम्मीदवारों के मुकाबले कुछ रियायत देता है क्योंकि वह जानता है कि धनिक परिवारों तथा कम आय वाले वर्गों से आने वाले उम्मीदवारों में कुछ फ़र्क़ होना स्वाभाविक ही है। परन्तु हर तरह से जोखिम नहीं उठाई जा सकती।

[**श्री पाटस्कर** अध्यक्ष पद पर आसीन हुए]

इस से भी अधिक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि उन के शैक्षिक विकास के लिये प्रत्यक्ष प्रयत्न किया जाये और उन्हें विभिन्न रियायतें तथा छात्रवृत्तियां प्रदान की जायें। मैं इस बात के पक्ष में हूं कि अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों के इन नवयुवकों को अध्ययन के लिये विदेश भेजा जाये और उन

(डा० काटजू)

की समुचित शिक्षा के लिये देश में व्यवस्था की जाये ।

अब प्रश्न उठता है छूतछात का । मैं जानता हूं कि नगरीय क्षेत्रों से तो छूतछात लगभग समाप्त हो गई है । परन्तु देहाती इलाकों में यह अभी मौजूद है । गत वर्ष मैं ने यह वायदा किया था कि सरकार छूतछात समाप्त करने के लिये प्रत्येक सम्भव वैधानिक कार्यवाही करेगी । मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहता हूं कि संसद् का सत्र समाप्त होने से पहले मैं इस सम्बन्ध में एक विधेयक या तो पुरःस्थापित करूंगा या गज़ट में प्रकाशित कराऊंगा ताकि आगामी आयव्ययक सत्र में उस पर बहस हो सके । इस विधेयक में छूतछात सम्बन्धी अपराधों के लिये दण्ड का उपबन्ध होगा । परन्तु मेरे कहने का वास्तविक अभिप्राय यह है कि आप इस कार्य में जबरदस्ती कर के पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकते । हो सकता है कि इस प्रकार के कानून बना कर कुछ सीमा तक सफलता मिल जाये, परन्तु इस जटिल समस्या को सुलझाने में समझाने-बुझाने का भी पर्याप्त महत्व है । आप केवल डरा धमका कर ही स्थिति नहीं सुधार सकते ।

गत सप्ताह मैं ग्वालियर में था । मैं मुरैना भी गया था । भाग "ख" राज्यों में विशेष रूप से एक चीज़ पायी जाती है । गांवों में ऐसे ठाकुर, गूजर तथा ज़मींदार हैं जो अपने को बहुत बड़ा समझते हैं और जो शताब्दियों से एक विशष प्रकार का जीवन व्यतीत करते आये हैं । उन लोगों को भी दण्ड तो दिया जायगा, परन्तु इसके साथ-साथ यदि समझाने बुझाने की कार्यवाही भी जारी रखी जाय तो हम अधिक अच्छे परिणामों की आशा कर सकते हैं । परन्तु मझे इस बात का खद है कि हम इन कार्यवाहियों में कुछ ढिलाई कर रहे हैं-- मेरा अभिप्राय समझा बुझा कर ठीक मार्ग पर लाने की कार्यवाहियों से है । गांधी जी जीवन पर्यन्त लोगों को समझाते-बुझाते रहे थे । वह ऊंची जातियों के लोगों से कहा करते थे : "आप का कर्तव्य है कि आप देश से छूतछात खत्म करें; यदि आप ने ऐसा न किया तो हिंदू जाति का ह्रास हो जायेगा।" मैं चाहता हूं कि हरिजन जाति के शिक्षित लोग और उच्च जाति के लोग गांवों में घूम कर लोगों को यह समझायें कि छूतछात बरतना केवल अपराध ही नहीं है बल्कि एक असामाजिक तथा देश विरोधी कार्य है । यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी एकता तथा हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जायेगी ।

मैं और बहुत सी बातों की चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत से संशोधनों की सूचना दी गई है और सम्भवतः उन के सम्बन्ध में अनेक बातें उठाई जायेंगी। कुछ संशोधन में यह मांग की गई है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का एक नया मंत्रालय स्थापित किया जाना चाहिये । परन्तु क्या सदस्य यह जानते हैं कि यह मंत्री क्या करेगा ?

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : फिर पुनर्वास मंत्री क्यों है ?

डा० काटजू : मैं कोई राय नहीं दे रहा हूं । मैं तो आप से यह जानना चाहता हूं । परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि सम्पूर्ण समस्या पर रचनात्मक ढंग से विचार किया जाना चाहिये । लक्ष्य हम सब का एक ही है । देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सात करोड़ लोग हैं । मैं पिछड़े वर्ग सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन

की भी प्रतीक्षा कर रहा हूं जो सम्भवतः पांच करोड़ और लोगों के सम्बन्ध में किया जायेगा। हम उन सब लोगों को अपने स्तर पर लाना चाहते हैं। सामाजिक न्याय के अन्तर्गत किसी प्रकार के वर्गों को मान्यता नहीं दी जाती। सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। किसी ने इस सब के लिये धन की व्यवस्था करने का भी प्रश्न उठाया है। मैं समझता हूं कि एक संशोधन द्वारा यह मांग की गई है कि इस कार्य के लिये एक राशि अलग रखी जाये। प्रतिवेदन में आप देखेंगे कि इन पांच वर्षों में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की भलाई के लिये ४० करोड़ रुपये अलग रखे हैं।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : यह राशि तो तवे पर बून्द के समान है।

डा० काटजू : यदि धन उपलब्ध होता तो मैं ४० करोड़ रुपये नहीं, ८० करोड़ रुपये अलग रखे जाने की व्यवस्था करने का प्रयत्न करता। परन्तु प्रश्न यह है कि धन उपलब्ध होना चाहिये। हम इस के लिये भरसक प्रयत्न भी कर रहे हैं।

दूसरे यह कि हम अधिक सहयोग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग क्षेत्र में आ कर काम करें। आप मुझे यह कहने के लिये क्षमा करें कि संसद् में कार्य करने मात्र से कोई लाभ नहीं होगा। इस के लिये व्यावसायिक केन्द्र, स्कूल, अस्पताल आदि खोले जाने होंगे; और उस के लिये धन चाहिये।

सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रतिवेदन पर विचार करें।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के ३१ दिसम्बर, १९५२ को समाप्त होने वाली कालावधि के प्रतिवेदन पर विचार किया जाये।"

कई संशोधनों की सूचना दी जा चुकी है। इस के पश्चात श्री पी०एन० राजभोज, श्री वेलायुधन, श्री रामधनी दास, श्री बी० एस० मूर्त्ति, श्री सोरैन, श्री बाल्मीकि, श्री जजवाड़े, श्री भीखाभाई, श्री कक्कन, श्री पी० सुब्बा राव, श्री रिशांग किशिंग, श्री शिवमूर्त्ति स्वामी, डा० रामा राव, श्री संगण्णा, श्री आर० सी० माझी, श्री निरंजन जेना, श्री कजरोलकर, श्री बलवन्त सिंह महता, डा० सत्यवादी, श्री बर्मन, श्री एन० राचय्या, श्री नवल प्रभाकर, श्री जी० एल० चौधरी, श्री दशरथ देव, श्री नानादास तथा स्वामी रामनन्दन शास्त्री ने अपने अपने संशोधन रखे।

श्री पी० एन० राजभोज : श्रीमान, और संशोधन भी हैं।

सभापति महोदय : मेरे विचार में संशोधनों की एक और भी सूची है लेकिन उन की सूचना आज ही दी गई है। मैं उन के सम्बन्ध में माननीय मंत्री से सलाह कर के अपना निर्णय दूंगा।

श्रीमती खोंगमेन (स्वायत्त ज़िले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पढ़ी है। उन्हों ने अनेक सुझाव रखे थे। मुझे खेद है कि बहुत से राज्यों ने उन पर अमल नहीं किया है। मैं आयुक्त के इस सुझाव से पूर्णतः सहमत हूं कि पिछड़े हुए वर्गों का विकास करने के मामले को अधिमान दिया जाना चाहिये।

मैं जिस क्षेत्र से आती हूं वहां पर अनेक आदिम जातियां रहती हैं तथा उन की बोलियां भी अलग अलग हैं। परन्तु हमारी

[श्रीमती खोंगमेन]

ओर अभी विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। हम जैसे थे वैसे ही चले आ रहे हैं। अधिकतर आदिम जातियों के लोग गरीब हैं। उन की समस्या आर्थिक है। उन्हें खेती करने का तरीक़ा सिखाया जाना चाहिये। बहुत सी आदिम जातियों के लोग तो आज भी नंगे ही घूमते हैं। उन को मुफ्त कपड़ा दिया जाना चाहिये जिस से वे भी सभ्यता की ओर बढ़ सकें। हमारे क्षेत्र में सड़कों की कमी है। यातायात के साधन बहुत ही सीमित हैं। जो कुछ रुपया दिया जाता है वह पर्याप्त नहीं होता। और तो और योजनाओं को ठीक से कार्यान्वित भी नहीं किया जाता। उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेन्सी के लिये केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर शिलौंग में रहते हैं जो कि लगभग ३,००० मील दूर है। इस प्रकार देखभाल भी ठीक नहीं होती। डाक तथा तार घर की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हें और क्षेत्रों में खोला क्यों नहीं जा रहा है ?

सब से कठिन स्थिति तो उन आदिम जातियों की है जो पाकिस्तानी सीमा पर रहती है। उन के खेत बिल्कुल पाकिस्तान सीमा से लगे हुए हैं। धान होने पर पाकिस्तानी उन पर अपना कब्ज़ा कर लेते हैं। इस प्रकार वे हमारे हाथ से लगभग निकल से गये हैं। पाकिस्तान ने खासी तथा जैन्तिया पहाड़ियों और गारो तथा लुशाई पहाड़ियों के लोगों से वस्तुओं के लेन देन पर पाबन्दी लगा दी है। इस प्रकार यह आदिमजाति के लोग जो कुछ पैदा करते थे उसे बेच कर अपना पेट पालते थे। परन्तु अब तो यह भी सहारा नहीं रहा है। उन के संतरे, पान, सुपारी आदि सड़ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस मामले पर विचार किया जाये तथा उन्हें ऐसे स्थान पर बसाया जाये जहां उन्हें इन कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

आसाम के स्वायत्त जिलों में जो जिला-परिषदें कार्य कर रही हैं उनका कार्य संतोषजनक नहीं है क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में धन नहीं दिया जाता। उन्हें और अधिक धन दिया जाना चाहिये।

हमें श्री बी० के० भंडारी की मृत्यु से, जो कि आसाम, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा तथा मनीपुर के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रादेशिक आयुक्त थे, बड़ा धक्का पहुंचा है। हम उन को कभी नहीं भुला सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान उन की पत्नी तथा बच्चों की ओर दिलाना चाहती हूं। उन के रहने और खाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये क्योंकि इस समय उन की हालत बहुत खराब है।

अन्त में, मैं सरकार का ध्यान एक विशेष बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। अनेक ईसाई धर्म प्रचारक आसाम में कार्य कर रहे हैं। उन्हों ने वहां के लोगों की सब प्रकार से देखभाल की है। उन की शिक्षा, इलाज आदि का प्रबन्ध किया है। परन्तु, हाल ही में, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि उन्हें सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है तथा उन को सहायता भी देना कम कर दिया गया है। यदि आप उन में से किसी को अवांछनीय कार्यवाही करते पाते हैं तो निकाल दीजिये। मगर सब को तो उसी दृष्टि से न देखिये। क्योंकि हो सकता है इस का आदिम जातियों पर उलटा प्रभाव पड़े। अतः मैं चाहती हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में सावधानी से काम ले।

सभापति महोदय : मुझे आशा है कि माननीय मंत्री को उन संशोधनों के रखे जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी जिन की सूचना आज मिली है। मैं सम्बन्धित माननीय

सदस्यों को वह संशोधन रखने के लिये कहूंगा । हां, यह संशोधन परिचारित भी किये जायेंगे ।

इस के पश्चात श्री पी० एन० राजभोज, श्री के० सी० जेना तथा श्री इलयापेरुमल ने अपने संशोधन रखे ।

श्री कजरोल्कर : चेअरमैन महोदय, आज सभा के सामने शेड्यल्ड कास्ट्स और शेड्यल्ड ट्राइब्स की १९५२ की जो रिपोर्ट विचार के लिये आई है उस का मैं स्वागत करता हूं । पहले तो जिस ने इस रिपोर्ट को तैयार किया उन शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर श्रीयुत श्रीकान्त भाई को मैं धन्यवाद देता हूं । जिस दिन से...

श्री पी० एन० राजभोज : तब फिर ऐमेंडमेंट की क्या ज़रूरत है ?

श्री कजरोल्कर : ज़रूरत है ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य को सलाह दूंगा कि वह अन्तर्बाधाओं की परवाह न करते हुए बोलते रहें ।

श्री कजरोल्कर : यह डिपार्टमेंट डा० काटजू साहब के पास है और डिप्टी मिनिस्टर साहब, हमारे मित्र दातार साहब इस मामले में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, इस के लिये मैं इन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं । लेकिन साथ ही साथ इस रिपोर्ट में जो कमतरता है उस को भी मैं बतलाने का प्रयत्न करूंगा।

गत वर्ष इस पार्लियामैंट में डा० काटजू साहब ने कहा था कि रिमूवल आफ अनटचेबिलिटी के लिये बिल जल्दी ही लाया जायेगा, लेकिन इस सेशन में यह बिल नहीं आया है । यह दुःख की बात है कि इस बिल की बहुत जल्दी जरूरत है ।

श्री पी० एन० राजभोज : क्यों लायेंगे बाबा ?

श्री कजरोल्कर : मेहरबानी कर के जरा चुप बैठिये ।

हमारी सरकार को इस के लिये जल्दी बिल लाना चाहिये, लेकिन इस के साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि खाली बिल लाने से ही काम नहीं चलेगा । इस का कुछ असर होने के लिये ज़रूरी है कि रिमूवल आफ अनटचेबिलिटी के प्रोपेगेन्डे के लिये प्रबन्ध होना चाहिये और कुछ रकम रक्खी जाय और इस को १९५३-५४ के बजट में रक्खा गया है । इस का भी मैं स्वागत करता हूं । लेकिन साथ ही मेरा यह कहना है कि यह तो खाली एक वर्ष की स्कीम है । रिमूवल आफ अनटचेबिलिटी एक वर्ष में नहीं हो सकता और न हजारों वर्ष की अस्पृश्यता का महारोग एक वर्ष के अन्दर मिटाया जा सकता है। मेरी प्रार्थना है कि यह जो स्कीम है इस को पांच वर्ष के लिये किया जाय ।

शिक्षा के बारे में यह कहना चाहता हूं कि गत वर्ष आनरेबल फ़ाइनेन्स मिनिस्टर, श्री सी० डी० देशमुख, ने हमारी विनती स्वीकार कर के स्कालर्शिप्स के लिये जो १९५२ के पहले १५ लाख रुपये मिलते थे उसे इस वर्ष ५० लाख रुपये कर दिया है, मैं यह भी सुनता हूं कि यह ५० लाख रुपये विद्यार्थियों के लिये काफी नहीं हुए तो १० लाख रुपये और देने की योजना चल रही है । इस के लिये मैं उन को धन्यवाद देता हूं । इस वर्ष कुछ फ़ारेन स्कालर्शिप्स के लिये भी प्रबन्ध किया है, लेकिन वह बहुत ही कम है ।

इस के बाद मैं हास्टेल्स के बारे में यह कहना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंटों को यह इन्स्ट्रक्शन दिया कि जिन स्टेट्स में खाली शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिये हास्टेल्स हैं उनके अन्दर सवर्ण हिन्दू स्टूडेंट्स को भी लिया जाय । इस पर हमारे कई

[श्री कजरोल्कर]

हरिजन भाई बोले कि अगर हमारे हास्टेल्स में १०० का स्थान होगा और उन के अन्दर कुछ सवर्ण स्टूडेन्ट्स को लिया जायेगा तो हमारा कोटा कम हो जायेगा । इस के लिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार हरिजन छोकरों के लिये जो ग्रान्ट देती है उस ग्रान्ट के अन्दर कोई कमी न की जाय ।

अब सर्विस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस ओर बहुत कम तरक्की हुई है । इस के बारे में मैं आप को एक उदाहरण देना चाहता हूं । सर्विस के बारे में सौराष्ट्र की गवर्नमेंट ने और सौराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ढेबर भाई ने जो कदम उठाया है वह बहुत अभिनन्दनीय है, और अगर मुझे टाइम मिले तो मैं उन्हों ने जो खत मुझे भेजा है उस को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ।

"I have seen from my experience that there is no half-way house between the circular the Saurashtra Government has issued and the object we have in view, for the least gap in the rules works against the objective. We have to see how this circular is implemented. I am sending herewith a copy of the press note."

यह प्रेस नोट भी मैं पढ़ कर सुनाता लेकिन समय बहुत कम है ।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य कुछ समय लेंगे। अब साढ़े छः बज रहे हैं और मैं सदन की बैठक कल डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार १८ दिसम्बर, १९५३ के डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।